C O N T E N T S

Fifteenth Series, Vol. XXX, Twelfth Session, 2012/1934 (Saka)
No.11, Friday, December 7, 2012/Agrahayana 16, 1934 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question No.201 to 204	2-49
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.205 to 220	50-111
Unstarred Question Nos.2301 to 2530	112-507

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE **568-577**

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (GENERAL), 2012-13 **577**

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Need to open more procurement centres for paddy in the country 578-594
597-603

ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST AND RECOVERY OF DEBTS LAWS (AMENDMENT) BILL, 2011 595-620

Motion to Consider 595-596
604-620

Shri P. Chidambaram 596

Shri Dushyant Singh 607-612

Shri Sanjay Nirupam 613-618

Shri Shailendra Kumar 619-620

PRIVATE MEMBERS' BILLS – Introduced **621-646**

(i) Fishermen (Welfare) Bill, 2012 621
By Shri S.S. Ramasubbu

(ii) Special Educational Facilities (For Children of Parents Living Below Poverty Line) Bill, 2012 621
By Shri S.S. Ramasubbu

(iii) Drugs (Price Control) Bill, 2012 622
By Shri M.K. Raghavan

(iv) High Court of Kerala (Establishment of a Permanent Bench at Kozhikode) Bill, 2012 622
By Shri M.K. Raghavan

(v) Payment of Compensation to Persons Attacked by Wild Animals Bill, 2012 623
By Shri M.K. Raghavan

(vi)	Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2012 (Amendment of section 2, etc.). By Shri Bhartruhari Mahtab	623
(vii)	Spices Board (Amendment) Bill, 2012 (Omission of sections 16 and 28) By Shri P.T. Thomas	624
(viii)	Women (Reservation in Services) Bill, 2012 By Shrimati Botcha Jhansi Lakshmi	624
(ix)	Promotion of Small Family Bill,, 2010 By Shrimati Botcha Jhansi Lakshmi	625
(x)	Right to Information (Amendment) Bill, 2011 (Amendment of sections 7 and 20) By Shri Bhoopendra Singh	625
(xi)	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (Amendment) Bill, 2012 (Amendment of section 12, etc.) By Shri Bhoopendra Singh	626
(xii)	Prevention of Corruption (Amendment) Bill, 2012 (Amendment of sections 7, 17 and 19) By Shri Bhoopendra Singh	626
(xiii)	Cotton Growers Welfare Bill, 2012 By Shri Chandrakant Khaire	627
(xiv)	Compulsory Voting Bill, 2012 By Shri Chandrakant Khaire	627
(xv)	Provision of Compensation to Farmers Affected by Natural Calamities Bill, 2012 By Shri Chandrakant Khaire	628
(xvi)	Victims of Terrorism (Provision of Compensation and Welfare Measures) Bill, 2012 By Shri Chandrakant Khaire	628

(xvii)	Constitution (Amendment) Bill, 2012 (Amendment of the Eighth Schedule) By Shri Bhoopendra Singh	629
(xviii)	Poverty Stricken and Backward Regions (Development) Bill, 2012 By Shri Mahendrasinh P. Chauhan	629
(xix)	High Court of Kerala (Establishment of a Permanent Bench at Thiruvananthapuram) Bill, 2012 By Shri A. Sampath	630
(xx)	Climate Change Bill, 2012 By Shri Kalikesh Narayan Singh Deo	630
(xxi)	Constitution (Amendment) Bill, 2012 (Amendment of article 25) By Dr. Rattan Singh Ajnala	631
(xxii)	Persons Living Below Poverty Line (Reservation of Vacancies in Posts and Services) Bill, 2012 By Shri Hansraj G. Ahir	631
(xxiii)	National Solar Energy Authority Bill, 2012 By Shri Hansraj G. Ahir	632
(xxiv)	Naxal Affected States Development Council Bill, 2012 By Shri Hansraj G. Ahir	633
(xxv)	Protection of Human Rights (Amendment) Bill, 2012 (Amendment of section 2, etc.) By Dr. Bhola Singh	633
(xxvi)	Sanskrit Language (Compulsory Teaching in Schools) Bill, 2012 By Dr. Bhola Singh	634

(xxvii) Constitution (Amendment) Bill, 2012 634
(Amendment of article 58, etc.)
By Dr. Bhola Singh

(xxviii) Constitution (Amendment) Bill, 2012 635
(Insertion of new article 31)
By Dr. Bhola Singh

(xxix) Establishment of Schools upto Senior Secondary Level Bill, 2012 635
By Shri Jai Prakash Agarwal

(xxx) Electricity (Priority Supply to Metropolitan Areas) Bill, 2012 636-637
By Shri Jai Prakash Agarwal

(xxxi) Constitution (Amendment) Bill, 2012 638
(Amendment of article 214)
By Shri Jai Prakash Agarwal

(xxxii) Technology Bank of India Bill, 2012 638
By Shri Arjun Ram Meghwal

(xxxiii) Education Bank of India Bill, 2012 639
By Shri Arjun Ram Meghwal

(xxxiv) Constitution (Amendment) Bill, 2012 639
(Amendment of the Eighth Schedule)
By Kumari Saroj Pandey

(xxxv) High Court of Rajasthan (Establishment of a Permanent Bench at Bikaner) Bill, 2012 640
By Shri Arjun Ram Meghwal

(xxxvi) Farmers Welfare Bill, 2012
By Shri Madhusudan Yadav 640-641

(xxxvii) Prohibition of Ragging and Unfair Practices in Educational Institutions and Universities Bill, 2012 641
By Shri Rakesh Singh

(xxxviii) Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, production, Supply and Distribution) Amendment Bill, 2012 (Amendment of section 3, etc.) 641
By Shri Baijayant Panda

(xxxix) Scheduled Castes Hamlets (Provisions of Basic Facilities) Bill, 2012 642
By Shri P.L. Punia

(xl) Economically Weaker Class Corporation Bill, 2012 642
By Shri P.L. Punia

(xli) Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Amendment Bill, 2012 (Amendment of sections 2 and 33) 643
By Shri Arjun Ram Meghwal

(xlii) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2012 (Substitution of new section for Section 124A) 643
By Shri Baijayant Panda

(xliii) Agricultural Produce (Remunerative Support Prices and Miscellaneous Provisions) Bill, 2012 644
By Shri Mahendrasinh P. Chauhan

(xliv) Prevention of Cruelty to Animals (Amendment) Bill, 2012 (Amendment of Section 38) 644
By Shri Mahendrasinh P. Chauhan

(xlv) Free Educational and Hostel Facilities to Students Belonging to the Scheduled Castes Scheduled Tribes and Economically Weaker Class Bill, 2012 645
By Shri Mahendrasinh P. Chauhan

(xlvi) Constitution (Amendment) Bill, 2012 (Amendment of Article 130) 645
By Shri R. Thamaraiselvan

(xlvii)	Education Loan Bill, 2012 By Shri R. Thamaraiselvan	646
(xlviii)	Abolition of Begging Bill, 2012 By Shri R. Thamaraiselvan	646

BAN ON WITCHCRAFT BILL, 2010

Shrimati Krishna Tirath	647-648
Motion – negatived	649-685

PROVISION OF SOCIAL SECURITY TO SENIOR CITIZENS BILL, 2010

Shri Jai Prakash Agarwal	650-665
Shri Shailendra Kumar	666-668
Dr. Bhola Singh	669-673
Shri S. Semmalai	674-675
Shri Mahendrasinh P. Chauhan	676-677
Dr. Raghuvansh Prasad Singh	678-682
Shri Dilipkumar Mansukhlal Gandhi	683
Shri Arjun Ram Meghwal	684-685

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	701
Member-wise Index to Unstarred Questions	702-706

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions 707

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 708

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Meira Kumar

THE DEPUTY SPEAKER

Shri Karia Munda

PANEL OF CHAIRMEN

Shri Basu Deb Acharia

Shri P.C. Chacko

Shrimati Sumitra Mahajan

Shri Inder Singh Namdhari

Shri Francisco Cosme Sardinha

Shri Arjun Charan Sethi

Dr. Raghuvansh Prasad Singh

Dr. M. Thambidurai

Dr. Girija Vyas

Shri Satpal Maharaj

SECRETARY GENERAL

Shri T.K. Viswanathan

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, December 7, 2012/Agrahayana 16, 1934 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MADAM SPEAKER in the Chair]

(Q. 201)

PROF. SAUGATA ROY: Madam Speaker, from the Minister's reply it seems that the Ministry of Health and Family Welfare is trying to underplay the menace of spurious drugs in the country. The reply given by the Minister about the steps taken is almost the same as his replies given in the other House on 28.8.2012 and 22.5.2012. I would like to point out to the Minister that the matter of spurious drugs is much more serious in this country. Among the fake medicines which are being sold are fake diabetic drugs, fake chemotherapy drugs, use of chalk instead of paracetemol in pain killers, and use of tap water presented as adrenalin. It is estimated that there are 10,000 drug manufacturers and more than 6 lakh outlets that sell fake drugs in the country. The spurious drugs such as anti-malarial drugs and antibiotics not only fail to cure, but over time create resistance with disastrous consequences for the patients.

अध्यक्ष महोदया : बलीराम जी, जब कोई सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं तो बीच में आवागमन नहीं करते हैं। यह सदन के शिष्टाचार के विरुद्ध है। कृपया ध्यान रखें। अन्य सदस्य भी ध्यान रखें।

PROF. SAUGATA ROY : Madam, the hon. Minister had announced a Whistle Blower Policy in July, 2009. Till today, according to the Controller-General of Drugs, not a single instance has been reported where whistle blowers have reported a case of fake drugs. His own Controller-General of Drugs has said that this Whistle Blower Scheme is not working and we shall now employ 7.5 lakh medicine store owners for this purpose. So, obviously the steps so far taken by the Government have not yielded results. May I ask the hon. Minister what further steps the Government is proposing to take? He has said that the Drugs & Cosmetics (Amendment) Act, 2008 has been brought, 14 designated courts have been set up in States and Union Territories and periodic inspections have been carried out. But the business of the fake and spurious drugs is proliferating in the country. What further steps the Government proposes to take in order to tighten

the drug control regime in the country so that people are really deterred from doing this by deterrent punishment and by adequate inspection and raids?

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, at the outset, I would like to say that my answer is almost the same that I have answered in the other House to what the hon. Member, my esteemed friend, has mentioned. This shows the consistency of the Government and the steps taken over a period of time.

I think this House and the hon. Member will appreciate that to see that no dis-branded drug or adulterated drug or spurious drug is either manufactured in our country or sold in our country or exported from our country. That is why never before such decisions have been taken as has been implemented since August 2010.

Amendments were brought in in the Drugs and Cosmetics Act and the punishment has been made very severe. The punishment is now of ten years, which can be extended to imprisonment. So, this is almost as good as capital punishment. What more punishment you can give? Fine up to Rs.10 lakh. It has also been made cognizable and non-bailable offence. There is also provision for designated special courts and as many as 14 States and Union Territories have made special courts.

A Whistle Blower Scheme has been announced in which the reward of maximum up to 20 per cent of the total cost of consignment so seized, which, of course, should not exceed more than Rs. 25 lakh, in each case has been assessed. Then, guidelines for taking action on cases of sub-standard drugs have been formulated and given to the State Drug Institutions to implement. Then, strengthening of Drug Testing Laboratories has been strengthened and under this 23 States and six drug laboratories have been strengthened. Good manufacturing practices have been implemented and amended to make Good Manufacturing Practices (GMP) of international standards.

Had our manufacturers not been good, 500 manufacturing units would not have been supplying medicines to the United States of America? Madam, this

number is not less. The medicines from 500 manufacturing units from India are being supplied only to the United States of America and the Indian pharmaceuticals are being supplied to more than 210 countries. The vaccines are being exported to 150 countries.

I would submit to the hon. Members that from time to time there are interested parties, I will not so domestically but also internationally, who are playing this because insofar as India is concerned, this is now the third largest drug manufacturing country in the world and insofar as the generic drugs are concerned, these drugs, which we are producing in our country, are most affordable in the world, and people across the world, some concerned parties, are interested in defaming.

It has been sometimes reported in the newspapers that WHO has stated that so many medicines are mis-branded. I have the letter from WHO Representative of India, which states that whatever has been reported in a section of media from time to time about the Indian pharmaceutical companies that the WHO has said that this is the percentage of spurious drugs manufactured in India is totally baseless and WHO has never mentioned anything or done any survey with regard to the spurious drugs and the name of the WHO is brought in unnecessarily.

PROF. SAUGATA ROY : Madam, I also mentioned about the Whistle Blower Policy announced by the hon. Minister. Unfortunately, that reply has not come.

SHRI GHULAM NABI AZAD: I will just mention it. As I said, my answer to that is almost in the first part of reply. As I said, a large number of interested parties are managing that a write-up should come either in an international journal or a national journal so that they can defame the Indian pharmaceutical companies. But when we introduced this Whistle Blower Scheme, as a matter of fact, when I joined this Ministry, I had introduced this Whistle Blower Scheme in Jammu & Kashmir as the Chief Minister so I wanted to experience this also here, more than 30 cases have come and when we enquired into those cases, they were all false and nothing was found there.

PROF. SAUGATA ROY : Madam, it is not my intention.

MADAM SPEAKER: You have asked your supplementary. Hon. Minister, were you replying to his second supplementary?

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, I was replying to the first part only.

MADAM SPEAKER: All right.

PROF. SAUGATA ROY : I did not ask the second question. He gave two answers.

Madam, it is not my intention to undermine the achievements of the Indian drug industry. In five years our exports are supposed to reach Rs.2,00,000 crore. It is also true that some of our companies, like, Dr. Reddy's Laboratories and others, have done very well. It is also true that Ranbaxy has been sold to a Japanese company. So, it is happening both ways, foreigners are also taking over Indian companies. I am not in that. But what the hon. Minister is saying that efforts are being made to undermine or defame Indian industries is not true.

Madam, you know about Lancet. It is the journal of the British Medical Association, which is the most respected one. Lancet has reported that seven per cent of the drugs tested in India were found to be of poor quality with many big faiths. I want to bring to your attention, Madam, that this fake drug industry is a huge business internationally. It is estimated that the annual global counterfeit trade is two trillion dollars out of a legitimate global trade figure of ten trillion dollars. Ten trillion dollars is the total global drug trade and obviously, if we have to fight the spurious drugs, there has to be international cooperation.

The hon. Minister, in his reply, has stated that he has no proposal to accept international cooperation.

MADAM SPEAKER: Please ask your question.

PROF. SAUGATA ROY : Madam, I am formulating my question, please give me a little time. It is a very important question affecting the health of millions of people.

MADAM SPEAKER: That is why, please ask it immediately.

PROF. SAUGATA ROY : Yes, Madam.

Madam, Interpol approaches our CBI so that India signs up the Interpol Global Register to facilitate tracking the illicit drug trade. So far our country is refusing to sign this because the Health Ministry and the drug industry here do not want international cooperation. They feel that it will vitiate their Intellectual Property Rights.

May I ask the hon. Minister, in view of this global nature of the spurious drug menace, why our Government is resisting international cooperation when WHO and all other organisations are asking that? The WHO Assembly is asking for international effort to check the spurious drug menace.

In sub-Saharan Africa, millions of children are affected by the sub-standard drugs. Why our country is resisting international cooperation saying that there is no proposal for international cooperation in this matter.

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, again, regarding the first part wherein the hon. Member has drawn the attention that as if a large number of spurious drugs are being produced, I would like to mention that that is not the reality. In 2009, a survey was conducted by Central Drugs Standard Control Organization of India. About 24,136 samples of 62 brands of drugs belonging to 30 manufacturers from over 100 different pharmacy outlets in different regions of the country located in metros, cities, districts, towns and villages, were collected. And the survey revealed that the extent of drugs found spurious was 0.046 per cent.

PROF. SAUGATA ROY : These are old statistics. The sample size is very small. It is not a correct picture.… (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER: Please let him reply.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें जवाब देने दीजिए।

SHRI GHULAM NABI AZAD: I will give the latest one. In 2009-10, the samples tested were 39,249 and the samples declared spurious were 0.29 per cent. In

2010-11, almost 50,000 samples were tested. And what was the spurious content? It was only 0.19 per cent. This is as late as last year.

PROF. SAUGATA ROY : In such a big country, it is a small sample.… (*Interruptions*)

SHRI GHULAM NABI AZAD: Small sample? 50,000 is a big sample.

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, आप इधर सम्बोधित कीजिए।

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, the hon. Member has mentioned about the Secretary-General, INTERPOL, Mr. Ronald Noble. The Secretary-General of INTERPOL met me and my senior officers probably on 28th August this year and discussed about the proposal to develop a database of pharmaceutical companies. As far as I understand, as far as I know, this was the first interaction between the INTERPOL and the Ministry particularly at the senior level. Mr. Noble was requested to send a detailed proposal to the Ministry which is awaited. Of course, this was not only Health Ministry specific; he had come here with so many other related issues to discuss with the Government. In the mean time, he sought an opportunity, an appointment, since he is in India, in Delhi, he would also like to discuss something with the Ministry. He came for half-an-hour and we disused. This was a totally preliminary discussion. On the basis of the preliminary discussion, we cannot go for the cooperation. We have sought more details and we are waiting for the details.

श्री पशुपति नाथ सिंह : महोदया, हिन्दुस्तान में एक समाचार छपा था कि "दो नामी कंपनियों की दवाईयां तैयार होती थीं, छापे के दौरान खुला राज, नकली दवाओं का जखीरा बरामद" अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि टेस्ट में आया है कि जीरो परसेंट नकली दवा है। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि सरकार ने नकली औषधि की आवाजाही पर रोक के लिए, सतर्क जन सजगता को बढ़ावा देने के लिए एक पोल खोल नीति प्रारम्भ की थी। इस योजना के तहत नकली औषधियों की आवाजाही के संबंध में ठोस सूचना देने वाले मुखबिरों को उपयुक्त पुरस्कार देने का प्रावधान है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि कितनी सूचनाएँ इस आधार पर मिलीं और कितने लोगों को इन्होंने अभी तक पुरस्कार दिया है? जो 25 लाख रुपये तक की घोषणा इन्होंने की है, उसके प्रति

उत्साहित होकर और नकली दवाओं के प्रति सतर्क होकर कितने लोगों ने सरकार को इनफॉर्म करने का काम किया, इसका क्या ब्यौरा है?

श्री गुलाम नबी आज़ाद : मैडम, मैंने पहले ही उत्तर में बताया है कि स्पूरियस ड्रग्ज़ की रोकथाम के लिए क्या स्टैप्स गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं और जो ड्रग्ज़ एंड कॉस्मैटिक्स एक्ट है और रूल्स हैं, उसमें भी तरमीम लाई है और सज़ा बढ़ा दी है। अब उम्र कैद तक की सज़ा भी हो सकती है। उसमें पैनल्टी ज़्यादा है, और स्पेशल कोर्ट्स का प्रावधान है। बहुत सारी राज्य सरकारों ने स्पेशल कोर्ट्स बनाए हैं, गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज़ लागू की हैं। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो आपने पूछा कि पिछले तीन सालों में कितना सीज़ हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ कि 2009-10 में 10 करोड़ 70 लाख रुपये कीमत के करीब की दवाइयाँ सीज़ हुई थीं। 2010-11 में करीब 1 करोड़ 21 लाख रुपये, 2011-12 में 9 करोड़ 97 लाख रुपये के करीब और 2012 में अप्रैल-जुलाई तक करीब 1करोड़ 89 लाख रुपये कीमत की दवाइयाँ सीज़ हुईं।

SHRI P.C. CHACKO : Madam, thank you very much for giving me this opportunity.

The hon. Minister has explained that the Drugs and Cosmetics Act, 2008, has made the punishment very stringent. It is up to 10 years and beyond. In the statistics given by the hon. Minister, the numbers are given about the spurious sample detected. But in these statistics, the number of prosecutions launched and the number of persons arrested, was not given. That shows that the samples spurious detected are in huge numbers even in thousands. Finally, when it comes to the number of persons arrested or persons prosecuted or prosecution launched, all columns are nil. That shows that the implementation of this Drugs and Cosmetics Act is not being taken up seriously by the State Governments. This is a matter to be dealt by the States also. I feel that India is the only country in the world where anybody can buy any drug from any cosmetic or drug store without any prescription from a doctor.

Madam, there is another question related to this. The hon. Minister has mentioned about the generic drugs. The doctors have been prescribing the branded drugs which are four or five times costlier than the generic drugs. Will there be a prescription or a rule made that the doctors should not prescribe branded

drugs but they should prescribe generic drugs? Will there be a oversee mechanism by the Ministry of Health to implement Drugs and Cosmetics Act, 2008, more stringently?

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, the hon. Member has mentioned that the drugs have been tested, samples have been tested and also the drugs found spurious or adulterated have also been seized but no prosecution has been launched.

For the benefit of the House, I would like to mention that in 2009-10, the prosecution was launched against as many as 138 persons and number of persons arrested was 173. In 2010-11, the prosecution was launched against 167 persons and number of persons arrested was 72. In 2011-12, the prosecution was launched against 2011 and number of persons arrested was 141. Till July this year, the number of prosecution launched was against 83 individuals and number of persons arrested was 39. The cases against all these persons are at different stages in different parts of the country.

SHRI ANANDRAO ADSUL : Madam, if we see the statement given by the hon. Minister in his reply, you will find that in the State of Maharashtra, the number of non-standard drugs is increasing year by year. In the year 2009-10, the number of drug samples tested was 5,877 and the number of non-standard drugs found was 378; In the year 2010-11, the number of drugs sample tested was 6,494 and the number of non-standard drugs found was 449; In the year 2011-12, the number of drug samples tested was 6,928 and the number of non-standard drugs found was 521; and in the year 2012, for the first four months, that is, from April to July, the number of drug samples tested was 2,529 and the number of non-standard drugs found was 117. So, year by year the number of non-standard drugs is increasing. What is the reason as to why it is increasing in the State of Maharashtra? What is the precaution the Government is going to take in this regard?

SHRI GHULAM NABI AZAD: Madam, there are some States where we have the hubs of pharmaceutical companies. Definitely, it will not increase in Bihar or

Uttar Pradesh or Madhya Pradesh where there are no pharmaceutical companies. The pharmaceutical companies are mostly located in Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, and in the areas very close to Chandigarh, and these are mostly the hubs. Naturally, depending on the size and the number of pharmaceutical companies in a particular Region, the sample survey will also be the most as compared to other parts of the country where the number of pharmaceutical units is far less.

As far as the Government of India is concerned, I have already illustrated earlier the steps taken by the previous Government and also this Government, and I am sure that as a result of the steps taken from time to time by the successive Governments, the number of spurious drugs has not even crossed one per cent or it has not even reached one per cent.

(Q. 202)

SHRI PRALHAD JOSHI : Madam, the Government itself accepted that there is a substantial gap between operational Anganwadi Centres and sanctioned Anganwadi Centres. According to the information available through the Government source itself, one of the major reasons for this gap is due to non-availability of building and litigation. For this, the Government of India does not provide building, that is, the infrastructure of the Anganwadi Kendras to be centrally located either in the village or in the related wards of the city. Also there are proper guidelines or strict guidelines for the selection of the Anganwadi workers and Anganwadi helpers. The situation is such that the Anganwadi Kendras are being run now in the rented buildings, and as per the Government record itself, 43 per cent of the Anganwadi Kendras do not have safe and proper drinking water. Also the Millennium Development Goal is to be achieved through these Anganwadis. The Anganwadi workers are being used not only for the work related to these Anganwadi Kendras but also for many other works such as pulse polio, visiting the houses for checking the pregnant women. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री प्रहलाद जोशी : महोदया, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदया : आप भूमिका बहुत लम्बी कर रहे हैं। अब आप प्रश्न पूछिए।

SHRI PRALHAD JOSHI : My question is this. Basically the gap is because of that. I would like to know from the hon. Minister whether the Government is going to provide fund for the building of these Anganwadi Kendras so that these centres can be located centrally.

MADAM SPEAKER: Please ask just one question.

SHRI PRALHAD JOSHI : Madam, I would also like to know whether the Government is considering to revise and increase the remuneration of the Anganwadi Workers because they are almost doing fulltime work as on today.

MADAM SPEAKER: How many questions would you ask? You have to ask just one question. Do not ask so many questions. I will give you another chance to ask second Supplementary also.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। वे सब बता देंगी।

SHRI PRALHAD JOSHI : Madam, it is all related. So, whether they would issue the strict guidelines so that this situation can be avoided.

MADAM SPEAKER: Please sit down.

…(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा तीरथ : अध्यक्ष महोदया, इन्होंने बहुत लम्बा एक प्रश्न किया है।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : नहीं, आप एक का जवाब दीजिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग क्यों बोलने लगते हैं।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: He has garnered so much support for what he is doing. How will I run the House, tell me.

… (*Interruptions*)

श्रीमती कृष्णा तीरथ : इन्होंने सबसे पहले यह कहा है कि हमारी आंगनबाड़ी सैंक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से की है, वह एप्रूव्ड है चौदह लाख आंगनबाड़ी। पर, यह राज्यों के ऊपर डिपेन्ड करता है। मैंने राज्यों को पूरी छूट दे रखी है कि वे जितना चाहें मांगें। हम पूरा देने के लिए तैयार हैं। अभी तक वर्ष 2009-10 में जो हमने आंगनबाड़ी सैंक्शन किए हैं, वे हैं 13,66,624, ऑपरेशनल है 11,42,029। उसी तरह से उनमें बढ़ोतरी होती गयी। फिर वर्ष 2010-11 में 12,62,267। वर्ष 2011-12 में 13,00,461 और अब ऑपरेशनल आंगनबाड़ी 13,19,097 है। जो राज्य सरकारें जितना मांगती हैं, हम उतना देते हैं।

दूसरी बात आपने कही कि जो गैप आया है, वह गैप क्यों है? गैप है क्योंकि कहीं-कहीं राज्य सरकारों ने जो उनमें ऑफीसर्स रखे हैं, जैसे सीडीपीओ है, उनका सुपरवाइजर है या आंगनबाड़ी वर्कर है, आंगनबाड़ी हेल्पर है, उनमें राज्य सरकार अपनी पोस्ट सैंक्शन नहीं करती है। बार-बार हम लोग भी पत्र लिखते हैं। मैंने खुट विज़िट किया। मेरे ऑफिशियल्स सेक्रेटरी, ज्वायंट सेक्रेटरी सब विज़िट करके आए और

यह विज़िट हमने किया अभी रिसेंटली मैंने 19 और 20 अप्रैल, 2012 को स्टेट सेक्रेटेरियट और डब्ल्यू.सी.जी. मिनिस्टर्स को बुलाकर बात की, 27-28 जून, 2012 को स्टेट और यू.टी. के चीफ सेक्रेटरीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। 13-14 सितम्बर, 2012 को भी मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस की गयी। ...(व्यवधान) एक मिनट सुन लीजिए। मैं अभी बता रही हूं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मंत्री महोदया कह रही हैं कि ये बता रही हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अभी वह कह रही हैं कि बता रही हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा तीरथ : भारत सरकार से आंगनबाड़ी सेन्टर शुरू करने के लिए जो पहले हम पांच हजार रुपये देते थे, अब हमने सात हजार रुपये कर दिये। अब मिनी आंगनबाड़ी को शुरू करने के लिए भी पांच हजार रुपये दिए। जैसा उन्होंने कहा कि किराया कम है, किराया हमारा बढ़ा है। पहले रूरल का 200 रुपये था, अब उसको बढ़ाकर 750 रुपये किया है। ...(व्यवधान) इसमें राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी है। ...(व्यवधान) दूसरा, अर्बन एरियाज में सेंट्रल गवर्नमेंट जो पहले 750 रुपये देती थी, उसे अब 3,000 रुपये किया और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो आंगनबाड़ी चल रही है, इसके लिए किराया 750 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये किया गया है। हमने मेडिकल किट के लिए भी 600 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये दिये हैं। मिनी आंगनबाड़ी के लिए इसे 500 रुपये कर दिया है। प्री-स्कूल किट के लिए 1,000 रुपये से 3,000 रुपये किये गये। मिनी आंगनबाड़ी के लिए 500 रुपये से 1500 रुपये किये गये। मॉनिटरिंग के लिए 500 रुपये से 1,000 रुपये किये गये। वेइंग मशीन के लिए हमने 5,000 रुपये देना शुरू किया, जिसकी वहां फैसिलिटीज़ हैं।

इन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी में पल्स पोलिया की व्यवस्था है। गर्भवती महिलाओं को चेक-अप के लिए बुलाते हैं। हमारे विभिन्न जगहों में जो हेल्थ मिनिस्ट्री हैं जिसके माध्यम से हर आंगनबाड़ी में प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वूमेन की चेक-अप के लिए डॉक्टर आते हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : दूसरा सवाल पूछिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा तीरथ : किसी राज्य सरकार की कोई कम्प्लेन नहीं आयी है, इसके बावजूद Restructure of Anganwadi और Strengthen of Anganwadi किया गया है। ...(व्यवधान)

श्री विष्णु पद राय : *…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ऐसे नहीं बोलिए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: All this will not go on record.

(Interruptions) … *

अध्यक्ष महोदया : विष्णु पद राय जी, यह क्या कर रहे हैं?

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : विष्णु पद राय जी, ऐसे नहीं बोलिए। बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठिए।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: This will not go on record.

(Interruptions) … *

अध्यक्ष महोदया: अब आप दूसरा प्रश्न पूछिए।

…(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा तीरथ: आंगनबाड़ी और मनरेगा को स्ट्रेंथन करने के लिए रीस्ट्रक्चर किया गया है। रूरल डेवलपमेंट में कंवर्जन से दो लाख आंगनबाड़ी अभी बनने जा रहे हैं, ये पूरा इनका उत्तर है।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब आप दूसरा प्रश्न पूछिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप अपने माननीय सदस्य को प्रश्न पूछ लेने दीजिए।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए, फिर खड़े हो गए। अभी हमने बलीराम जी को कहा था कि सामने खड़े नहीं होते।

… (*Interruptions*)

* Not recorded.

MADAM SPEAKER: All these will not go on record.

(Interruptions) …[*]

अध्यक्ष महोदया: आप क्या कर रहे हैं? माननीय सदस्य को प्रश्न पूछने दीजिए।

…(व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Unfortunately, I have to tell him that he should not intervene when the Minister speaks.… (*Interruptions*)

श्री प्रहलाद जोशी : मैडम, मंत्री जी रिफ्यूट कर रहे हैं।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप प्रश्न पूछिए, लम्बी भूमिका मत करिए।

SHRI PRALHAD JOSHI : My Question was regarding the funding by the Ministry as far as own building is concerned. Madam, that was not properly replied. I want to bring this to your notice. That is not replied.

My next question was about remuneration which is very, very less. It is below the minimum wages. That may kindly be noted. It is below the minimum wages. I had asked that question. It was not replied. I hope she will reply after my second supplementary.

My question is, one of the most focused features of this scheme is, supply of hot food or at least locally cooked food. But unfortunately, what is this Government doing? I do not understand. Is it sleeping? The cooking gas, which was being supplied at domestic rate, is now being stopped. The Anganwadis have been told to purchase cooking gas by paying at commercial rate. The Prime Minister has said that malnutrition of 42 per cent children is a national shame. Just the Prime Minister making a statement that it is a national shame, is this problem going to solve? These people are not supplying cylinder to the Anganwadis and Mid-day Meal Scheme at domestic rate. They are giving only Rs.4 for the food. Out of that, Rs.2 is given by the Centre and Rs.2 is given by the State. Out of Rs.2,

---

[*] Not recorded.

they have to pay for the cooking gas at commercial rate. What is this? Is the Government going to write to the concerned Ministry? Or, is it going to subsidize the cylinder from its Department? I want a specific answer both for my first and second questions as far as remuneration is concerned and as far as cylinder is concerned.

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, आप बैठ जाइए।

श्रीमती कृष्णा तीरथ: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं, ... * अभी मैंने जो बताया।...(व्यवधान) अब आप या तो प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए या * मैं आपसे कहना चाहती हूं,...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, जब ये प्रश्न करते हैं तो मैं आराम से सुनती हूं।...(व्यवधान) जब ये जवाब सुनते हैं, तब भी बोलते हैं।...(व्यवधान) आपने मुझे खड़ा किया।...(व्यवधान) आपने जो प्रश्न पूछे, मुझे उनका उत्तर देने दीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप क्या चाहते हैं, क्या करूं? आप क्या कह रहे हैं? इस तरह क्यों गुस्सा हो रहे हैं? क्या करूं, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठें तो हम आगे बढ़ाएं।

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing is going on record.

*(Interruptions) ... **

अध्यक्ष महोदया: ये ऐसे क्यों कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) ...**

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइये। क्या हो गया? बैठिये, आप भी बैठ जाइये।

* Not recorded.

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions) …**

MADAM SPEAKER: Please sit down.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, बैठ जाइये। आगे तो बढ़ाइये।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: There are so many questions. Very important questions are there.

… (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: विजया चक्रवर्ती जी, बैठ जाइये। आप भी बैठ जाइये।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: हम यहां पर किसलिए हैं? हम रिकार्ड मंगाएंगे, हम उसे देखेंगे।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अच्छा, ठीक है, हम रिकार्ड मंगाएंगे, हम उसे देखेंगे और एक्सपंज कर देंगे। यह गलत है।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आपकी बात हो गई।

…(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: What do you want me to do? Shall we come to a standstill? I am saying I will call for it. I will call for the record. ठीक है। I will call for the record and whatever is unparliamentary which should be expunged, I will have it removed immediately.

Now shall we proceed?

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब मैं क्या करूं? रिप्लाई करायें? ठीक है। अब उनसे रिप्लाई कराने को कहें? हां, अब आप शान्त रहिये। मंत्री जी, आप रिप्लाई करिये।

* Not recorded.

श्रीमती कृष्णा तीरथ: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि इन्होंने जो कहा, उसके रिप्लाई में मैं कहना चाहती हूं कि आंगनबाड़ी बनाने के लिए हम लोग 4.5 लाख रुपये अभी री-स्ट्रक्चरिंग और स्ट्रेंदन दि आंगनबाड़ीज़ सैंक्शन किया है। जो राज्य आंगनबाड़ी बनाना चाहता है, हम 4.5 लाख रुपये पर आंगनबाड़ी उन्हें देते हैं। दूसरी जो ऑनरेरिया की बात आई, हमने आंगनबाड़ी वर्कर को जो पहले 1500 रुपये था, उसे तीन हजार रुपये किया है और उसमें स्टेट शेयर भी है। कहीं-कहीं, जैसे गोवा में चार-साढ़े चार हजार रुपये प्लस करके देते हैं। दिल्ली में तीन हजार रुपये के साथ एक हजार रुपये प्लस करते हैं। इसी तरह हर राज्य भी अपना-अपना पैसा बढ़ाता है।

दूसरा री-स्ट्रकचरिंग में मनरेगा के साथ मैंने कहा कि कन्वर्जेंस किया है, यह लिजिबल वर्क है, उसमें मनरेगा हमारे साथ मिलकर आंगनबाड़ी कंस्ट्रक्शन और उसमें स्वच्छ पेयजल का प्रावधान करने के लिए योजना बनाई जा रही है। राज्य सरकारें अन्य कार्यक्रम में भी इसको कन्वर्ज कर रही हैं। दूसरी जो इन्होंने बात कही कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को बहुत सारे काम दिये जाते हैं, जैसे पल्स पोलियो का है तो उसके लिए अगर हैल्थ डिपार्टमेंट काम देता है या जो डिपार्टमेंट काम देता है तो उसके लिए अलग से ऑनरेरिया 100 रुपये या 200 रुपये, जैसा भी हो, वह उसे दिया जाता है।...(व्यवधान)

श्री मदन लाल शर्मा : मैडम स्पीकर, पहले तो इस क्वश्चन से ऑनरेबिल मैम्बर्स साहेबान के जज्बात को देखिये। इस पर खास बहस रखी जानी चाहिए, क्योंकि, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। दूसरे...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप क्यों खड़े हो गये? बैठ जाइये।

श्री मदन लाल शर्मा : मैडम स्पीकर, मैं आपकी वसाकत से ऑनरेबिल मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि पहले तो यह बहुत ही अच्छी स्कीम है। देश के लाखों-करोड़ों लोगों को इसका फायदा हुआ है। लेकिन जो लोग इस फायदे से वंचित रह गये हैं, खासकर पहाड़ी राज्यों में, जैसे मेरे जम्मू-कश्मीर में राजौरी और पुंछ में जहां शैड्यूल ट्राइब्स लोग रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, वहां बहुत कम घर होते हैं, स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, उन्हें आज तक इस स्कीम का फायदा नहीं मिला। उसका कारण है कि इनके नये सेंटर खोलने के लिए जो नार्म्स है, शायद ये आबादी के आधार पर उसे खोलते होंगे। लेकिन एक छोटा बच्चा, जिसे स्कूल जाने से पहले आंगनबाड़ी में आना चाहिए, वह दो-तीन किलोमीटर उन पहाड़ियों में सा[illegible] करके आंगनबाड़ी सेंटर में नहीं पहुंच सकता। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे जो बैकवर्ड और पहाड़ी स्टेट्स हैं, जहां बैकवर्ड और शैड्यूल ट्राइब्स के लोग रहते हैं, उनके लिए इस क्राइटेरिया को रिलैक्स करने के लिए आपके पास क्या कोई योजना है, क्या करने जा रहे हैं और क्या ऐसा कुछ सोचते हैं?

श्रीमती कृष्णा तीरथ : अध्यक्ष जी, यह ठीक है कि मिनी आंगनबाड़ी के लिए 400 की पॉपुलेशन और आंगनबाड़ी सेंटर के लिए 800 की पॉपुलेशन है, लेकिन जहां पहाड़ी एरिया है, वहां हमने राज्य सरकारों को छूट दे रखी है कि वहां जो भी पॉपुलेशन है, अगर आंगनबाड़ी की वहां जरूरत है, वहां 10 या 15 बच्चे भी हैं तो आंगनबाड़ी खोलेंगे। कुछ जगह जम्मू और कश्मीर में मोबाइल आंगनबाड़ी भी काम करती है। मोबाइल आंगनबाड़ी के माध्यम से फैसिलिटीज बच्चों को दी जाती हैं।

(Q. 203)

श्री कपिल मुनि करवारिया : अध्यक्ष महोदया, बाल संरक्षण गृह में बच्चों से दुर्व्यवहार और उनका शोषण होने की घटनायें अक्सर समाचार पत्रों में देखने को मिलती हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र फूलपुर, इलाहाबाद में भी पिछले वर्ष बाल संरक्षण गृह में बच्चों के शोषण और उनके साथ दुर्व्यवहार की घटनायें घटित हुयी हैं। संरक्षण गृह में बच्चों से होने वाले ऐसे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए और भी सख्त कदम उठाने की सरकार की क्या कोई योजना है?

श्रीमती कृष्णा तीरथ : महोदया, मैं बताना चाहती हूं कि इनका प्रश्न कुछ और था, लेकिन ये बाल संरक्षण गृह पर आ गए। इन्होंने प्रश्न किया था कि सरकार रेस्टोरेंट, थियेटर, होटल्स, रिसोर्ट्स, विमान जैसी जगहों पर जहां बच्चों को नहीं जाने दिया जाता है, क्या वहां जाने दिया जाएगा? जिन बाल गृह की ये बात कर रहे हैं, वहां एनसीपीसीआर काम करता है। एनसीपीसीआर इस तरह के बच्चों का संज्ञान लेता है। जहां ऐसी कोई कंप्लेंट आती हैं, वहां एनसीपीसीआर की एक टीम गयी। उसकी रिपोर्ट आयी और उस पर एक्शन लिया गया। ...(व्यवधान)

श्री कपिल मुनि करवारिया : अध्यक्ष महोदया, मेरा सवाल मंत्रालय से ही संबंधित है। दिल्ली जैसे महानगरीय शहरों में, पॉश क्षेत्रों में, ट्रैफिक सिग्नल पर जब रेड लाइट होती है, तो चार से दस साल के बच्चे गाड़ियों की तरफ दौड़ते हैं। यह रोजमर्रा का दृश्य है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि सरकार ऐसे बच्चों को सड़कों के स्थान पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा हेतु बाल अधिकार अधिनियम, 2009 के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या कोई कदम उठाएगी?

श्रीमती कृष्णा तीरथ : अध्यक्ष महोदया, मैं फिर कह रही हूं कि यह अपने प्रश्न से...*, लेकिन मैं इसका जवाब जरूर दूंगी। ...(व्यवधान) आप अगर प्रश्न देखें ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। यह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*(Interruptions) ...**

श्रीमती कृष्णा तीरथ : इंटीग्रेटिड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत हमने विभिन्न राज्यों में ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बच्चों से संबंधित है, उनको बताने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा तीरथ : इंटीग्रेटिड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम विभिन्न राज्यों में है। वहां बच्चों के बाल गृह काम करते हैं। वहां केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मदद करती हैं। इंटीग्रेटिड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के

* Not recorded.

लिए सभी राज्यों से एमओयू साइन किया गया है। अब मैं इनका प्रश्न पढ़ती हूं। इन्होंने प्रश्न किया था कि क्या सरकार रेस्टोरेंट, थियेटर, होटल, रिसोर्ट, विमान जैसे क्षेत्रों को बाल मुक्त जोन करने पर विचार कर रही है? ...(व्यवधान) इनका यह प्रश्न है। आईसीपीएस, जो हमारा इंटिग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है उसके अंतर्गत इनके सवाल का जवाब है कि वे बच्चे जो स्ट्रीट चिल्ड्रेन, सरेण्डर्ड, अबेन्डेंड या सड़क के किनारे रहते हैं, उन जगहों पर जहां पर राज्यों ने होम्स बनाए हैं उनमें आते हैं, वहां खाना फ्री, पढ़ना-लिखना होता है। वे दिन भर भी वहां रह कर शाम को अपने घर जा सकते हैं। यह प्रोविजन भी सरकार ने किया है।...(व्यवधान)

SHRI S.S. RAMASUBBU : Thank you Madam Speaker for this important Child Protection question. This question itself is about Child free zones in the areas like restaurant, theatres, and hotels and resorts. This question itself is against the child protection because in all the places, we will bring the children. Even then I request on one question through you, Madam, that there is a child missing cases nowadays. We have to protect the children but the issue of child missing is very pathetic in all the places. The school going children are missing. Sometimes, they come to restaurants, they come to the crowded places and they are missing in those places. In such circumstances, what kind of action our Government is taking in this regard. I want to know this Madam.

श्रीमती कृष्णा तीरथ : मैडम, इन्होंने जो लापता बच्चों की बात की उसके लिए हमारी चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 है। ...(व्यवधान) जितने लापता बच्चे हैं अगर उनका कॉल 1098 पर आता है...(व्यवधान), चाहे वह एनसीपीसीआर में आए, एनसीपीसीआर के साथ आइसीपीएस में, जो इंटिग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है उनके पास जो हमारे होम्स हैं, वहां बच्चे आते हैं। अगर कुछ बच्चे बिल्कुल ही लापता हैं तो उनका रिकार्ड होम मिनिस्ट्री के पास जो हमारे थाने हैं उनके पास है, उन से भी रिकार्ड ले कर देखा जाता है। आईसीपीएस के अंदर जो फंडिंग है, हम उसे फंड करते हैं। ये जो शेल्टर होम्स हैं, हर राज्य में स्थापित हैं। जिन राज्यों से शिकायतें आतीं हैं, अगर किसी को भी बच्चा सड़क पर मिले तो वह 1098 पर कॉल करते हैं और वहां से वह बच्चा उस राज्य के होम में जाता है।

SHRIMATI HARSIMRAT KAUR BADAL: The hon. Minister in Part 'E' of her answer has given a long list of various laws, Protection of Child from Sexual Offence act, Prohibition of Child Marriage Act, Juvenile Justice Act, Free and

Compulsory Education and a lot of Commissions that have been formed. But I do not think there is any doubt in this country that there are a whole load of laws, a whole host of Commissions. When it comes to the implementation and punishment for the violation of these laws, the data is very poor and the result is very poor. So, making the laws and making the Commissions is not the answer. Her own Women and Child Development Ministry's study on Child abuse says that 53.22 per cent of all Indian children face one kind of offence. That means one in every two children is facing sexual abuse which is a very severe matter. So, Madam, number one, I would like to appeal to you that where issues of women and children are concerned, they get very little priority in this House. A proper debate should be conducted on them. The answers given by the hon. Minister and the Ministry are often inadequate compared to what the reality of the situation is.

Lastly, what I would like to point out to the Minister is that in a country where every third child is with mal-nutrited, where every second child is under way, we are running Anganwadi Centres. Fifty per cent of our children are facing child abuse. Now what is being done to make these children aware? If I am facing abuse, where should I go? Who should I turn to? If my parents are forcing me for child marriage, what do I do? Where do I go? So, making the Commissions is not as important as making the child aware of what he has to do and where he can go to safeguard himself. So for this, I would like to ask the Minister that what my logic tells me is that the most obvious thing would be to involve the teachers because the school is one place where a child can go and speak to someone because often these sexual abuses and offences are committed or child marriages are done by people at home. There the child is scared to talk about it. So, instead of making justice, Commissions with fancy headings, will the Minister tell what steps have been taken to make the children aware of their rights? Are they planning to involve schools in this? How are they going to implement so that children are aware of what their rights are?

श्रीमती कृष्णा तीरथ: अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्या ने बहुत से सुझाव दिए हैं कि स्कूलों में उन्हें बताना चाहिए बाल यौन के बारे में या चाइल्ड मैरिज के बारे में, मैंने इनसे कहा है कि हर चीज के लिए हमारी हेल्पलाइन काम कर रही है और राज्य सरकारों की भी इसमें जिम्मेवारी है क्योंकि सभी राज्यों में चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, चण्डीगढ़ हो, …(व्यवधान) अभी हमने एक एक्ट - प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्राम सेक्सुअल ऑफेंस बनाया है। उसमें ये सारे प्रावधान किए गए हैं। इसमें राज्यों की जिम्मेवारी भी बनती है। इस एक्ट के अंतर्गत मिनिमम सजा दस साल है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रॉविजन है।…(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : मैंने पूछा है कि बच्चों की अवेयरनेस के लिए क्या किया जा रहा है कि बच्चे को कैसे पता लगा कि मैं कहां जाऊं और क्या करूं?

श्रीमती कृष्णा तीरथ: अध्यक्ष महोदया, राज्य सरकारों को इसके लिए इंस्ट्रक्शन्स दी गयी हैं। जो हमारा आईसीपीएस है, वह राज्य सरकारों में अलग है। अगर 1098 पर कम्पलेंट आती है, तो हमारा एनसीपीसीआर और मिनिस्ट्री काम करती है। …(व्यवधान) मैंने बार-बार कहा है कि हमारा एक नम्बर है, मान लीजिए कोई बच्चा अगर महाराष्ट्र में मिसिंग है, 1098 पर पूरे देश में उसकी बात पहुंचती है। आपने सुझाव दिया कि स्कूलों में अवेयरनेस करनी चाहिए, हमने स्कूलों को भी आलरेडी पत्र लिखे हैं। स्कूलों के माध्यम से राजस्थान में, जहां चाइल्ड मैरिज ज्यादा होती है, उनमें भी हमारा एनसीपीसीआर एक टीम बनाकर समय-समय पर जैसे अक्षय तृतीया, देवोत्थानी एकादशी आदि दिनों में इस बात पर निगरानी रखता है कि कोई चाइल्ड मैरिज न हो। माननीय सदस्या के अन्य सुझावों को नोट कर लिया गया है।…(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह : महोदया, इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए।…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप नोटिस दे दीजिए। मुझे भी लगता है कि यह बहुत गंभीर विषय है। आंगनवाड़ी, बच्चों और महिलाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनसे, मैं देख रही हूं कि पूरा सदन उद्वेलित है। आप नोटिस दे दीजिए, इस पर चर्चा होनी आवश्यक है।

…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इसको जल्दी कर लेते हैं, समय कम है।

(Q. 204)

SHRI J.M. AARON RASHID : Madam, in our country the insurance companies are growing like mushrooms. In every field like life insurance, vehicle insurance, property insurance, these companies give very attractive offers to get huge public amount at large. Apart from this, it is noticed that some insurance companies have allegedly been indulging in evasion of service tax. Therefore, I would like to know through your good self from the hon. Minister about the details of the insurance company firms, including the names of such firms and the amount of service tax due to each one of them in the last three years and the current year. … (*Interruptions*)

MADAM SPEAKER Please ask the question. There is no time.

SHRI J.M. AARON RASHID : How much service tax has been recovered from these companies so far?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, the Annexure to the answer has listed the insurance companies in respect of which there are allegations or there is suspicion of evasion of service tax, year-wise. So, the answer to a part of the hon. Member's question has already been furnished.

Now as far as evasion of service tax is concerned, we must remember that Insurance Auxiliary Services in relation to general insurance business was brought into the tax net only with effect from the 16^{th} of July, 2001 and in relation to life insurance business, only with effect from 16^{th} of August, 2002. That is about ten years. In ten years, these provisions are being implemented. As I have said in the answer, in respect of the companies against which there is *prima facie* case, show-cause notices have been issued.

In many cases the demands have been confirmed. They are pending in appeal. In some cases the investigation is under way. In some cases even some tax has been recovered. So, when these cases are pending in appeal or under investigation, it may not be possible to exactly quantify the tax liability at this stage. If the hon. Member wants to know about any particular company the state of

the tax proceeding, I have it. But it may not be proper to disclose when an investigation or inquiry is under process. I have the details in respect of each company.

12.00 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

MADAM SPEAKER: Now Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI GHULAM NABI AZAD): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the HSCC (India) Limited, Noida, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the HSCC (India) Limited, Noida, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7678/15/12)

(b) (i) Review by the Government of the working of the HLL Lifecare Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the HLL Lifecare Limited, Thiruvananthapuram, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7679/15/12)

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Nursing Council, New Delhi, for the year 2011-2011.

(ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Nursing Council, New Delhi, for the year 2011-2011, together with Audit Report thereon.

(iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Nursing Council, New Delhi, for the year 2011-2011.

(Placed in Library, See No. LT 7680/15/12)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Board of Examinations, New Delhi, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Board of Examinations, New Delhi, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7681/15/12)

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Mahatama Gandhi Institute of Medical Sciences and Kasturba Hospital ,Wardha, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Mahatama Gandhi Institute of Medical Sciences and Kasturba Hospital,Wardha, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7682/15/12)

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of section 20 of the Dentists Act, 1948:-

(i) The Dental Council of India (Establishment of New Dental Colleges, Opening of New or Higher Course of Study or Training and increase of Admission Capacity in Dental Colleges) (4th Amendment) Regulations, 2006 (Hindi and English versions) published in Notification No. DE-22-2012 in Gazette of India dated 22nd May, 2012.

(ii) The Dental Council of India Revised BDS Course (5th Amendment) Regulations, 2007 (Hindi and English versions) published in Notification No. DE-22-2012 in Gazette of India dated 1st June, 2012.

(iii) The Dental Council of India Revised MDS Course (2nd Amendment) Regulations, 2007 (Hindi and English versions) published in Notification No. DE-22-2012 in Gazette of India dated 1st June, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 7683/15/12)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): On behalf of Shri Dinsha Patel, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(1) Review by the Government of the working of the Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur, for the year 2011-2012.

(2) Annual Report of the Mineral Exploration Corporation Limited, Nagpur, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7684/15/12)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI KRISHNA TIRATH): I beg to lay on the Table a copy of the Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 823(E) in Gazette of India dated 14th November, 2012 under sub-section (3) of Section 45 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 7685/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRI D. NAPOLEON): On behalf of Shri Srikant Jena, I beg to lay on the Table a copy of the National Pharmaceuticals Pricing Policy, 2012 (NPPP-2012) (Hindi and English versions).

(Placed in Library, See No. LT 7686/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRIMATI PANABAKA LAKSHMI): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the GAIL (India) Limited, New Delhi, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the GAIL (India) Limited, New Delhi, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7687/15/12)

(b) (i) Review by the Government of the working of the Oil and Natural Gas Corporation Limited, New Delhi, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the Oil and Natural Gas Corporation Limited, New Delhi, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7688/15/12)

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 62 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006:-

(i) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines)

Amendment Regulations, 2012 published in Notification No. F. No. REG/T4S/NGPL/1/2012 in Gazette of India dated 3rd September, 2012.

(ii) The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Eligibility Conditions for Registration of Liquefied Natural Gas Terminal) Rules, 2012 published in Notification No. G.S.R. 805(E) in Gazette of India dated 31st October, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 7689/15/12)

(3) A copy of the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Amendment Order, 2012 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 647(E) in Gazette of India dated 23rd August, 2012 under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955.

(Placed in Library, See No. LT 7690/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.S. PALANIMANICKAM): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-

(i) Review by the Government of the working of the New India Assurance Company Limited, Mumbai, for the year 2011-2012.

(ii) Annual Report of the New India Assurance Company Limited, Mumbai, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(Placed in Library, See No. LT 7691/15/12)

(2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

(i) The Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2012 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2012-13/15/20426 in Gazette of India dated 11th September, 2012.

(ii) The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2012 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2012-13/17/21502 in Gazette of India dated 26th September, 2012.

(iii) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2012 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2012-13/12/18951 in Gazette of India dated 24th August, 2012.

(iv) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) (Amendment) Regulations, 2012 published in Notification No. LAD-NRO/GN/2012-13/19/5392 in Gazette of India dated 12th October, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 7692/15/12)

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Empowered Committee of State Finance Ministers, New Delhi, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Empowered Committee of State Finance Ministers, New Delhi, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7693/15/12)

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:-

(i) G.S.R.676 (E) published in Gazette of India dated 10th September, 2012, together with an explanatory memorandum regarding inclusion of inland Container Depot, Irungattukottai, SIPCOT Industrial Park, Kattrambakkam Village, Sriperumbudur Taluk, Kanchipuram District, Tamil Nadu in the list of

ports from where imports and exports are permitted under the customs notifications issued for implementing the Export Promotion Schemes.

(ii) S.O.2716(E) published in Gazette of India dated 14th November, 2012, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 36/2001-Cus.,(N.T.) dated 3rd August, 2001.

(iii) S.O.2719(E) published in Gazette of India dated 16th November, 2012, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or vice-versa for the purpose of assessment of imported and export goods.

(iv) S.O.2661(E) published in Gazette of India dated 31st October, 2012, together with an explanatory memorandum making certain amendments in Notification No. 36/2001-Cus.,(N.T.) dated 3rd August, 2001.

(v) S.O.2669(E) published in Gazette of India dated 1st November, 2012, together with an explanatory memorandum regarding revised rates of exchange for conversion of certain foreign currencies into Indian currency or vice-versa for the purpose of assessment of imported and export goods.

(Placed in Library, See No. LT 7694/15/12)

(5) A copy of the 19th Progress Report (Hindi and English versions) on the action taken pursuant to the recommendations of the Joint Parliamentary Committee on Stock Market Scam and matters relating thereto, December, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 7695/15/12)

(6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Development Economics-Delhi School of Economics, Delhi, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Development Economics-Delhi School of Economics, Delhi, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7696/15/12)

(7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Policy Research, New Delhi, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Policy Research, New Delhi, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7697/15/12)

(8) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Madras School of Economics, Chennai, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Madras School of Economics, Chennai, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7698/15/12)

(9) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Studies in Industrial Development, New Delhi, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7699/15/12)

(10) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Council of Applied Economic Research, New Delhi, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Council of Applied Economic Research, New Delhi, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7700/15/12)

(11) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Institute for Social and Economic Change, Bangalore, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Institute for Social and Economic Change, Bangalore, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7701/15/12)

(12) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Pratichi (India) Trust, Delhi, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Pratichi (India) Trust, Delhi, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7702/15/12)

(13) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 23A of the Regional Rural Banks Act, 1976:-

(i) S.O.2664(E) published in Gazette of India dated 1st November, 2012, regarding amalgamation of Madhya Bharat Gramin Bank, Sharda Gramin Bank and Rewa Sidhi Gramin Bank as Madhyanchal Gramin Bank.

(ii) S.O.2665(E) published in Gazette of India dated 1st November, 2012, regarding amalgamation of Narmada Malwa Gramin Bank and Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank as Narmada Jhabua Gramin Bank.

(iii) S.O.2666(E) published in Gazette of India dated 1st November, 2012, regarding amalgamation of Nainital Almora Kshetriya Bank and Uttaranchal Gramin Bank as Uttarakhand Gramin Bank.

(iv) S.O.2667(E) published in Gazette of India dated 1st November, 2012, regarding amalgamation of Cauvery Kalpatharu Grameena Bank, Chikmagalur Kodagu Grameena Bank and Visveshvaraya Grameena Bank as Kavery Grameena Bank.

(v) S.O. 2668(E) published in Gazette of India dated 1st November, 2012, regarding amalgamation of Rushikulya Gramya Bank and Utkal Gramya Bank as Utkal Grameen Bank.

(Placed in Library, See No. LT 7703/15/12)

(14) A copy of the Notification No.G.S.R.758(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 10th October, 2012, together with an explanatory memorandum regarding provisions of Section 28AAA of the Customs Act, 1962 shall be applicable in regard to like matters in respect of the duties imposed by Section 3 of the Central Excise Act, 1944 under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944.

(Placed in Library, See No. LT 7704/15/12)

(15) A copy of the Consolidated Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of Regional Rural Banks for the year ended 31st March, 2012.

(Placed in Library, See No. LT 7705/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI S. GANDHISELVAN): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Homoeopathy (Minimum Standards of Education) (Amendment) Regulations, 2002 (Hindi and English versions) published in Notification No.F.12-4/91-CCH(Pt.) in Gazette of India dated 12th September, 2002 under sub-section (2) of Section 33 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 together with a corrigendum thereto published in Notification No. F. 12-4/91-CCH(Pt.) dated 27th September, 2002.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

(Placed in Library, See No. LT 7706/15/12)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI ABU HASEM KHAN CHOUDHURY): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Rashtriya Arogya Nidhi, New Delhi, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts.

(Placed in Library, See No. LT 7707/15/12)

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the International Institute for Population Sciences, Mumbai, for the year 2011-2012, along with Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the International Institute for Population Sciences, Mumbai, for the year 2011-2012.

(Placed in Library, See No. LT 7708/15/12)

(3) A copy each of the following Annual Reports (Hindi and English versions) for the year 2011-2012 along with Audited Accounts in respect of the following centres:-

(i) Population Research Centre (Institute for Social and Economic Change), Bangalore.

(Placed in Library, See No. LT 7709/15/12)

(ii) Population Research Centre (Maharaja Sayajirao University of Baroda), Vadodara.

(Placed in Library, See No. LT 7710/15/12)

(iii) Population Research Centre (Utkal University), Bhubaneswar.

(Placed in Library, See No. LT 7711/15/12)

(iv) Population Research Centre (Centre for Research in Rural and Industrial Development), Chandigarh.

(Placed in Library, See No. LT 7712/15/12)

(v) Population Research Centre (Punjab University), Chandigarh.

(Placed in Library, See No. LT 7713/15/12)

(vi) Population Research Centre (Institute of Economic Growth), Delhi.

(Placed in Library, See No. LT 7714/15/12)

(vii) Population Research Centre (JSS Institute of Economic Research), Dharwad.

(Placed in Library, See No. LT 7715/15/12)

(viii) Population Research Centre (Gandhigram Institute of Rural Health and Family Welfare Trust), Gandhigram.

(Placed in Library, See No. LT 7716/15/12)

(ix) Population Research Centre (Guwahati University), Guwahati.

(Placed in Library, See No. LT 7717/15/12)

(x) Population Research Centre (University of Lucknow), Lucknow.

(Placed in Library, See No. LT 7718/15/12)

(xi) Population Research Centre (Patna University), Patna.

(Placed in Library, See No. LT 7719/15/12)

(xii) Population Research Centre (Gokhale Institute of Politics and Economics), Pune.

(Placed in Library, See No. LT 7720/15/12)

(xiii) Population Research Centre (Dr. Harisingh Gour University), Sagar.

(Placed in Library, See No. LT 7721/15/12)

(xiv) Population Research Centre (Himachal Pradesh University), Shimla.

(Placed in Library, See No. LT 7722/15/12)

(xv) Population Research Centre (University of Kashmir), Srinagar.

(Placed in Library, See No. LT 7723/15/12)

(xvi) Population Research Centre (University of Kerala), Thiruvananthapuram.

(Placed in Library, See No. LT 7724/15/12)

(xvii) Population Research Centre (Mohanlal Sukhadia University), Udaipur.

(Placed in Library, See No. LT 7725/15/12)

(xviii) Population Research Centre (Andhra University), Visakhapatnam.

(Placed in Library, See No. LT 7726/15/12)

(4) A copy each of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the above Eighteenth Institutes for the year 2011-2012.

12.03 hrs

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS(GENERAL), 2012-13

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): I beg to present a statement (Hindi and English versions) showing the Supplementary Demands for Grants in respect of the Budget (General) for 2012-13.

(Placed in Library, See No. LT 7727/15/12)

12.03 ¼ hrs.

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Need to open more procurement centres for paddy in the country

MADAM SPEAKER: Now, we will take Zero-Hour matters.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को सदन में उठाने का मौका दिया। देश के किसानों के पास दो ही महत्वपूर्ण कैश क्राप हैं, धान और गेहूं। इनकी आमदनी से किसान अपनी बेटी के हाथ पीले करता है, अपने बच्चों की तालीम के लिए स्कूल-कालेज की फीस देता है और अपने बूढ़े माँ-बाप की बीमारी की तीमारदारी के लिए उन्हें मेडिकल कालेज लेकर जाता है। इस समय उत्तर प्रदेश में धान की फसल हो गई है, अगर वह खेतों से खाली नहीं होगी तो निश्चित तौर पर किसानों के सामने अगली बुवाई का संकट पैदा हो जाएगा। ज्यादातर किसान छोटी होल्डिंग के हैं। स्थिति यह है कि धान की फसल कट रही है और किसानों को मजबूर होकर बिचौलियों को बेचना पड़ रहा है। मैंने इस बारे में नेता जी मुलायम सिंह जी से भी बात की थी। हमारे प्रदेश में स्थिति यह हो रही है कि आज धान को किसान कृषि क्रय केन्द्रों पर तो वहां यह कहकर उसे लौटाया जा रहा है कि इसमें नमी है। केन्द्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 1250 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, लेकिन किसान को मजबूर होकर बिचौलियों के हाथ में 900-950 रुपए प्रति क्विंटल अपने उत्पाद को बेचने पर बाध्य हो रहा है, जबकि उसके उत्पादन में उसकी लागत काफी आती है, क्योंकि उसे पानी, बिजली, डीजल, खाद, कीटनाशक सबका इंतजाम करना पड़ता है। जो समर्थन मूल्य केन्द्र सरकार ने धान के लिए निर्धारित किया है 1250 रुपए, स्वाभाविक है कि वह इस बात की गारंटी है कि किसान अपने धान को इस मूल्य पर बेचेगा, लेकिन किसान को वह मूल्य नहीं मिल रहा है। इससे ज्वलंत और महत्वपूर्ण बात दूसरी नहीं हो सकती। हम वेलफेयर स्टेट के रूप में किसानों के हितों की बात करते हैं तो दूसरी तरफ राइस मिलों द्वारा लेवी का चावल लिया जाता था, आज लेवी का भी कोटा निर्धारित कर दिया गया है।

जिसके नाते धान की खरीद बंद पड़ी और मैं समझता हूं कि इससे किसानों के लिए बहुत संकट की घड़ी है। उनको समर्थन मूल्य नहीं मिलता है जिससे उनकी लागत भी नहीं निकल पाती है। अगर किसान को उसका लागत मूल्य नहीं मिलेगा तो किसान कैसे जीवित रहेगा। किसान को प्रति क्विंटल धान पैदा करने के लिए उसे खाद, उन्नतशील बीज, पेस्टीसाइड की जरूरत होती है। आज पेस्टीसाइड और खाद

भी ब्लैक में मिलता है, यूरिया भी ब्लैक में मिलता है, एनपीके भी ब्लैक में मिलता है और उन्नतशील बीज भी महंगा होता जा रहा है, सिंचाई की लागत भी बढ़ती जा रही है, पम्पिंग सेट का किराया भी बढ़ता जा रहा है, तो किसान की लागत बढ़ती जा रही है जिसके कारण 1250 रुपये समर्थन मूल्य भी कम है। इसलिए मैं उस पर बोनस की भी मांग करता हूं क्योंकि हम लोग यहां किसानों के लिए चुनकर आये हैं और 80 प्रतिशत किसान गांवों में रहता है। यह राजनैतिक विषय नहीं है, चाहे सत्ता पक्ष में बैठे हों या प्रतिपक्ष में बैठे हों, किसानों की चिंता सभी को है।

माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और मैं ऐसे विषयों को वहां उठाता था और वे किसानों के लिए खड़े होकर किसान हित में कहते थे कि हम करेंगे। आज किसान के लिए कोई सुरक्षा नहीं है आज वह अपना धान कहीं नहीं बेच पा रहा है, न उसे समर्थन मूल्य मिल रहा है, इसलिए उसे बिचौलियों को अपना धान बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदया, यह गंभीर मामला है, अविलम्बनीय है, लोक-महत्व का है, तात्कालिक है, ज्वलंत समस्या है, इसलिए इस सवाल पर आप सरकार का ध्यान आकृष्ट करके किसानों के धान की खरीद की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अगर केन्द्र को लगता है कि नमी है तो किसान के धान के मूल्य में एक-दो रुपये की कटौती कर ली जाए। पंजाब में खरीद हो चुकी है, हरियाणा में खरीद का काम खत्म हो चुका है लेकिन हमारा किसान मंडियों में नहीं पहुंच पा रहा है, किसान की खरीद नहीं हो रही है। हम आपसे मांग करते हैं कि कृषि मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करें कि अगर धान में नमी है तो कुछ कटौती कर ले जिससे उसे अपना धान 900 रुपये में न बेचना पड़े।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): अध्यक्ष महोदया, जगदम्बिका पाल जी ने जो सवाल उठाया है, वह अत्यंत ही गंभीर समस्या है। यह सच है कि आज धान के किसान पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर हैं। ऐसा कभी नहीं देखा गया था कि जो लेवी का चावल आता है वह केन्द्रीय सरकार के केन्द्रों पर रिजैक्ट हो रहा है। जब वह रिजैक्ट हो रहा है तो आप बता दीजिए कि कौन धान खरीदेगा। यह इसका मूल कारण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार को पत्र भी लिखा लेकिन उस पर अभी तक कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए केन्द्र सरकार इस चीज को देखे कि यह सब कुछ अधिकारियों के स्तर पर हो रहा है यह कहां से हो रहा है। किसके आदेश से हो रहा है। थोड़ी बहुत धान में कमी हो सकती है, नमी हो सकती है तो आप एक रुपया या पचास पैसे काटते थे और धान खरीदा जाता था लेकिन अब तो कोई धान ले ही नहीं रहा है। यह कभी नहीं हुआ कि खरीदारी बंद कर दी गयी है। आज धान तोलने वाले कांटे बंद हैं, कोई खरीदार नहीं हैं। खरीदार तो केन्द्र सरकार है, पर उसने रिजैक्ट कर दिया है, वह धान लेने को तैयार नहीं हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार केन्द्र सरकार है। इसके लिए बिहार सरकार या यूपी सरकार जिम्मेदार नहीं

है। हमें यह लगता है कि इसके पीछे किसानों के खिलाफ कोई साजिश है, उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत यह कोई साजिश है। इसलिए अध्यक्ष महोदया, आप इसमें हस्तक्षेप करें।

श्री गणेश सिंह (सतना): मैडम, एफसीआई क्या कर रही है?...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदया, इसलिए हमारी आपसे अपील है कि आप हस्तक्षेप करें। यह मामला यू.पी. का ही नहीं बिहार का भी है।...(व्यवधान) यह क्या कारण है कि यू.पी. का चावल ही रिजेक्ट किया जा रहा है? जब चावल रिजेक्ट होगा तो कौन खरीददारी करेगा?...(व्यवधान) इसका यह कारण है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : लालू जी, क्या आप भी इससे संबंधित बोलना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद (सारण): अध्यक्ष महोदया, समर्थन मूल्य अपनी जगह पर है। बिचौलिया धान को लूट रहे हैं। सरकार खरीद नहीं रही है। इंफीरियर क्वॉलिटी और नमी का बहाना है और न सरकार के पास कोई गोदाम हैं और न ही खरीददार हैं। हमारे यहां की स्पीकर साहिबा भी बिहार से हैं। धान की खरीद क्यों नहीं हो रही है?...(व्यवधान) किसान को क्यों लूटा जा रहा है? चाहे कोई भी सरकार दोषी हो, धान की खरीद होनी चाहिए और यह लूट नहीं होनी चाहिए।...(व्यवधान) पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश के किसान इतनी महंगी खाद और बीज खरीदकर खेती करते हैं और बिचौलिये सारा धान लेकर चले जा रहे हैं।...(व्यवधान) किसान को पैसा नहीं मिलेगा तो गांवों में पैसा कैसे जाएगा?...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव : आप रिजेक्शन वाली बात क्यों नहीं कर रहे हैं?...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदया, आप अपने प्रभाव और पद का इस्तेमाल करके सरकार को निदेश दीजिए कि बिहार और यू.पी. के किसानों के धान की खरीद हो।...(व्यवधान) किसान की लूट हो रही है।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मैडम, इस पर सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): मैडम, ...(व्यवधान) हम बोलने के लिए खड़े हो गये हैं। पहले हम सवाल करेंगे तभी तो जवाब आएगा।...(व्यवधान) हमें बोलने दीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ज़ीरो ऑवर में आप सरकार को जवाब देने के लिए कैसे कह सकते हैं?

...(व्यवधान)

12.12 hrs.

At this stage Shri Shailendra Kumar, Shri Neeraj Shekhar, Shri Lalu Prasad and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

अध्यक्ष महोदया : शाहनवाज जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैडम, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। जिस तरह से बिहार में टैक्स के जरिए बिहार सरकार खरीद रही है लेकिन आज बिहार के अंदर एफसीआई कोई खरीद नहीं कर रही है। मैडम, चाहे आपका सासाराम हो या हमारा भागलपुर हो, बगल में गुंडका हो या झारखंड हो, ...(व्यवधान) जिस तरह से धान की खेती बिहार में होती है, एफसीआई जानबूझकर बिहार की उपेक्षा कर रही है।...(व्यवधान) बिहार के अंदर धान की खरीद होनी चाहिए।...(व्यवधान) हमारे किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है।...(व्यवधान) कृषि के क्षेत्र में बिहार ने तरक्की की है, बिहार ने अपना उत्पादन बढ़ाया है।...(व्यवधान) लेकिन बिहार में धान की खरीद नहीं हो रही है। यह कोई तरीका नहीं है।...(व्यवधान) जब हम किसान का विषय उठा रहे हैं तो आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सब अपने अपने स्थानों पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

12.13 hrs.

At this stage Shri Shailendra Kumar, Shri Neeraj Shekhar, Shri Lalu Prasad and some other hon. Members went back to their seats.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : हमारी बात तो पूरी होने दीजिए।...(व्यवधान) जब आप बोल रहे थे तो हम नहीं बोल रहे थे।...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : इस पर नेता, सदन को जवाब देना चाहिए।...(व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Madam Speaker, I share the concern of the hon. Members. Our farmers are growing more paddy year after year. They are offering more paddy to the Central pool; FCI has been directed to purchase the paddy that is offered. But senior leaders, the hon.

Members have pointed out that there are deficiencies in purchasing. … (*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव : बिहार और यू.पी. का धान रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं?...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : हरियाणा और पंजाब से लेकर ही सारे गोदाम भर दिये गये हैं।...(व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: I understood. I am answering it. … (*Interruptions*) I am answering it. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, अब आप जवाब सुन लीजिए। वह कुछ कह रहे हैं। उनकी बात सुन लीजिए। अभी आप सभी कह रहे थे कि उनसे बुलवाइए। अब जब वह बोल रहे हैं तो उनकी बात आप सुन नहीं रहे हैं। आप उनकी बात सुन लीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am answering it. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : आप उनका जवाब सुन लीजिए। वे कुछ कह रहे हैं। अभी कह रहे थे कि उनसे बुलवाइए और अब वे बोल रहे हैं तो सुनिए।

…(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : महोदया, इसे ध्यानाकर्षण में कन्वर्ट कीजिए।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, सुन लीजिए।

…(व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, they have pointed out various deficiencies like not enough purchasing centers, not purchasing enough paddy, rejecting paddy on the ground of not meeting the standards and not enough storages. These are the deficiencies that they are pointing out. I take note of these deficiencies. I will convey it to the Minister concerned and we will call a meeting of the State Governments and officers concerned and try to remove these deficiencies as early as possible.

MADAM SPEAKER: Shri P. Karunakaran.

… (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार : इसमें राज्य सरकार की बात नहीं है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब क्या करें? ये क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री राकेश सचान (फतेहपुर): माननीय मंत्री जी उधर बैठे हुए हैं। ...(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : इसे ध्यानाकर्षण करवा दीजिए।

अध्यक्ष महोदया : चर्चा कराएंगे, आप नोटिस दीजिए। आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

12.16 hrs.

At this stage Shri Lalu Prasad, Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

MADAM SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.00 p.m.

12.17 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

<u>14.00 hrs.</u>

The Lok Sabha reassembled at Two of the Clock
(Mr. Deputy Speaker *in the Chair*)

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Need to open more procurement centres for paddy in the country-Contd.

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): उपाध्यक्ष महोदय, हम सब लोग चाहते हैं कि सदन चले। आपके सामने हम अपनी बात कहने में लंबा समय नहीं लेंगे। इसको पढ़ देंगे कि आज किसानों की क्या हालत है। किसानों का चावल ले लिया गया है, एफसीआई के अधिकारियों ने स्वीकार कर लिया है। बाद में उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। वहां पर कोई भी राशन मालिक चावल को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूरे के पूरे गोदाम बाहर से चावल ला कर भर दिए गए हैं। वह चावल चाहे हरयाणा का हो, चाहे पंजाब का हो चाहे किसी और प्रदेश का हो। अब उत्तर प्रदेश का चावल है या बिहार का भी चावल है, तो वह कहां जाएगा? इसीलिए इससे संबंधित हालात को दो-तीन मिनट में पढ़ के हम अपनी बात समाप्त करते हैं। भाषण देने में तो समय लगेगा।

महोदय, अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में चावल मिलों द्वारा धान खरीद वर्तमान में एकदम धीमी हो गयी है। चावल मिलों में जाने पर मिल मालिकों द्वारा यह कहा जाता है कि उनके पास धान खरीद के लिए पर्याप्त पैसा व बोरे हैं, समझ लीजिये पैसा भी है, बोरे भी हैं, किन्तु इस वर्ष भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में डैमेज के नाम पर उनका चावल लगातार रिजेक्ट किया जा रहा है। इसके कारण वह धान खरीद में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम के स्टाफ से यह पता लगता है कि उनके सैंकड़ों अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय द्वारा कठोर कार्यवाही करने एवं जांच बिठा दिये जाने के कारण उनकी नौकरी न चली जाये, इस डर से उनके द्वारा तमाम तरह की कमियां/आपत्तियां लगाकर चावल रिजेक्ट किया जा रहा है।

महोदय, वास्तविकता यह है कि वर्ष 2011-12 में उत्तर प्रदेश में खरीदे गये धान के सापेक्ष भारतीय खाद्य निगम को चावल की डिलीवरी किये जाने के बाद दोबारा उच्च स्तरीय चेकिंग के कारण 90 हजार मीट्रिक टन चावल भारतीय खाद्य निगम द्वारा एक बार स्वीकार किये जाने के बाद रिजेक्ट किया गया है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी उनका समर्थन कर दीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : हमारी बात सुन लीजिए, आप सबके बोलने के लिए जानकारी हो जायेगी। मैं आपसे यह कह रहा था कि 90 हजार मीट्रिक टन चावल भारतीय खाद्य निगम द्वारा एक बार स्वीकार किये जाने के बाद रिजेक्ट किया गया, पहले स्वीकार कर लिया और बाद में रिजेक्ट कर दिया। उक्त चावल का मूल्य लगभग 168 करोड़ रूपया है। एक बार स्वीकारने के बाद पुनः जांच कर रिजेक्ट चावल की यह मात्रा पूरे देश में सबसे अधिक है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, क्या यह मैटर बहुत लंबा है?

श्री मुलायम सिंह यादव : नहीं, हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे। दो-तीन मिनट में हो जायेगा, यह बहुत गम्भीर मामला है।

भारत सरकार भी यह मानती है, इसके बावजूद आपके चावल मिलर्स ने पूरी मात्रा रिप्लेस कर दी, जबकि ऐसा किसी भी प्रदेश में नहीं हुआ है।

महोदय, इतना ही नहीं शत-प्रतिशत चावल रिप्लेस करने के बावजूद भी भारतीय खाद्य निगम मुख्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश में तैनात भारतीय खाद्य निगम के सैंकड़ों अधिकारियों/कर्मचारियों पर कठोर जांच बिठा दी है। लगभग 224 अधिकारियों/कर्मचारियों को मेजर/माइनर पैनल्टी के अन्तर्गत चार्जशीट दे दी गयी है, जिससे इन सबकी नौकरी खतरे में पड़ गयी है। उक्त अधिकारियों में श्रेणी एक के अधिकारी, भारतीय खाद्य निगम के एरिया मैनेजरों के साथ-साथ, टी0ए0, ए0जी0एम0 (क्यू0सी0) आदि सम्मिलित हैं। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के तत्कालीन वरिष्ठतम् अधिकारी, सामान्य प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम को भी स्थानान्तरित कर उन्हें भी मेजर पैनल्टी के अन्तर्गत चार्जशीट दिया गया है। इसी तरह क्वालिटी कंट्रोल हेतु उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के वरिष्ठतम् अधिकारी तत्कालीन डिप्टी जी0एम0 (क्वालिटी कंट्रोल) को भी स्थानान्तरित कर उनको भी मेजर पैनल्टी की चार्जशीट दी गयी है। इन कार्यवाहियों के कारण भारतीय खाद्य निगम के लखनऊ मुख्यालय से लेकर जिलों में डिपो तक के कर्मचारियों में इतना डर एवं भय व्याप्त हो गया है कि वह किसी भी स्थिति में गत वर्षों की भांति तैयार चावल की डिलीवरी लेने के लिए तैयार नहीं हैं एवं दोबारा सुपर चेक में संभावित कार्यवाही से बचने के

लिए येन-केन प्रकारेण चावल रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके कारण पूरे प्रदेश में धान की सरकारी एवं लैवी खरीद लगभग ठप्प हो गयी है, जबकि इस वर्ष सरकारी केन्द्रों पर पैसे, बोरे एवं अन्य सुविधायें पूरी तरह उपलब्ध हैं। बोरा भी है और पैसा भी है।

पिछले वर्ष का सी0एम0आर0 लगभग दो लाख मीट्रिक टन तथा लैवी चावल लगभग पांच लाख मीट्रिक टन भी भारत सरकार से समय बढ़ाने की अनुमति मिलने के बाद भी भारतीय खाद्य निगम द्वारा उन्हीं कारणों से रिजेक्ट करते हुए नहीं लिया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त इस वर्ष अब तक सरकारी खरीद लगभग 3.25 लाख मीट्रिक टन हुई है, लेकिन भारतीय खाद्य निगम द्वारा मात्र 12,500 मीट्रिक टन चावल की डिलीवरी ली गयी है। जबकि गत वर्ष इस समय तक लगभग 1.13 लाख मीट्रिक टन सी0एम0आर0 की डिलीवरी ली गयी थी। इसी तरह इस वर्ष चावल मिलों द्वारा कुल 5.83 लाख मीट्रिक टन लैवी हेतु धान खरीदा गया है, परन्तु मात्र 4600 मीट्रिक टन लैवी चावल ही भारतीय खाद्य निगम द्वारा लिया गया है। जबकि गत वर्ष इस समय तक 1.60 लाख मीट्रिक टन चावल की डिलीवरी ले ली गई थी। प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भारत सरकार के वरिष्ठतम अधिकारियों से इस बारे में कई बार अनुरोध किया गया परंतु उसके सकारात्मक परिणाम नहीं निकले। प्रदेश सरकार द्वारा अनुमान्य डैमेज के मानक तीन प्रतिशत से चार प्रतिशत किये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया। यह भी अनुरोध किया गया कि यदि शिथिलीकरण कर उक्त अनुरोध स्वीकार योग्य पाया नहीं जाता है तो पूरे राज्य के तीन प्रतिशत मानक को एक प्रतिशत वैल्यू कट के आधार पर शिथिल करने पर विचार किया जाए। आपसे करबद्ध निवेदन है कि वैल्यू कट के साथ नई नहीं, बल्कि किसानों के हित में बिना वैल्यू कट ही पंजाब की तरह एक प्रतिशत डैमेज भारत सरकार से अनुमान्य कराने हेतु आप अपने स्तर से कार्रवाई करने की कृपा करें। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हुकुम सिंह, श्री राकेश सचान, ड़ा. विनय कुमार पाण्डेय, प्रो. शेख सैदुल हक़ का नाम श्री मुलायम सिंह यादव द्वारा उठाए गए मामले के साथ संबद्ध किया जाता है।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, प्रमुख विपक्षी पार्टी के नाते मैं बोल रहा था और उस समय हाउस एडजर्न हुआ। वही विषय है। भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल को को इस पर मौका मिलना चाहिए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप संक्षेप में बोलिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उपाध्यक्ष जी, मैं मुलायम सिंह जी की बात से अपने को संबद्ध नहीं करता हूँ। यह सही है कि इस देश में किसानों की जो हालत है, जहाँ बिहार और यूपी में बड़ी तादाद में धान होता है

और किसान जहाँ बाढ़ और सुखाड़ का सामना करते हैं, वहाँ पर आज़ादी के 60 साल बाद एफ.सी.आई. बनी, लेकिन एफ.सी.आई का जो मकसद था, वह पूरा नहीं हुआ है। कभी बिहार की बैल्ट में बाढ़ आती है तो बाढ़ से फसल खराब होती है और अगर बाढ़ नहीं आती है तो एफ.सी.आई. की ज़्यादतियों की वजह से उसका जो धान पैदा होता है, उसका मूल्य उसे नहीं मिलता है। एफसीआई जहाँ खरीदती है, 10 करोड़ की आबादी बिहार में है लेकिन अनुपात के हिसाब से बिहार में एफसीआई की खरीद का एवरेज बहुत कम है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसे तो हमारी बिहार सरकार और बगल में जो झारखंड प्रदेश है, वहाँ भी टैक्स के ज़रिये यह खरीदारी होती है, लेकिन जो जिम्मेदारी भारत सरकार की है, वह दायित्व भारत सरकार सही से नहीं निभा रही है। जिसकी वजह से किसानों को जो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, जो समर्थन मूल्य अन्य राज्यों में मिल जाता है ...(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): आपने कितना खरीदा है?

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : सब हमने ही खरीदा है। ...(व्यवधान) यह तो किसानों की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, उधर मत देखिए, इधर देखिये। उनको देखकर नहीं बोलिये। नज़र मत लगाइए, उधर मत देखिये। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उधर नहीं देख रहा हूँ। माशाअल्लाह, आपसे नज़र हट भी नहीं रही है, मैं इधर-उधर देख भी नहीं रहा हूँ।

मध्य प्रदेश में जिस प्रकार वहाँ की सरकार ने 50 रुपये प्रति क्विंटल इंसैन्टिव देकर किसानों ने जितना पैदा किया, उतना धान खरीदा। इसी तरह छत्तीसगढ़ गवर्नमैंट ने खरीदा है, बिहार सरकार खरीद रही है, झारखंड सरकार खरीद रही है। लेकिन जो ज़िम्मेदारी भारत सरकार की थी, फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया कब तक गोदाम बनाएगा? आज यूपी और बिहार के धान को रिजैक्ट कर दिया जाता है। जब भारत सरकार उसको कमतर मान रही है तो कल क्या वॉलमार्ट आकर हमारा धान खरीदेगा?

श्री मुलायम सिंह यादव : जबकि हमारा धान अच्छा है।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : जी हाँ, हमारा धान अच्छा है। लेकिन अच्छे धान को भी भारत सरकार बुरा बता देती है। इसलिए हम लोग गुज़ारिश कर रहे हैं कि जब सरकार इस निगाह से देख रही है तो वॉलमार्ट आकर हमारा क्या धान खरीदेगा, किसानों का क्या भला होगा? ...(व्यवधान) मेरा तो माइक ही बंद हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका माइक काम कर रहा है, हम आपकी बात सुन रहे हैं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उपाध्यक्ष जी, मैं भागलपुर से आता हूँ। बड़ी तादाद में वहाँ पर धान पैदा होता है। पूरा दियारा का बैल्ट, पैंती का बैल्ट, कहलगाँव का बैल्ट धान पैदा करता है लेकिन हमारे किसान वह धान लेकर बैठे रहते हैं, कोई खरीददार नहीं मिलता है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यूपी, बिहार तथा झारखंड में बड़ी आबादी रहती है। इन राज्यों के साथ उपेक्षा हुई है। हम तो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं कि हम लोगों की उपेक्षा हुई है। हम समुद्र के किनारे बसे हुए राज्य नहीं हैं। हमारे पास जो भी ताकत है, वह खेती है और खेती में भी जब किसान अपने दम पर पैदा करेंगे और सरकार उनको कोई सुविधा नहीं देगी, उसको खरीद का मूल्य नहीं मिलेगा, एफसीआई वहाँ पर गोदाम नहीं बनाएगी, तो क्या होगा? क्या यह सही नहीं है कि यूपी, बिहार और झारखंड में सबसे कम गोदाम बनाए गए हैं, एफसीआई का सबसे कम ध्यान इन राज्यों पर है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरकार तुरंत घोषणा करे कि इन राज्यों के किसानों का भी माल वह खरीदेगी और इनकी जो उपेक्षा हुई है, इनके साथ जो नाइंसाफी हुई है, उसको इंसाफ में बदलेगी, यही दर्द मैं आपके सामने रख रहा हूँ । जो दर्द है, वहां के किसान त्राहि-त्राहि मचा रहे हैं, जो भी सवाल है, वह बिहार सरकार अपने दम पर कर रही है।...(व्यवधान) लेकिन केन्द्र सरकार के द्वारा उपेक्षा की जा रही है। पूरा प्रदेश परेशान है। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, क्षेत्र के किसान परेशान हैं, कभी भी सरकार सिर्फ आश्वासन दे देगी। सरकार के फ्लोर पर सिर्फ आश्वासन मिलता है, काम नहीं होता है। जब सरकार यहां वचन दे देती है, फिर वचन से मुढ़ जाती है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सरकार से क्या चाहते हैं, वह बताइए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : उपाध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि सरकार सिर्फ वचन नहीं दे, बल्कि अभी से योजना बनाकर यहां घोषणा करे कि कितने गोडाउन बनेंगे, कब बनेंगे, कितनी राशि मिलेगी और किसान का जो दर्द है, वह सरकार के कान तक कब पहुंचेगा? यही मैं अनुरोध करना चाहता हूं।...(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up Item No.11.

… (*Interruptions*)

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, सभी को एक-एक मिनट बोलने दीजिए।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग अपने को सम्बद्ध कर दीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, यह गंभीर विषय है। किसानों में हा-हा कार मचा हुआ है।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : विषय तो आ चुका है।

...(व्यवधान)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I said in the morning that I share the concern of the hon. Members and I would convey it to the Minister concerned.… (*Interruptions*)

Shri Lalu ji has said about it in the morning. In the morning itself, it was over.… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : दो सदस्य बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : महोदय, किसानों में हा-हाकार मचा हुआ है। हम लोगों को भी बोलने के लिए एक-एक मिनट दे दीजिए। कृपा कीजिए महोदय।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले भी बोला गया था। सुबह भी इस संबंध में चर्चा हुई थी, कुछ बातें रह गई थीं, जो कि मुलायम सिंह जी ने रखी हैं। इनका भाषण पूरा नहीं हुआ था, जो इन्होंने बोला है। इस विषय पर पार्लियामेंट में चर्चा हो चुकी है, फिर बार-बार वही चर्चा करने से क्या फायदा है? इस तरह से हाउस नहीं चल पाएगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अभी लैजिस्लेटिव बिज़नेस बाकी पड़ा हुआ है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: We cannot have a debate on this.… (*Interruptions*)

AN HON. MEMBER: Let the reply come.… (*Interruptions*)

SHRI P. CHIDAMBARAM: I said in the morning that I share the concern of the hon. Members.… (*Interruptions*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : ऐसे नहीं चलेगा, आप हमारी बात भी सुन लीजिए।...(व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: You cannot come and speak whenever you like to speak. Shri Lalu ji has spoken. Sir, please tell him that Shri Lalu ji has spoken in the morning.

उपाध्यक्ष महोदय : लालू जी बोल चुके हैं और कितने सदस्य बोलेंगे?

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपके नेता लालू जी बोल चुके हैं।

…(व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Dr Raghuvansh Prasad Singh, Shri Lalu ji spoke in the morning.… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने जवाब दे दिया है, अब आप बैठ जाइए। यह विचार कर रहे हैं। कोई जरूरी है कि हर आदमी बोले।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने जवाब दे दिया है।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग कृपया बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो सवाल दोनों ने उठाया था और जो सवाल ज़ीरो ऑवर में उठा था, उसका जवाब मंत्री जी ने दे दिया है। उस मंत्री जी को पहुंचा देंगे और उस विभाग के मंत्री जी काम करेंगे। इसलिए जवाब मंत्री जी ने दे दिया है।

…(व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, every Member cannot speak on every subject. I have already assured the House that the feelings of the Members would be conveyed to the Minister concerned.… (*Interruptions*) The Minister will be requested to take a meeting of the State Government officials, the FCI officials and even Members of Parliament in the area. We will try to remove all the deficiencies to the farmers so that the farmers do not suffer.… (*Interruptions*) I

understand the Minister had already held a meeting this morning. He will hold further meetings to resolve the problem. I do not think everybody would need to speak on every subject. … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Minister.

SHRI P. CHIDAMBARAM: Sir, I beg to move the Enforcement of Security Interests and Recovery of Debt Laws Bill…. (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: He has already replied to it.

… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। आप लोग बैठ जाइए। जरूरी नहीं है कि सभी सदस्य बोलें।

…(व्यवधान)

SHRI P. CHIDAMBARAM: The Chair has called me. I have already said that I share the concern of the hon. Members.…(*Interruptions*) Can every Member speak on every subject?… (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग कृपा करके बैठ जाइए।

…(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो सवाल दोनों माननीय सदस्यों ने उठाया था और ज़ीरो आवर में भी उठा था, उसका जवाब मंत्री जी ने दे दिया है। उसे मंत्री जी को पहुंचा देंगे। उस विभाग के मंत्री जी काम करेंगे। उन्होंने जवाब दे दिया।

…(व्यवधान)

14.20 hrs.

ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST AND RECOVERY OF DEBTS LAWS (AMENDMENT) BILL, 2011

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now the House will take up item no. 11.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 be taken into consideration."

The Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts laws (Amendment) Bill, 2011 was introduced in the 15th Lok Sabha on 12th December, 2011. … (*Interruptions*)

The Banks and Financial Institutions (FIs) were facing considerable difficulties in recovery of defaulted loans on account of delays in disposal of recovery proceedings. The Government, therefore, enacted the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions (RDDBFI) Act, 1993 and the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002 for the purpose of expeditious recovery of Non-Performing Assets (NPAs) of the banks and financial institutions. Certain difficulties are being faced by the banks in conducting the recovery proceedings under the above two Acts. The Government, therefore, proposes to bring in certain amendments in the two Acts. … (*Interruptions*)

The proposed amendments are mainly aimed at streamlining the process under the SARFAESI Act and the RDDBFI Act by making provisions for transfer of proceeding in the name of ARC as the assigning of the financial asset on joint filing of notice by the originator bank and the ARC; reducing the requirement of agreement by secured creditors representing three-fourth of outstanding amount to

60 per cent of outstanding amount; grant of refund of fees in case settlement is reached before the final order is passed; a time limit of 30 days for filing return statement and limiting the number of adjournment. … (*Interruptions*)

<u>14.21 hrs.</u>

At this stage Shri Shailendra Kumar, Shri Raghuvansh Prasad Singh and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): The proposed amendments would enable banks to improve their operational efficiency, deploy more funds for credit disbursement to retail investors, home loan borrowers, etc. without fearing for recovery, thus bringing about equity. If effective recovery means are available to banks/FIs, they will be able to widen the borrowers' network, thus bringing in more population under the ambit of banking industry. In order to have a positive impact on the reflection on NPAs on the balance sheets of the Banks and Financial Institutions, it is imperative that the provisions of this Bill are brought in force. … (*Interruptions*)

Thus the enactment of the Bill would strengthen the recovery mechanisms of banks and financial institutions and facilitates reduction in the level of NPAs.

I would request the Members to support the Bill. … (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

> "That the Bill further to amend the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 be taken into consideration."

… (*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.30 p.m.

14.23 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

14.30 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri P.C. Chacko *in the Chair*)

SUBMISSION BY MEMBERS

Re: Need to open more procurement centres for paddy in the country- Contd.

14.30¼ hrs.

At this stage, Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

MR. CHAIRMAN : Go back to your seats.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: All the party leaders have participated in this discussion and the Minister has given a detailed reply.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: 'Zero Hour' submission cannot be made into a discussion.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mulayam Singh *ji*, the Minister has given a detailed reply that the matter will be brought to the notice of the concerned Minister and a conference will be called and action will be taken. More than this, nothing can be taken.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: We cannot go like this.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Now discussion on Item 11, Shri Dushyant Singh.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please go back to your seats.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mulayam Singh *ji* raised this issue.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: The hon. Minister is on his way, I am told. In another 10 minutes the Minister will be here. Please allow the other Item to be taken up. As soon as the Minister comes, he will reply.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: This is not right.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Now, please go back to your seats. The Minister has come.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please resume your seats. The hon. Minister is here.

… (*Interruptions*)

14.34 hrs

At this stage, Shri Shailendra Kumar and some other hon. Members went back to their seats.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: See, this is a 'Zero Hour' submission and we cannot expect the Government to come with the ready reply. But at the same time, this being a very important issue raised from all sides of the House, I asked the hon. Minister to give a reply to this. You please listen to that.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: We cannot allow any discussion at this stage. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Ram Chandra Dome, Please take your seat.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please take your seat.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (PROF. K.V. THOMAS): Sir, I was in the other House, in Rajya Sabha, and sitting there. I just came to know that Mulayam Singh *ji* has raised this issue. Mulayam Singh *ji* had called me a few days back and a delegation came to me. We had a detailed discussion. We are sending a high level team to UP. … (*Interruptions*)

SHRI SYED SHAHNAWAZ HUSSAIN (BHAGALPUR): Why not in Bihar?… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shahnawaz ji, let him complete then you can speak.

… (*Interruptions*)

PROF. K.V. THOMAS: I am starting with UP and then come to Bihar. Please give me some time. … (*Interruptions*) I can answer one by one. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please take your seats.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Ram Chandra Dome, Please take your seat. Let the Minister to explain. Please do not disturb him.

… (*Interruptions*)

PROF. K.V. THOMAS: If you allow me, I will answer one by one. I am prepared to answer all the questions. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, Mr. Mulayam Singh Yadav *ji*, Lalu Prasad Yadav *ji*, Shahnawaz Hussain *ji* and many hon. Members have raised this issue. Please mention those States and what you are going to do.

PROF. K.V. THOMAS: I will answer all the questions one by one. As it is a procurement season, fortunately we have got the highest production in the country. Highest procurement is going on. It is a serious issue.

A few days back, Mulayam Singh *ji* called me over the phone at night. He sent a high level team of MPs. They had come and met me day before yesterday and today also. After our discussions, we have decided first to check the quality. In quality we cannot compromise. To check the quality, we are sending a team today itself to UP. The team has been approved by the UP Government also. Secondly, there will be a discussion on Monday with all the senior officers of UP and our senior officers have to find out the mechanism for procurement. As you know, the procurement is taking place in every part of the country. We will find out the solution. We have been deputing more FCI staff, specially, quality control staff, to UP so that this issue can be settled.

Then, when this Session is over, our senior Secretary will be going to UP. He will discuss with the UP officers and find out a solution. Finally, if there is something remains then I myself will go to UP and discuss with the Chief Minister and find out the solution. … (*Interruptions*)

Now, I am coming to Bihar. The hon. Chief Minister was here. He met Agricultural Minister and me also. We have had a threadbare discussion on this issue. All the problems have been discussed. Solutions will be found out very soon. Our senior secretaries will be going to Bihar and they will find out a solution. What I could understand is that the hon. Chief Minister was satisfied with that. This discussion took place about two days back.

Now, I come to West Bengal. I just have the information about the problem of West Bengal. We are sending our officers to West Bengal. Even last year also, hon. Members know, I sent a team. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Silence please.

… (*Interruptions*)

PROF. K.V. THOMAS: Last year also, we had been discussing this issue with the hon. Members.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Yes, I myself was there.

PROF. K.V. THOMAS: I discussed with him. The problem is this. In this season or in the last season, this is the best production. The production has happened at such a higher level. The MSP has been raised. The States are announcing bonus. As a result, the private trade, which has been procuring about 40 per cent, in not in the field. The Government is procuring more than 47 per cent. Usually, Government procures only 25 per cent. You should talk with Chidambaram *ji* on this issue. There is an unending procurement so we have to find out a solution. Last season, we had procured 80 million tonnes but what we needed was only 55 million tonnes. But we have allowed export. Export is going on from the Central Pool. Export is done by the private people. For export also, there is a subsidy component; you have to find out the subsidy component.

As regards OMSS, usually every year we release about 20 lakh tonnes or 25 lakh tonnes. Already 30 lakh tonnes have been released, and 70 lakh tonnes are to be released now. Sir, what I am saying is that there is a huge subsidy. … (*Interruptions*)

Coming to West Bengal, the hon. Members from West Bengal know that last year we had sent a team and it discussed with the State Government; and if there is any problem in procurement, we will solve it. They have just started procurement in West Bengal. They are doing a good job. Whatever assistance is needed from our side, we will give.

Coming to Odisha also, … (*Interruptions*)

DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): Many farmers have committed suicide. … (*Interruptions*)

PROF. K.V. THOMAS: That is a different issue. … (*Interruptions*) I am coming to Orissa. I want to assure every State that … (*Interruptions*)

DR. RAM CHANDRA DOME : More than hundred farmers have committed suicide. … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (SHRI V. NARAYANASAMY): Do not bring your Bengal politics here. … (*Interruptions*) He is telling that the farmers are committing suicide in West Bengal. The Trinamool Congress MPs should deny it. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Dome, allow the hon. Minister to complete his speech.

… (*Interruptions*)

PROF. K.V. THOMAS: Sir, as far as Odisha and other producing States are concerned, we are … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: He has given a detailed reply. You should be satisfied with that. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

PROF. K.V. THOMAS: For every State, there is production. We will monitor the situation. Whatever assistance is needed for FCI, that will be given. There would not be any dearth of that. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Now, we have a very detailed reply from the Minister.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Now, it cannot go on like this.

… (*Interruptions*)

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): जो राइस खरीदा जा चुका है, उसे दोबारा रिजेक्ट कैसे कर दिया? पहले तो उसे स्वीकार कर लिया, कोई कमी नहीं पायी गयी और अब उसी चावल को रिजेक्ट कर दिया है। वहां पर कोई भी अनाज मिल मालिक धान खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। …(व्यवधान)

PROF. K.V. THOMAS: Shri Mulayam Singh ji, today morning I discussed with your senior Members of Parliament and this issue was sorted out. So, our team is going today itself. But we should also understand that there cannot be any compromise on quality.

श्री मुलायम सिंह यादव : आप समाधान कब तक कर लेंगे?

PROF. K.V. THOMAS: I am sending the team and the members of that team are acceptable to you. I suggested the team members and they are also acceptable to you. … (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY : Mr. Chairman, Sir, I would like to seek one clarification from the hon. Minister.

Sir, I am happy that the hon. Minister has come forward and tried to assuage the feelings of the Members of all sides of this House, who are agitated about the procurement of rice in the country. West Bengal is the first in rice production in the whole country.

I would like to put only one question. Dr. Kakoli Ghosh Dastidar and myself just spoke to the West Bengal Food Minister to find out whether there was any problem in procurement. Shri Mulayam Singh mentioned about the problem in Uttar Pradesh that FCI was rejecting it on the basis of quality, too much moisture. That problem is not there in West Bengal but there is a general demand – FCI is paying Rs.1,250 per quintal – for raising this price to Rs.1,350 per quintal. Would the hon. Food Minister kindly consider that? That is the only question. There are no other questions. … (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: That has already been replied.

Now, we are moving to item no. 11. Shri Dushyant Singh.

… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Prof. Saugata Roy, price revision cannot be announced by the hon. Minister here. You know that.

… (*Interruptions*)

PROF. SAUGATA ROY : Mr. Minister, I pray you to consider this. …(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: They are discussing it with the State Government. Please take your seat.

… (*Interruptions*)

डॉ. प्रसन्न कुमार पाटसाणी (भुवनेश्वर): ओडिसा में बंपर क्राप है। जो खरीद की थी …(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Now, we are moving to item no. 11. Shri Dushyant Singh.

14.45 hrs.

ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST AND RECOVERY OF DEBTS LAWS (AMENDMENT) BILL, 2011 – Contd.

MR. CHAIRMAN: Shri Dushyant Singh

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I am on a point of order. .… (*Interruptions*)

सभापति महोदय : दुष्यन्त जी, एक मिनट बैठ जाइए।

PROF. SAUGATA ROY : Sir, my point of order is quite simple. The hon. Finance Minister has brought the Enforcement of Security Interest and Recovery of Debts Laws (Amendment) Bill, 2011. This Bill was put before the House long time back. This Amendment is in two different Bills. One is the Securitisation and Reconstruction of….

MR. CHAIRMAN : Before that you please tell me under what Rule you are raising this issue.

PROF. SAUGATA ROY : Under Rule 74 – What is the motion to be moved before a Bill is taken up. It may be taken into consideration. It may be referred to a Select Committee of the House. It may be referred to a Joint Committee of the Houses. It may be circulated for the purpose of eliciting public opinion.

Now it has been the custom and convention of this House that whenever a Bill is introduced, after that it goes straight to the Standing Committee of the House. There is a Standing Committee on Finance. The hon. Minister has got another Bill, that is, Banking Companies (Amendment) Bill. That was sent to the Standing Committee. The Standing Committee under the Chairmanship of Shri Yashwant Sinha has submitted the Report. We shall be discussing it next week. This Bill was not sent to the Standing Committee.

I do not understand what is the point in violating the convention of the House of getting the opinion of the Standing Committee. This is a serious Bill. Assets reconstruction is allowed. They are including multi-State cooperative banks. Why are we by-passing the Standing Committee and discussing the Bill all of a sudden? What is the hurry in passing the Bill?

Sir, you are totally aware of the Rules of the House and as Chairman of the Privileges Committee you also guard the privileges of the Members of the House. As a Member of this House, I seek your protection that I feel that the hon. Standing Committee do consider this Bill. You fix a time for them to submit a report and only after the Standing Committee on Finance has submitted its Report, should we take up this Bill in the House. Otherwise, if we start violating it then everyday one Minister will bring a Bill saying that it is very urgent, there is no need for the Standing Committee and we will pass it in the House. Sir, it is taking away the rights of the Members of the House for detailed deliberation on the quality of the Bill.

Sir, I want your considered opinion on this matter.

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर): दुष्यंत जी यही बात कहना चाहते हैं कि कमेटी को बाइपास कर के यह नहीं कर सकते हैं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: That issue has been raised.

… (*Interruptions*)

DR. RAM CHANDRA DOME (BOLPUR): Sir, we also demand that this Bill be referred to the Standing Committee… (*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Dome, I have to give a ruling, you please take your seat.

… (*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): This Bill was introduced in 2011 and this is 2012. Within last one year this was never referred to the Finance Committee. Today when it was listed we brought it to your notice.

MR. CHAIRMAN: That is exactly what Mr. Roy has said. Do not repeat it please. The valuable time of the House should not be wasted. You allow me to make the ruling.

Please understand that a very valid point has been raised by Prof. Saugata Roy; whatever is the privilege of a Member will not be allowed to be sacrificed. Here, please understand that the Bill was placed before the Business Advisory Committee on 28th of March 2012, which allotted one hour for discussion. There was no suggestion at the Business Advisory Committee for referring this Bill to the Standing Committee when it was placed before it.

PROF. SAUGATA ROY : Sir, the House is supreme.

MR. CHAIRMAN: Please understand. You have made your point. Please understand that the Rules are very clear that it is the discretion of the hon. Speaker to allow or not to allow. Here is a Bill which was not brought to the House suddenly or unexpectedly. This was discussed in the BAC. The point is that it is the prerogative of the hon. Speaker and the hon. Speaker has agreed so I am allowing this. The motion has already been moved, now Shri Dushyant Singh will speak.

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR): Sir, I rise to speak on a Government Bill, The Enforcement of Security Interest and Recovery Debt Law (Amendment) Bill, 2011. The Union Cabinet approved the Bill, and it was brought before the House on the 12th December, 2011 by the then Finance Minister, Shri Pranab Mukherji.

This Bill basically amends two Acts. One is the SRFAESI Act, which the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and the DRD Act, which is the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993.

As our hon. Member from the TMC, BJD; my senior leader Shahnawazji and my entire party; and other Members of the House have also said that this Bill was never sent to the Standing Committee on Finance. The Government brings in the policy drafted by the bureaucracy; and the Members of both the Houses of Parliament have the opportunity to sit across the Table and discuss the Bill when the Bill comes to the Committee level. But I must say that this has not happened in this case. It should have been sent to the Standing Committee on Finance for through discussion initially, which, I guess, was the sense of the entire House.

I would go forward by saying as to what does the Bill bring in. The Bill is supposed to bring in operational efficiency, deploy more funds of credit disbursement and help the home borrowers, according to the Government plan. It also helps the Government to recover debts, the bad debts, which are being borrowed from the banks by companies or by individuals or by farmers or by medium-scale operation owners.

I must tell you, at this moment, that while replying to a Starred Question on 29/08/2012, our Finance Minister stated that ‘the outstanding, which was given to agriculture and allied activities through commercial banks, was approximately Rs. 3,75,594.91 crore in 2009-10. This outstanding has hence increased in 2011-12 to about Rs. 5,07,175.61 crore in the allied sector and the agriculture sector. Even though the Government, in 2009, before going into the General Election, had

given assistance and debt waiver. Even after the debt waiver, today's outstanding for farmers, in the allied sector is approximately Rs. 5 lakh crore.

I must also say that if the Government had any promise to bring this Bill in the House, at any juncture, through the Standing Committee on Finance. Instead there was an Ordinance passed in 2004. The Ordinance basically allows us to bring in laws. The Government had the option that after the Ordinance, they could send the Bill to the Standing Committee on Finance for discussion.

I must also say that through the Bill, the Government is bringing in the cooperative banks in its ambit. The Bill proposes Multi-State Cooperative Banks to be brought in there. But as you must have seen, around India, how are the cooperative banks doing. What is the current status of banks? Are the banks running into profits or loss? But the Government wants to collect all the money from the borrowers and get it back to the banks. But they must see to structure the co-operative banks and sustain them so that the banks also have the feet to come back. What are the laws? What are the stumbling blocks we can put in? What are the things we can do for the co-operative banks? The Government must give answer to all these.

I must say at this stage about the public sector banks. I have data which I received. From March 2008 to March 2010, the outstanding, which has been written off by the public sector banks, is approximately Rs.10,966 crore which is a huge sum. The Government must answer that also. The non-performing assets, according to the time when the UPA-II has been around, from UPA -I to UPA-II, was Rs.15,000 crore in the public sector banks. It has risen from Rs.15,893 crore to, as of today, approximately Rs.36,000 crore. What is the Government doing about that? They need to tell us about that also. I must say that the Government is trying to tell us about, through this Bill, how they are going to control the SARFAESI Act and to get in companies which are asset reconstruction companies. Who are the asset restructuring companies? Do we have a regulator for that? If there is a regulator, what are these 14 companies? This was answered on

26.8.11 when a Question was asked by Shri Khagen Das Ji and it was answered by our hon. Minister Namo Narain Meena Saheb regarding finance about 14 restructuring companies which the Government is working on. We need answer on that also.

I must tell you at this stage that the banks determine the CRR and the SLR, the Cash Reserve Ratio, the Statutory Liquidity Ratio and they see the risk vis-à-vis every bank. So, to remove risk, to remove the NPA from the bank's structure, the Government has initiated this Bill. So, we need to look at how the banks, who are not actually handling these risks, should be party to this also and the Government must mention about that also.

Previously, in the case of asset reconstruction, the bank could get their assets after they could sell the non-performing assets, products or whatever they securitize. But now through this Bill the Government is bringing out that in regard to the assets, the company will work on a way of giving equity instead of selling the non-performing assets. So, suppose a company 'A' is making loss, instead of selling that product or the land of the company, we are buying the equity of the company now. So, the equity of a non-performing asset does not give us profit or does not give the bank enough to pay back to the creditors.

Then, we also need to talk about the RDBF Act, the Recovery of Debt Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 where the loan takers can now give their properties before banks never monetised their properties. This way we do not know what the property's value is. Tomorrow, the bank is not going to have a land bank as such in future and holding various properties in various locations. So, we need to look at that.

15.00 hrs.

Through the Bill, we also have learnt about the Central Government exempts a class of banks and financial institutions. I want to know as to which banks and financial institutions these are. We also need to look at as to why this provision is given and the hon. Minister needs to explain that.

This Bill also enables the Debt Recovery Tribunal to pass orders. I want to know as to how this Debt Recovery Tribunal will be structured. We have a body like Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR). A lot of Bills in respect of companies, institutions and others should not have been looked into, if the Government could give us something about that.

Now, I want to ask the Minister to give me some time. According to me there is a wilful defaulter and there is there is a consequential defaulter. A wilful defaulter is a person or a company, which has borrowed the money. He has the money but he does not want to part with the money because he wants to get restructured his debt. But, there is a consequential defaulter. He is a person, who believes in the policy of the Government. Take, for example, the solar policy in India, wherein the Government is supposed to support the solar industry of India. But, the Government of the day buys solar panels and products from European countries and spoils the business model for the local industry. That is what has actually happened. So, it needs to be explained as to what types of defaulters are.

I also want to talk about FDI. Suppose, there is a non-performing asset. Take, for example, the textile mills. Reliance textile mills are not running any more. But, now you have allowed hundred per cent FDI into construction. So, I, as an individual, want to get into construction. Will I be able to use my textile mill and use foreign direct investment into that?

Today, the scheduled banks also have the problem of non-performing assets and they are ranging in very high amounts. According to the 55th Annual Report of the Administration of Companies Act, 1956, which ended in March, 2011, the increase in the number of foreign companies is from 2,609 to 3,127. This shows as

to what we are doing to control foreign companies working in our country so that we do not have any shortages and losses when they have loss on account of bankruptcy and leave the country without giving us what is due to our country.

You must also talk about infrastructure debt fund, which has gone up tremendously out here. The corporate bonds have gone up from 20 billion to 45 billions.

Last but not least, I would say that an issue in respect of your Ministry was published in the *Business Line* dated 5th December, 2012, where the Revenue Department had an issue with the Financial Service Department, where the government dues, according to the Income Tax Department, were about Rs.37,000 crore, which are still due to the Government and about which you need to explain about it.

This Act also requires the banks and financial institutions to consider representation from borrowers from seven days to 15 days. That is perfect. The bank or a person can file a caveat and the aspect of recovery from a tribunal is all right.

I would like to end by saying that we should refer this Bill to the Standing Committee on Finance. We should also think about small-scale industries.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): You have spoken well. Why do you want to send it to the Standing Committee on Finance?

SHRI DUSHYANT SINGH : Hon. Minister, it is the sense of the House that it should be sent to the Standing Committee. You can still do it if you want to. I would urge that the Government must send it to the Standing Committee on Finance.

I would submit that we must assist small-scale industries, small businesses and the farming community. In the end, I must tell you that no one wants to take a loan. No businessman and no individual who is a small entrepreneur wants to take a loan. A loan is always a big burden on the mindset of every individual. All of us represent India and we must take care of our farmers and of our small-scale industries.

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): सभापति जी, हमारे वित्त मंत्री महोदय आज जो अमेंडमेंट बिल दि एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ डेट्स लॉस अमेंडमेंट बिल 2011 लाए हैं, यह दरअसल दो कानूनों में एक प्रकार का अमेंडमेंट है औऱ दोनों कानून बहुत महत्वपूर्ण कानून हैं। जहां तक हमारे देश में जो बैंकों में बढ़ते हुए एनपीएस हैं या जो विलफुल डिफॉल्टर्स का जो ट्रेंड हमारे देश में चलता है, उसको देखते हुए 2002 में एक बिल आया था, Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. उसमें एक अमेंडमेंट है और दूसरा डीआरटी एक्ट जिसको Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 के तहत रेगुलेट किया जाता है।

इन दोनों कानूनों में बेसिकली एक अमेंडमेंट आया है। कोई पांच और तीन या नौ के आसपास अमेंडमेंट्स हैं जिनमें मोटे तौर पर देखा जाए तो कैविएट का प्रोविजन सही है। सात दिन की जगह 14 दिन का समय डिफॉल्टर को रेस्पांड करने के लिए मिलना चाहिए। यह परफैक्ट समय है। मल्टी-स्टेट कोआपरेटिव बैंक्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। जब पहले सिक्योरिटाइजेशन एक्ट आया था, तो उसमें डैफिनिशन बैंक था और बैंक में मल्टी-स्टेट-कोऑपरेटिव बैंक्स से किसी भी प्रकार के कोऑपरेटिव बैंक को इंवाल्व नहीं किया गया था। in clause 2 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act), in clause (c) after sub-clause 4, the following sub-class shall be inserted, namely, “a multi-state cooperative bank”.

15.08 hrs.

(Dr. Raghuvansh Prasad Singh *in the Chair*)

मतलब इस कानून के एमबिट में जो बैंक की परिभाषा थी, उस बैंक की परिभाषा के तहत मल्टी-स्टेट-कोऑपरेटिव बैंक्स को लाया गया औऱ इस समय मल्टी-स्टेट-कोऑपरेटिव बैंक्स किसी भी तरह के कोआपरेटिव बैंक्स से सबसे ज्यादा तकलीफ में हैं। कितने कोआपरेटिव बैंक्स हमारे देश से नक्शे से गायब हो गये और उनके पास जो अपना बैड लोन या डैब्ट रिकवर करने का मैकेनिज्म है, वह एक मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी एक्ट के तहत है। इसलिए आपने आज उसको एक ऑप्शन दिया है कि आप डीआरटी में भी जा सकते हैं और डीआरटी के तहत भी आप वसूल कर सकते हैं। एक अच्छा अरेंजमेंट है जो शायद दुष्यंत जी ने नहीं समझा और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी उसको एक्सप्लेन करें। यह दूसरा महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है, In Section 9 of the Principal Act,

after clause (f), the following clause shall be inserted, namely, to convert any portion of debt into shares of a borrower company'. मतलब उस कंपनी में बैंक या एसैट रीकंसट्रक्शन कंपनी मालिक नहीं बन रही है। जहां तक मैं समझ रहा हूं कि एक कंपनी जिसकी वैल्यू जिसका नैटवर्क इस समय 200 करोड़ रुपये है और वह डिफाल्ट कर गई, अगर उस कंपनी ने किसी बैंक से सौ करोड़ रुपये का लोन लिया है, और वह पूरा प्रकरण अगर किसी एसैट रीकंसट्रक्शन कंपनी को रैफर हुआ है तो वह जो सौ करोड़ रुपये का बैड डैट है, that should be converted into equity so that the owner, the new asset construction company, will become a part-owner of that company. अगर यह अरेंजमेंट है तो अच्छी बात है क्योंकि कंपनियां लोन लेती हैं, डिफॉल्ट करती हैं, डीआरटी में उसकी बहस चल रही है, मालिक मस्ती से घूम रहा है और जो फैक्टरीज, जो कंपनियां एसैट रीकंसट्रक्शन कंपनियां टेक-ओवर करती हैं, उनका कोई ओनरशिप राइट नहीं रहता। जो मैं समझ रहा हूं, अगर इस तरह से है तो निश्चित तौर पर पूरा लोन या portion of the debt is converted into equity in favour of that Asset Reconstruction Company. It is a very good idea. बाकी आगे जो भी अमेंडमेंट्स हैं, उनको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें से एक तो डैट हो गया और दूसरा It also states to include the multi-State co-operative banks; increase the period of response; and empower the banks or financial institutions to accept the immovable property in full or partial satisfaction of the claim of the bank against the defaulting borrower. यह भी सही है। It also states to enable the banks or any person to file a caveat यह भी सही है।

उसके बाद जो कोऑपरेटिव बैंक्स को जिस तरह से आपने ऑप्शन दिया है, वह भी सही है। इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है? महत्वपूर्ण चीज यह है कि आखिर यह सक्रूटिनाइजेशन एक्ट क्यों आया है? इस एक्ट की आवश्यकता तब पड़ी जब हमारे देश में पब्लिक सैक्टर बैंक्स का एनपीएज़ बढ़ने लगा। हालांकि उसके ऊपर जब हम ध्यान से अध्ययन करते हैं मेरे ख्याल से आरबीआई ने कहा है कि बैंकों का एनपीए तीन प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीन प्रतिशत के अंदर है तो उसका एनपीए बैड लोन माना भी नहीं जाता। अभी हाल के दिनों में जो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं, वे काफी चौंकाने वाले हैं। एनपीए और एसैट रीकंसट्रक्शन कंपनीज के संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और सबसे पहले मैं एनपीएज के संदर्भ में बताना चाहूंगा कि लगभग कोई 8 साल पहले एसैट रीकंसट्रक्शन इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। 12 या 14 जो भी एसैट रीकंसट्रक्शन कंपनीज हैं, उन कंपनीज में

एक ही कंपनी सही मायने में काम कर रही है और वह आरसिल कंपनी है। आरसिल इसलिए काम कर रही है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक और मेरे ख्याल से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें है। बड़े-बड़े पब्लिक सैक्टर बैंकों ने मिलकर इस एआरसी को चला रखा है और जिसकी वजह से ठीकठाक काम हो रहा है। दूसरे, कोटक का जो एआरसी है, उसका भी थोड़ा-बहुत ठीकठाक काम चल रहा है। लेकिन बाकी एसैट रीकंसट्रक्शन कंपनीज की क्या हालत है, यह समझने की आवश्यकता है।

एसैट रीकंसट्रक्शन कंपनीज के कामकाज का असैसमेंट करने की आवश्यकता है क्योंकि मंत्री जी, मैं आपके समक्ष एक आर्टिकल रैफर करना चाहता हूं। What ails asset reconstruction firms? The business model of India’s eight-year old asset reconstruction industry is under the central bank’s scanner. The RBI inspection team has found that Asset Reconstruction Co. (India) Ltd. (Arcil), the country’s oldest and biggest asset reconstruction firm is not driven by its Board, but by its major shareholders, namely, State Bank of India, ICICI Bank Ltd. And IDBI Bank Ltd. and its accounting policies are not in line with the regulator’s norms. यह एक बड़ी चिंता की बात है। हम बैंकों की बीमारी को दूर करने के लिए एसैट रीकंसट्रक्शन कंपनीज हम लोगों ने तैयार की थीं और उन कंपनियों की क्या दशा है? उन कंपनियों का क्या कामकाज है, इसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। There are at least a dozen asset reconstruction companies (ARCs) in India. Collectively, they have been managing assets valued at about Rs. 15,000 crore bought from the banks. अब एसैट रीकंसट्रक्शन कंपनीज की क्या हालत है, किस तरह से काम कर रही हैं। इसका एक सही मूल्यांकन हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह होगा क्योंकि इनके लाने के पीछे क्या उद्देश्य था और चूंकि जब बाकी दुनिया में एनपीए का लैवल था, यह एसैट रीकंसट्रक्शन कंपनीज का सुझाव तब आया जब बाकी दुनिया में एसैट मैनेजमेंट कंपनीज का एक प्रचलन शुरु हुआ। विशेषकर मलेशिया, कोरिया, थाइलैंड और ताइवान जैसे देशों में बैंकों के एनपीएज़ और बैड लोन बढ़ने लगे तो कैसे बैंक इस एनपीए को, बैड लोन को सिस्टम से कैसे फ्लशआउट किया जाए, इस उद्देश्य से एसैट मैनेजमेंट कंपनियां बनाई गई। हमारे देश में इतनी बुरी हालत नहीं थी। हमने प्रिकाशनरी मीज़र लेते हुए एसैट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाने का फैसला स्क्रूटनाइजेशन एक्ट के तहत लिया। लेकिन बाकी दुनिया में एनपीए का जो लेवल था, उस समय जब हम लोग अपना काम कर रहे थे, in Malaysia, NPA levels soared to 25 per cent in 1998; NPA level soared to 35 per cent in 1998 in Korea;

NPA level soared to 50 per cent in 1998 in Thailand; and NPA level soared from three per cent in 1995 to eight per cent in 2002 in Taiwan. पूरी दुनिया की हालत तो बहुत खराब थी। विशेषकर एशियाई देशों की हालत ज्यादा खराब थी। लेकिन हमारे यहां उतना बुरा हाल नहीं था। फिर भी ऐसट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ बनने के बाद, यानि सन् 2009-10 और सन् 2011 में जब हम अपने एनएपीए का ट्रेंड देखते हैं, तो वह चौंकाता है। तब हमको चिंता होती है कि इस नई व्यवस्था से हमको लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है? उदाहरण के तौर पर cross NPAs and net NPAs, दोनों का बताना चाहूंगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 2009 में जब क्रॉस एनपीए था, वह 44 हज़ार 991 करोड़ रूपये था। सन् 2010 में यह बढ़ कर 59 हज़ार 927 करोड़ रूपये हो गया और सन् 2011 में बढ़ कर 73 हज़ार 481 करोड़ रूपये हो गया। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का जो एनपीए था, वह 16 हज़ार 927 करोड़ रूपये से बढ़कर सन् 2010 में 17 हज़ार 638 करोड़ रूपये हो गया। सन् 2011 में 18 हज़ार 243 करोड़ रूपये हो गया। यानि कि बढ़ रहा है। फॉरन बैंक्स जो हमारे यहां ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। फिर भी वे थोड़ा सा नियंत्रण में हैं। सन् 2009 में 6445 करोड़ रूपये था, सन् 2010 में 7134 करोड़ रूपये हो गया और सन् 2011 में थोड़ा नियंत्रण में है, 571 करोड़ रूपये हुआ है। यानि Securitization Act and DRT को स्पीड-अप करने के बावजूद भी हमारे यहां बैंकों का जो काम-काज है, उसमें एनपीए का ट्रेंड बढ़ रहा है। At this time, Rs. 96, 795 crore is the gross NPA in all the three types of banks, that is, public sector banks, private sector banks and foreign banks. नेट एनपीए की भी हालत वही है। नेट एनपीए कम होता है, तो फिर वहां भी सन् 2009 में इन तीनों सेक्टर को मिला कर 31 हज़ार करोड़ रूपये एनपीए का 31 हज़ार 564 करोड़ रूपये एनपीए था। जो सन् 2011 में बढ़ कर के 41 हज़ार 931 करोड़ रूपये हो गया है। हमारे यहां जो एनपीए बढ़ रहे हैं, यह एक चिंता का विषय है। हमारे यहां सिक्योरटाईज़ेशन एक्ट का अपना एक सिनेरियो चल रहा है, उसके रिजीम में हम काम कर रहे हैं। I have with me a report of the Finance Ministry, Department of Financial Services wherein it has been said: "The situation in 2011-12 is likely to be worse. In terms of a report by CRISIL published in September, 2011, the banks' gross NPA ratio is likely to touch three per cent in March, 2012 against 2.3 per cent as at March, 2011." मतलब कि हमारे यहां बैंकों की हालत खराब है और बैंकों का जो बैड लोन है, उसको फ्लश आउट करने के लिए हमने जो अरेंजमेंट सोचा था, जो इंतजाम सोचा था, उस इंतजाम में हमको बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही है। कामयाबी पाने के लिए हम लोगों ने दोनों कानून

बनाए। पहले डीआरटी एक्ट बनाया, उसके बाद फिर सिक्योरटाईज़ेशन एक्ट बनाया। दोनों कानूनों के तहत हमने अच्छे खासे इंतजाम किए। उन इंतज़ामों में, उस पूरी व्यवस्था में जो अड़चने हैं, उन अड़चनों को दूर करने के लिए, आप यहां पर एक नया संशोधन ले कर आए हैं। उन संशोधनों का मूल उद्देश्य यह है कि इन अड़चनों को दूर किया जाए ताकि डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में रिकवरी का जो प्रोसेस है, उस प्रक्रिया को स्पीड-अप किया जाए। उस प्रक्रिया के जरिए बैंको को लाभ हो और बिना वजह के कानूनी अड़चनों में न पड़े रहें। उसमें एक अमेंडमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि डीआरटी को सिर्फ पैसा वसूलने के लिए एक फाइनल ऑर्डर नहीं देना है, डीआरटी के लिए सेटलमेंट का भी एक अमेंडमेंट ले कर आएं कि डीआरटी को एक हक सेटलमेंट का भी है। एक बार सेटलमेंट होता है तो DRT can pass an order in favour of that settlement between the borrower and the bank. यह अमेंडमेंट भी बहुत अच्छा है।

लेकिन इसके साथ-साथ मैं फिर से ऐसट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज़ की तरफ आता हूँ। उन कंपनियों के काम-काज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पूरी दुनिया में जो ऐसट कंपनियां बनी, उसमें दुनिया भर में दो कंपनियों की बड़ी तारीफ होती है। One is Danaharta of Malaysia, and another is CAMCO of Korea. "Danaharta in Malaysia and CAMCO of Korea are recognized as successful AMC models…" A combination of factors seems to have worked in their favour. A few key support features that led to the success of AMCs in cleansing the banking system of the NPAs and successfully resolving the asset so acquired, मेरा यह कहना है कि बैंकों को हम दुरूस्त कर रहे हैं, करना पड़ेगा, बैंकों की जो तकलीफें हैं, कमियां हैं, जो उनका बैड लोन्स है, उसको ठीक करने के लिए हमने ऐसेट री-कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ बनायीं। हमारा जो मॉडल है, शायद उस मॉडल में कुछ कमी है। उस मॉडल में क्या कमी है, इसके ऊपर चारों तरफ काफी चर्चा हो रही है। इस मॉडल में और जो ग्लोबल मॉडल है, उसमें क्या फर्क है, इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। मैं एक आर्टिकल को कोट कर रहा हूं- "Globally, Asset Management Companies play the role of bad loans and tackle the stock of bad assets as a one-time phenomena, they have a sunset clause for winding down the assets." मेरे ख्याल से हमारे यहां कोई सनसेट क्लॉज नहीं है, नम्बर एक और दूसरा इन ऐसेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ का जो मॉडल है, उस मॉडल के तहत उस बैड लोन को पूरी इकोनॉमी में वापस लाने का जो तरीका होना चाहिए, उस तरीके पर कोई कामयाबी नहीं मिल रही है। आज जो भी अमेंडमेंट आप लेकर आये हैं, वह अमेंडमेंट अपने देश के हित में है। भले ही स्टैंडिंग कमेटी में नहीं भेजा गया, अब इतना महत्वपूर्ण अमेंडमेंट भी नहीं है कि स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाये, दिन-रात काम करने में जो अड़चनें आती

हैं, उन अड़चनों को दूर करने की दिशा में, यह सात दिन की जगह पन्द्रह दिन है, इन पन्द्रह दिन के ऊपर स्टैंडिंग कमेटी क्या डिस्कस कर लेगी? पहले रिस्पांस टाइम सात दिन दिया गया था, अब रिस्पांस टाइम पन्द्रह दिन कहा गया है कि बैंकों को पन्द्रह दिन दीजिये। आपको जो एक कैविएट फाइल करने का हक होना चाहिए, बैंकों को डीआरटी के पूरे प्रोसीजर के ऊपर, ताकि जो डिफाल्टर है, वह कोर्ट में न चला जाये। अगर कोर्ट में जाये तो कैविएट के अरेंजमेंट के तहत हमको भी पूछा जाये। इन सारी व्यवस्थाओं के लिए स्टैंडिंग कमेटी में जाना कोई जरूरी नहीं था। रोज-ब-रोज की अड़चनों को दूर करने के लिए जो आप अमेंडमेंट लेकर आये हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथ ही साथ जो हमारे यहां बैड लोन्स हैं, जो विलफुल डिफाल्टर्स की बात दुष्यंत जी कह रहे हैं, कि बहुत सारे बिजनेस मैन हैं, आपने कहा कि जानबूझकर, विलफुल्ली कोई लोन नहीं लेता है, शौक से कोई लोन नहीं लेता है। आप उल्टा कह रहे हैं। हमारे देश में बड़े-बड़े व्यापारी, बड़े-बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के लोग अपने पैसे से कंपनी शुरू कर सकते हैं, लेकिन वे पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसा बनाते हैं कि 30-40 परसेंट उनका इन्वेस्टमेंट होता है and around sixty per cent is taken as a loan from the bank. वे बैंकों से लोन लेकर लेते हैं और उसमे आधे से ज्यादा तो विलफुल डिफाल्टर ही होते हैं। वे बैंक से इस तरह से लोन लेते ही हैं। ऐसे जो पूरी इकोनॉमी को तबाह करने वाले लोग हैं, उन लोगों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो हमारे यहां मैकेनिज्म है, उसे और धार देने के लिए यह संशोधन यहां पर आया है और इस संशोधन का समर्थन होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसे वापस स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की जरूरत है। आज यहां पर इस सदन में देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए, बैंकिंग व्यवस्था को बेहतर करने के लिए और जो जानबूझकर हमारी अर्थव्यवस्था में, बैंकिंग व्यवस्था में कीड़े की तरह लगे हुए हैं, दीमक की तरह लगे हुए हैं, उस व्यवस्था को खराब करना चाहते हैं, उनको नियंत्रण में लाने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक मजबूत व्यवस्था तैयार करने का जो अरेंजमेंट है, उसका मैं समर्थन करता हूं। इस संशोधन विधेयक, जो दो महत्वपूर्ण कानून में संशोधन लाने की व्यवस्था की गयी है, इसे पास किया जाना चाहिए ताकि देश की बैंकिंग व्यवस्था और दुरूस्त हो सके।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): महोदय, आपने मुझे प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अभी मैं भाई दुष्यंत जी का तो पूरा भाषण नहीं सुन पाया, थोड़ा-बहुत मैंने सुना, लेकिन वह बहुत कारगर रहा और हमारे निरूपम जी ने भी बड़े विस्तार से बैंकों पर विशेष नजर रखें, इस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की, मैं सुन रहा था।

महोदय, इस बिल में देखा गया है कि सबसे बड़ी जो खामी रही, अभी इस बिल के आने के पहले तमाम हमारे सम्मानित सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि इस बिल को सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी में जाना चाहिए था। महोदय, आप जानते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी भी अपने-आपमें एक मिनी सदन होता है। उसमें सभी पार्टियों के सदस्य होते हैं और बड़े विद्वान सदस्य होते हैं, जो अपनी-अपनी राय रखते हैं। तमाम तरीके से वहां पर विटनेसेज भी लिये जाते हैं, अपनी-अपनी राय व्यक्त की जाती है और बहुत बारीकी से वहां अध्ययन होता है। वहां न जाकर डायरेक्ट इस बिल को संशोधन के रूप में लाया गया, पता नहीं किस जल्दबाजी में लाया गया, मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन मैं पुरजोर सिफारिश करता हूं कि आइन्दा से कोई भी इस प्रकार का गंभीर बिल अगर आये तो वह स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कशन के लिए अवश्य जाना चाहिए।

जहाँ तक इस बिल का संबंध है, मैं इसमें देख रहा था कि आज पूरे देश में बैंकों में जो 4 प्रतिशत नॉन परफॉर्मिंग एसैट है, यह बहुत बड़ा बोझ बैंकों पर है। इस पर हर बैंक को विशेष नज़र रखने की आवश्यकता है जिन्होंने कर्ज़ दिये हैं कि कैसे इसकी वसूली होनी चाहिए। अभी मैं एक प्रोजैक्ट के बारे में एक बात रखना चाहूँगा। अप्रैल 2012 में 1 लाख मैगावाट बिजली उत्पादन के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में आपने इन परियोजनाओं को कर्ज़ देने की व्यवस्था की, जिसमें से केवल 2010-11 में तीन बैंकों ने समय पर कर्ज़ वापस किया, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा है, देना बैंक है और यूको बैंक है। बाकी बैंकों का कुछ पता नहीं है कि किन किन बैंकों से लिया गया है, समय पर जो कर्ज़ वसूली होनी थी, वह वापस हुआ या नहीं, यह जानना बड़ा मुश्किल है। आज जितने भी बैंक हैं, अगर उनकी स्थिति विस्तार से देखी जाए तो मेरे ख्याल से सभी बैंक बहुत मुश्किल में हैं। एनपीए पर हमें विशेष तौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी वित्त मंत्री जी एक सम्मेलन में बोल रहे थे, जहाँ उन्होंने चिन्ता व्यक्त की कि जो बड़े-बड़े औद्योगिक घराने हैं, जो बड़े-बड़े कार्पोरेट सैक्टर हैं, उनको तो हम कर्ज़ देते हैं लेकिन गरीबों को भी कर्ज़ देने की आवश्यकता है। आज हमें यह भी देखना है कि जो बड़े-बड़े घरानों को हम कर्ज़ दे रहे हैं, समय पर उनकी वसूली और अदायगी नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, बहुत बड़े पैमाने पर आपने देखा होगा कि बैंकों से कर्ज़

लेने पर जो बड़े-बड़े घोटाले हो रहे हैं, वह भी एक कारण है। उस पर भी विशेष तौर से इन बैंकों को नज़र रखनी होगी कि किस प्रकार से वसूली हो। मान लीजिए ज़मानत के तौर पर किसी ने अपने तमाम एसैट्स दिखाए हैं, तो उनकी तत्काल रिकवरी होनी चाहिए, उसकी नीलामी होनी चाहिए। तभी जाकर बैंकों की स्थिति सुधर सकती है, देश की अर्थव्यवस्था भी सुधर सकती है और देश की अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हो सकता है।

महोदय, इसके साथ ही मैं किंगफिशर एयरलाइन्स का ज़िक्र करना चाहूँगा। इसका 114 करोड़ रुपये का टीडीएस है और जो 21 करोड़ रुपये के चैक दिए गए, वे बाउंस्ड चैक थे। जो बड़े-बड़े देनदार हैं, उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। कहीं न कहीं राजनीति होती है या कहीं न कहीं पोलिटिकल प्रैशर आने के कारण आप उनसे वसूली नहीं कर पाते हैं। आज हालत यह है कि जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर किसान ने 10 हज़ार, 20 हज़ार या 50 हज़ार रुपये का ऋण लिया है तो उसके पास आरसी जाती है, समय पर अगर अदायगी नहीं कर पाता तो उस पर आरसी इश्यू होती है और उसको लाकर कचहरी के लॉकअप में रखा जाता है। यह भी नहीं कि वह जेल जाए। लॉकअप में तब तक रखते हैं जब तक वह कुछ धनराशि जमा न कर दे। उस लॉकअप की स्थिति क्या है कि जानवर भी उसमें नहीं रह सकता है। जेलों में तो खैर थोड़ी बहुत स्थिति ठीक है, लेकिन कचहरी के जो लॉकअप हैं, उनमें जानवर भी नहीं रह सकते, वह बहुत बदबू देता है। न वहाँ बाथरूम की व्यवस्था होती है, वहाँ इतनी गंदगी होती है। ...(व्यवधान) बाथरूम करने की वहाँ तो खैर व्यवस्था है ही नहीं। मैंने देखा कि हमारे इलाहाबाद में जो बड़े-बड़े लोग अदायगी नहीं कर पाए, अगर उनकी लॉकअप में आरसी इश्यू होती है, लॉकअप में वे बंद होते हैं तो तमाम बड़े-बड़े लोग आकर उनको कुछ न कुछ धन देकर छुड़ा ले जाते हैं, लेकिन किसान अगर बंद होता है तो वह फिर सीधा जेल जाता है। उसकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं है। यही कारण है कि आज आत्महत्या बढ़ी हुई है। ...(व्यवधान) लॉकअप में व्यापारी अगर बंद होते हैं तो बहुत थोड़े टाइम के लिए बंद होते हैं। उनको छुड़ा लिया जाता है।

सभापति महोदय : श्री शैलेन्द्र कुमार जी, आपका भाषण जारी रहेगा। कृपा कर आसन ग्रहण करें। अब हम प्राइवेट मैम्बर्स बिज़नैस लेंगे।

श्री शैलेन्द्र कुमार : ठीक है।

सभापति महोदय : कुछ माननीय सदस्यों ने प्रार्थना पत्र दिया है कि उन्हें किसी जरूरी काम से तुरन्त जाना है, अतः उन्हें अपने विधेयक जल्द प्रस्थापित करने की अनुमति दी जाए। अतः मैं उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें प्राथमिकता दे रहा हूं।

15.30 hrs.

PRIVATE MEMBERS' BILL- Introduced

(I) FISHERMEN (WELFARE) BILL, 2012*

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the welfare of fishermen in the country and for matters connected therewith or incidental thereto.

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः

> "कि देश में मछुआरों के कल्याण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI S.S. RAMASUBBU : I introduce the Bill.

15.30 ½ hrs.

(II) SPECIAL EDUCATIONAL FACILITIES (FOR CHILDREN OF PARENTS LIVING BELOW POVERTY LINE) BILL, 2012*

SHRI S.S. RAMASUBBU (TIRUNELVELI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for special educational facilities to the children of parents living below poverty line and for matters connected therewith.

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः

> "कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले माता-पिता के बच्चों को विशेष शैक्षणिक सुविधाओं तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI S.S. RAMASUBBU : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.

15.31 hrs.

(III) DRUGS (PRICE CONTROL) BILL, 2012*

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for constitution of a Committee for fixing the prices of drugs and for matters connected therewith or incidental thereto.

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः

> "कि औषधियों की कीमतें निर्धारित करने के लिए समिति का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI M.K. RAGHAVAN : I introduce the Bill.

15.31 ½ hrs.

(IV) HIGH COURT OF KERALA (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT KOZHIKODE) BILL, 2012*

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court of Kerala at Kozhikode.

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः

> "कि केरल उच्च न्यायालय की कोझीकोड में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI M.K. RAGHAVAN : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.

15.32 hrs.

(V) PAYMENT OF COMPENSATION TO PERSONS ATTACKED BY WILD ANIMALS BILL, 2012*

SHRI M.K. RAGHAVAN (KOZHIKODE): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for payment of compensation to persons attacked by wild animals and for matters connected therewith.

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः

> "कि वन्य जीव-जंतुओं के आक्रमण से ग्रस्त व्यक्तियों को प्रतिकर का संदाय करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI M.K. RAGHAVAN : I introduce the Bill.

15.33 hrs.

(VI)WATER (PREVENTION AND CONTROL OF POLLUTION) AMENDMENT BILL, 2012* (Amendment of section 2, etc.)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974.

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः

> "कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.

15.34 hrs.

(VII) SPICES BOARD (AMENDMENT) BILL, 2012*
(Omission of sections 16 and 28)

SHRI P.T. THOMAS (IDUKKI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Spices Board Act, 1986.

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः

> "कि मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI P.T. THOMAS : I introduce the Bill.

15.35 hrs.

(VIII) WOMEN (RESERVATION IN SERVICES) BILL, 2012*

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for reservation of posts and appointments for women in services under the Central Government and for matters connected therewith.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि केन्द्रीय सरकार के अधीन सेवाओं में पदों और नियुक्तियों में महिलाओं के लिए आरक्षण और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.

15.36 hrs.

(IX) PROMOTION OF SMALL FAMILY BILL, 2010*

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI (VIZIANAGARAM): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for measures to promote small family norm and for matters connected therewith or incidental thereto.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि छोटा परिवार सन्नियम के संवर्धन के उपायों तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI BOTCHA JHANSI LAKSHMI : I introduce the Bill.

MR. CHAIRMAN : Item No. 15,

Shrimati Priya Dutt -- Not present.

Item No. 18, Shri Bhoopendra Singh.

15.36 ½ hrs.

(X) RIGHT TO INFORMATION (AMENDMENT) BILL, 2011*
(Amendment of Section 7 and 20)

श्री भूपेन्द्र सिंह (सागर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.

श्री भूपेन्द्र सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.37 hrs.

(XI) MAHATMA GANDHI NATIONAL RURAL EMPLOYMENT GURANTEE (AMENDMENT) BILL, 2012*
(Amendment of Section 12 etc.)

श्री भूपेन्द्र सिंह (सागर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005."

The motion was adopted.

श्री भूपेन्द्र सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.38 hrs.

(XII) PREVENTION OF CORRUPTION (AMENDMENT) BILL, 2012*
(Amendment of sections 7, 17 and 19)

श्री भूपेन्द्र सिंह (सागर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भूपेन्द्र सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.

15.39 hrs.

(XIII) COTTON GROWERS WELFARE BILL, 2012*

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for certain welfare measures for cotton growers and for matters connected therewith or incidental thereto.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि कपास उत्पादकों के लिए कतिपय कल्याणकारी उपायों तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE : I introduce the Bill.

15.39 ½ hrs.

(XIV) COMPULSORY VOTING BILL, 2012*

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for compulsory voting by the electorate in the country and for matters connected therewith.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि देश में मतदाताओं द्वारा अनिवार्य मतदान तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.

15.40 hrs.

(XV) PROVISION OF COMPENSATION TO FARMERS AFFECTED BY NATURAL CALAMITIES BILL, 2012*

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for payment of compensation to farmers affected by natural calamities and for matters connected therewith.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> " कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को प्रतिकर का संदाय करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE : Sir, I introduce the Bill.

15.40 ½ hrs.

(XVI) VICTIMS OF TERRORISM (PROVISION OF COMPENSATION AND WELFARE MEASURES) BILL, 2012*

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE (AURANGABAD): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for payment of compensation to and provision of certain welfare measures for the victims of terror attacks.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> " कि आतंकी हमलों के पीड़ितों के लिए प्रतिकर का संदाय करने और कतिपय कल्याणकारी उपायों की व्यवस्था करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

SHRI CHANDRAKANT KHAIRE : Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.

15.41 hrs.

(XVII) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2012*

(Amendment of the Eighth Schedule)

श्री भूपेन्द्र सिंह (सागर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री भूपेन्द्र सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.41 ½ hrs.

(XVIII) POVERTY STRICKEN AND BACKWARD REGIONS (DEVELOPMENT) BILL, 2012 *

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के अभावग्रस्त और पिछड़े क्षेत्रों का द्रुतगामी, त्वरित और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए एक स्वायत्त प्राधिकरण की स्थापना करके ऐसे क्षेत्रों का योजनाबद्ध ढंग से सुनिश्चित और शीघ्र विकास करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि देश के अभावग्रस्त और पिछड़े क्षेत्रों का द्रुतगामी, त्वरित और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए एक स्वायत्त प्राधिकरण की स्थापना करके ऐसे क्षेत्रों का योजनाबद्ध ढंग से सुनिश्चित और शीघ्र विकास करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित**करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.
** Introduced with the recommendation of the President.

15.42 hrs.

(XIX) HIGH COURT OF KERALA (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT THIRUVANANTHAPURAM) BILL, 2012*

SHRI A. SAMPATH (ATTINGAL): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court of Kerala at Thiruvananthapuram.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि केरल उच्च न्यायालय की तिरूवनंतपुरम में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

SHRI A. SAMPATH : Sir, I introduce the Bill.

15.42 ½ hrs.

(XX) CLIMATE CHANGE BILL, 2012*

SHRI KALIKESH NARAYAN SINGH DEO (BOLANGIR): I beg to move for leave to introduce a Bill to set a target for the reduction of targeted greenhouse gas emissions; to establish a National Committee on climate change; to provide for carbon budgeting and carbon trading schemes and to encourage other such activities; to reduce greenhouse gas emissions and for matters connected therewith or incidental thereto.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि लक्षित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी का लक्ष्य निर्धारित करने; राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन संबंधी समिति की स्थापना करने; कार्बन बजटिंग तथा कार्बन ट्रेडिंग स्कीमों का उपबंध करने तथा अन्य ऐसे क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने; ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

SHRI KALIKESH NARAYAN SINGH DEO : Sir, I introduce the Bill.

15.43 hrs.

(XXI)CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2012*
(Amendment of article 25)

DR. RATTAN SINGH AJNALA (KHADOOR SAHIB): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

DR. RATTAN SINGH AJNALA : Sir, I introduce the Bill.

15.43 ½ hrs.

(XXII) PERSONS LIVING BELOW POVERTY LINE (RESERVATION OF VACANCIES IN POSTS AND SERVICES) BILL, 2012*

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के लिए स्थापनों में पदों और सेवाओं में रिक्तियों के आरक्षण और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> " कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के लिए स्थापनों में पदों और सेवाओं में रिक्तियों के आरक्षण और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

श्री हंसराज गं. अहीर : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

<u>15.44 hrs.</u>

(XXIII) NATIONAL SOLAR ENERGY AUTHORITY BILL, 2012*

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में सौर ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग के संवर्धन के प्रयोजन के लिए एक प्राधिकरण का गठन करने तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि देश में सौर ऊर्जा के उत्पादन और उपयोग के संवर्धन के प्रयोजन के लिए एक प्राधिकरण का गठन करने तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

श्री हंसराज गं. अहीर : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.

15.45 hrs.

(XXIV) NAXAL AFFECTED STATES DEVELOPMENT COUNCIL BILL, 2012*

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि नक्सल प्रभावित राज्यों के संतुलित तथा सर्वांगीण विकास के लिए विकास योजनाएं और स्कीमें तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन को मॉनीटर करने के लिए नक्सल प्रभावित राज्य विकास परिषद् के नाम से एक परिषद् का गठन करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि नक्सल प्रभावित राज्यों के संतुलित तथा सर्वांगीण विकास के लिए विकास योजनाएं और स्कीमें तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन को मॉनीटर करने के लिए नक्सल प्रभावित राज्य विकास परिषद् के नाम से एक परिषद् का गठन करने और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए। "

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

श्री हंसराज गं. अहीर : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

15.45 ½ hrs.

(XXV) PROTECTION OF HUMAN RIGHTS (AMENDMENT) BILL, 2012*

(Amendment of Section 2, etc.)

डॉ. भोला सिंह (नवादा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मानव संरक्षण अधिनियम, 1993 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> " कि मानव संरक्षण अधिनियम, 193 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.
** Introduced with the recommendation of the President.

डॉ. भोला सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.46 hrs.

(XXVI) SANSKRIT LANGUAGE (COMPULSORY TEACHING IN SCHOOLS) BILL, 2012*

डॉ. भोला सिंह (नवादा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्यालयों में संस्कृत भाषा का अनिवार्य शिक्षण देने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि विद्यालयों में संस्कृत भाषा का अनिवार्य शिक्षण देने तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

डॉ. भोला सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित** करता हूं।

15.47 hrs.

(XXVII) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2012*
(Amendment of Article 58, etc.)

डॉ. भोला सिंह (नवादा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और सशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान का और सशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.
** Introduced with the recommendation of the President.

डॉ. भोला सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

15.48 hrs.

(XXVIII) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2012*
(Insertion of new article 31)

डॉ. भोला सिंह (नवादा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

डॉ. भोला सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित **करता हूं।

सभापति महोदय : व्रङ्कम संख्या 34, श्री बसुदेव आचार्य - - उपस्थित नहीं।

15.49 hrs.

(XXIX) ESTABLISHMENT OF SCHOOLS UPTO SENIOR SECONDARY LEVEL BILL, 2012*

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL (NORTH EAST DELHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for establishment of schools imparting education up to senior secondary level free of cost to all children in the country.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

> "कि वृद्ध नागरिकों को पेंशन का संदाय करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL: I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.

** Introduce with the recommendation of the President.

15.50 hrs.

(XXX) ELECTRICITY (PRIORITY SUPPLY TO METROPOLITAN AREAS) BILL, 2012*

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL (NORTH EAST DELHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the compulsory supply of electricity to metropolitan areas and for matters connected there with.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

> "कि महानगरीय क्षेत्रों को विद्युत का अनिवार्य प्रदाय करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL : Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.

सभापति महोदय : क्रम संख्या-37 - श्री जय प्रकाश अग्रवाल ।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : महोदय, क्रम संख्या 37 के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अभी नहीं कह सकते हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैं बिल पर नहीं बोल रहा हूं। मेरा ऑब्जेक्शन आपके डिपार्टमेंट से यह है कि हम जो प्राइवेट मेंबर बिल रखते हैं, उनमें हरेक बिल में आप सब्जेक्ट देते हैं, लेकिन जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, उसमें विषय नहीं लिखा जाता है, इसकी क्या वजह है? जब हमने संविधान संशोधन विधेयक रखा और हमें विषय का पता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप डिपार्टमेंट को निर्देश दें कि वे उसमें विषय के बारे में एक लाइन अवश्य लिखें। आर्डिनरी बिल में आप विषय लिखते हैं, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में बिल नहीं लिखते हैं।

सभापति महोदय : इसमें लिखा है - संविधान अनुच्छेद 214 का संशोधन।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : नहीं लिखा है इसमें।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): वह संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय : क्या?

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय सदस्य का कहना है कि हम जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते हैं, उसमें उसका विषय भी एक लाइन में लिख दिया जाए जिससे सदस्य को मालूम हो कि हम क्या प्रस्तुत कर रहे हैं।

सभापति महोदय : आपका आवेदन आया है, अध्यक्ष महोदया के पास विमर्श के लिए जाएगा।

अब विधेयक पुरःस्थापित कीजिए।

15.51 hrs.

(XXXI) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2012*
(Amendment of article 214)

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL (NORTH EAST DELHI): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI JAI PRAKASH AGARWAL : Sir, I introduce the Bill.

15.51 ½ hrs.

(XXXII) TECHNOLOGY BANK OF INDIA BILL, 2012*

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for establishment of a Technology Bank to assist professionals engaged in research work in various disciplines.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

> "कि विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य में लगे वृत्तिकों की सहायता के लिए प्रौद्योगिकी बैंक की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : Sir, I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.

15.52 hrs.

(XXXIII) EDUCATION BANK OF INDIA BILL, 2012*

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for setting up of a Bank for the purpose of advancing loans to the students for pursuing higher studies.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रों को अग्रिम ऋण प्रदान करने के प्रयोजनार्थ एक बैंक की स्थापना करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : Sir, I introduce the Bill.

15.53 hrs.

(XXXIV) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2012*
(Amendment of the Eighth Schedule)

कुमारी सरोज पाण्डेय (दुर्ग): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कुमारी सरोज पाण्डेय : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.

15.54 hrs.

(XXXV) HIGH COURT OF RAJASTHAN (ESTABLISHMENT OF A PERMANENT BENCH AT BIKANER) BILL, 2012*

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a permanent Bench of the High Court of Rajasthan at Bikaner.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

> "कि राजस्थान उच्च न्यायालय की बीकानेर में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : Sir, I introduce the Bill.

15.55 hrs.

(XXXVI) THE FARMERS WELFARE BILL, 2012*

श्री मधुसूदन यादव (राजनंदगाँव): मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषकों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि कृषकों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापने करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मधुसूदन यादव : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

सभापति महोदय: क्रम संख्या 52, श्री अनंत गंगाराम गीते - उपस्थित नहीं ।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.

क्रम संख्या 53, श्री सतपाल महाराज - उपस्थित नहीं।
क्रम संख्या 54, श्री सतपाल महाराज - उपस्थित नहीं।

श्री राकेश सिंह (जबलपुर): सभापति महोदय, मेरी आपत्ति है कि या तो क्रम से लिया जाए या जो उपस्थित हैं, उन्हें बुलाया जाए।

सभापति महोदय: कुछ माननीय सदस्यों ने जल्दी जाना है इसलिए उनका नाम पहले पुकारा है।

श्री राकेश सिंह : मैंने भी नोटिस दिया था कि या तो उसके हिसाब से लिया जाए जिन्होंने प्राथमिकता से मांगा है या सबको एक क्रम से लिया जाए। यह ठीक बात नहीं है।

15.56 hrs.

(XXXVII) PROHIBITION OF RAGGING AND UNPAIR PRACTICES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND UNIVERSITIES BILL, 2012*

श्री राकेश सिंह (जबलपुर):मैं प्रस्ताव करता हूं कि शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में रैगिंग और अऋजु व्यवहार का प्रतिषेध करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

"कि शिक्षा संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में रैगिंग और अऋजु व्यवहार का प्रतिषेध करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राकेश सिंह : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.

15.56 ½ hrs.

(XXXVIII) CIGARETTES AND OTHER TOBACCO PRODUCTS (PROHIBITION OF ADVERTISEMENT AND REGULATION OF TRADE AND COMMERCE, PRODUCTION, SUPPLY AND DISTRIBUTION) AMENDMENT BILL, 2012*

(Amendment of section 3, etc.)

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

> "कि सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI BAIJAYANT PANDA : I introduce the Bill.

15.57 hrs.

(XXXIX) SCHEDULED CASTES HAMLETS (PROVISION OF BASIC FACILITIES) BILL, 2012*

SHRI P.L. PUNIA (BARABANKI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for certain basic facilities to the persons belonging to the Scheduled Castes and living in hamlets and for matters connected therewith.

सभापति महोदय: प्रश्ङ्ग यह है :

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.

> “कि अनुसूचित जातियों के लोग जो बस्त्रैंयों में रह रहे हैं, के ैलिए कतिपय आधारभा्त सुविधाओं और उससे संस्कत विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्त्रैंपत करने की अनुमति ैं जाए। ”

<u>प्रस्त्रैंव स्वीकृत ़वआ।</u>

SHRI P.L. PUNIA : I introduce the Bill.

<u>15.57 ½ hrs.</u>

(XL) ECONOMICALLY WEAKER CLASS CORPORATION BILL, 2012*

SHRI P.L. PUNIA (BARABANKI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the establishment of a Corporation for the welfare and advancement of persons belonging to economically weaker class and for matters connected therewith or incidental thereto.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

> “कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के कल्याण और उन्नति के लिए निगम की स्थापना करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

SHRI P.L. PUNIA : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.

15.58 hrs.

(XLI) PERSONS WITH DISABILITIES (EQUAL OPPORTUNITIES, PROTECTION OF RIGHTS AND FULL PARTICIPATION) AMENDMENT BILL, 2012*

(Amendment of section 2 and 33)

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

> "कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL : I introduce the Bill.

15.59 hrs.

(XLII) INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL, 2012*

(Substitution of new section for section 124A)

SHRI BAIJAYANT PANDA (KENDRAPARA): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

सभापति महोदय: प्रश्न यह है :

> "कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI BAIJAYANT PANDA : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.

सभापति महोदय : श्री हमदुल्लाह सईद -उपस्थित नहीं।

16.00 hrs.

(XLIII) AGRICULTURAL PRODUCE (REMUNERATIVE SUPPORT PRICES AND MISCELLONEOUS PROVISIONS) BILL, 2012*

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि फलों और सब्जियों सहित कृषि उपज का वार्षिक और मौसमी आधार पर लाभकारी समर्थन मूल्य नियत करने हेतु एक कृषि उपज मूल्य नियतन बोर्ड की स्थापना और खुले बाजार में इन उपजों के मूल्यों में भारी कमी होने पर सरकार द्वारा समय पर मध्यक्षेप करने तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापति करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः

> "कि फलों और सब्जियों सहित कृषि उपज का वार्षिक और मौसमी आधार पर लाभकारी समर्थन मूल्य नियत करने हेतु एक कृषि उपज मूल्य नियतन बोर्ड की स्थापना और खुले बाजार में इन उपजों के मूल्यों में भारी कमी होने पर सरकार द्वारा समय पर मध्यक्षेप करने तथा उससे संसक्त और उसके आनुषंगी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापति करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

16.0 ½ hrs.

(XLIV) PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS (AMENDMENT) BILL, 2012*
(Amendment of section 38)

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमदि दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमदि दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

<u>16.01 hrs.</u>

(XLV) FREE EDUCATIONAL AND HOSTEL FACILITIES TO STUDENTS BELONGING TO THE SCHEDULED CASTES, THE SCHEDULED TRIBES AND ECONOMICALLY WEAKER CLASS BILL, 2012*

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को स्नातकोत्तर स्तर तक निःशुल्क शिक्षा और छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः

"कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को स्नातकोत्तर स्तर तक निःशुल्क शिक्षा और छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.

16.02 hrs.

(XLVI) CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 2012*

(Amendment of article 130)

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

SHRI R. THAMARAISELVAN : I introduce the Bill.

16.03 hrs.

(XLVII) EDUCATION LOAN BILL, 2012*

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for education loan to students and for matters connected therewith.

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः

> "कि छात्रों को शिक्षा ऋण तथा संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

SHRI R. THAMARAISELVAN : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.

16.04 hrs.

(XLVIII) ABOLITION OF BEGGING BILL, 2012*

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for abolition of begging and for matters connected therewith or incidental thereto.

सभापति महोदय : प्रश्न यह हैः

> "कि भिक्षावृति के उत्सादन और उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

SHRI R. THAMARAISELVAN : I introduce the Bill.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section –2, dated 07.12.2012.

16.05 hrs.

BAN ON WITCHCRAFT BILL, 2010- Contd.

सभापति महोदय : क्रम संख्या - 74,

डा. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी - उपस्थित नहीं।
माननीय मंत्री महोदय, श्रीमती कृष्णा तीरथ

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): सभापति महोदय, श्री ओम प्रकाश यादव जी ने जादू टोना पर पाबंदी विधेयक 2010 रखा था। इसमें इनके बहुत सारे सुझाव आए हैं और यह बहुत अमानवीय घटना है कि महिलाओं के साध ही यह डायन प्रथा की बात कही जाती है और जो बिल की बात कही है कि छत्तीसगढ़ राज्य में या अन्य कुछ राज्यों में जो महिला अकेली है या विधवा हो गई है या घर में रहकर चार दीवारी के भीतर बंद हैं और कभी कभी उनको प्रोपर्टी का भी शेयर नहीं मिलता है तो इस वजह से भी उनको डायन कहकर मार दिया जाता है।

16.06 hrs.

(Shrimati Sumitra Mahajan *in the Chair*)

हमारे मंत्रालय ने बहुत बार इस पर विचार किया है। मैं समझती हूं कि हम अपने मंत्रालय की ओर से इस पर स्टडी करवा रहे हैं। उस स्टडी के आने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा और जो पीछे मेरे पास रिकार्ड है कि समय समय पर महिलाओं को इस तरह से घर से बाहर डायन कहकर या पत्थर मारकर या प्रताड़ना देकर मार दिया जाता है। मैं समझती हूं कि हमारा मंत्रालय चाहता है कि डायनप्रथा पर एक रोक लगे और इस प्रथा में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को अपराधी ठहराये जाने की बात जो बिल में कही गई है, अभी तक हमारे इंडियन पेनल कोड में धारा 302 और 304 के अन्तर्गत जिसमें हम कहते हैं कि उसे सजा-ए-मौत दी जाए, इस बात को रखा गया है।

जिस दूसरे प्रश्न पर विचार किये जाने की जरुरत है, वह यह है कि क्या इस विषय पर केन्द्रीय कानून की कोई आवश्यकता है कि नहीं है क्योंकि कुछ राज्यों में यह स्थापित है और उस राज्य में जैसे राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो हत्या के उद्देश्य में डायन प्रथा में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत हत्या और धारा 304 के अन्तर्गत हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के आंकड़े इकट्ठे करता है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2005 में हत्या के उद्देश्य से डायन प्रथा की कुल घटनाओं की संख्या वर्ष 2005 में 197 थी जो 2010 में घटकर 179 हुई और वर्ष 2010 के आंकड़ों के राज्यवार

विश्लेषण में यह पता चला है कि मामले मुख्य रूप से हरियाणा में 57, उड़ीसा में 31, आन्ध्र प्रदेश में 26, मध्य प्रदेश में 18, झारखंड में 15 और महाराष्ट्र में 11 पाये गये। छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, मेघालय जैसे राज्यों में भी इन मामलों की संख्या दस से भी कम रही है। इन राज्यों में भी जनजातीय क्षेत्रों में तथा दलित समुदाय के विरुद्ध ऐसे मामलों की संख्या बहुतायत में पाई जाती है।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि एक तो इस तरह के मामलों की कुल संख्या अधिक नहीं है। लेकिन फिर भी जो संख्या है, बहुत ही अमानवीय है। मुझे समझ नहीं आता कि हम डायन प्रथा में डायन महिलाएं ही क्यों होती हैं? हम कभी पुरुष को तो नहीं कहते हैं कि उसकी नजर किसी को लग गई या उसकी नजर से कोई बच्चा बीमार हो गया या बड़ा व्यक्ति बीमार हो गया। इसके पीछे कुछ कुरीतियां हैं और जैसे मैंने पहले कहा कि कभी कभी होता है कि एक बेचारी महिला को अबला मानकर कि उसका कोई नहीं है, उसे प्रताड़ना देते हैं। कहीं जो हमने अधिकार दिये हैं कि कहीं वह अपना अधिकार न मांगे, इससे वंचित कराने के लिए उसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है और डायन का नाम दे दिया जाता है।

मैं समझती हूं कि इस मुद्दे पर हमारा एनसीडबल्यू अपनी जागरूकता प्रदान करने के लिए समय समय पर सेमानीर करता है। कुछ एनजीओ मिलकर इसका प्रचार प्रसार करते हैं और इस बात को रोकने के लिए कुछ राज्यों ने अपने कानून भी बनाए हैं और मैं समझती हूं कि जगह जगह जिन राज्यों में ये हैं, उनके अपने कानून भी बने हुए हैं। लेकिन एक सवाल यहां उठा था। श्री ओम प्रकाश यादव जी का यह बिल है और उनको मैं अब कहना चाहूंगी कि बहुत सारे मामले इसमें आए हैं और इसमें हमारे बहुत सारे सांसद- सतपाल महाराज जी, श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री शैलेन्द्र कुमार जी, श्री विजय बहादुर सिंह जी, श्री जगदम्बिका पाल जी और श्री हुक्मदेव जी ने बहुत अच्छे उद्गार व्यक्त किए हैं। अभी वे यहां नहीं हैं। वीरेन्द्र कुमार जी ने अपनी बात कही। मैं यह मानती हूं कि इस पर पाबंदी होनी चाहिए। जादू टोना पर पाबंदी विधेयक 2010 जो आया है लेकिन मैंने जैसे कहा कि इसकी एक स्टडी कराई जा रही है।

जैसा कि मैंने कहा एक स्टडी कराई जा रही है और इसके बाद देखेंगे कि किस राज्य में क्या रुख होगा। उस राज्य में भी कानून बने हैं। निर्का पर पहुंचने के बाद इस कुछ विचार किया जाएगा। मैं समझती हूं कि ओम प्रकाश यादव जी प्रस्तावित विधेयक वापिस ले लें और इसका समर्थन न किया जाए। मैं इस बात को रखना चाहती हूं।

MADAM CHAIRMAN : I think the hon. Member is not present in the House. So, we may now put the motion for consideration to the vote of the House.

The question is:

"That the Bill to provide for ban on witchcraft in any form in the country be taken into consideration."

The motion was negatived.

MADAM CHAIRMAN: The House shall now take up Item No. 75. Shri L. Rajagopal – not present.

16.11 hrs.

PROVISION OF SOCIAL SECURITY TO SENIOR CITIZENS BILL, 2010

MADAM CHAIRMAN: The House shall now take up Item No. 76. Shri J.P. Agarwal.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि वरिष्ठ नागरिकें के लिए सामाजिक सुरक्षा का उपबंध विधेयक, 2010 पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति महोदया, मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं बहुत दिन से कोशिश में था कि यह बिल किसी तरह पेश कर सकूं। मैं आज बहुत खुश हूं कि मुझे आज यह बताने का मौका मिला कि मैं जिन लोगों के लिए बात कहना चाहता हूं, वे किन हालात में हैं। यह बिल सीधा उनसे जुड़ता है। सवाल यह नहीं है कि हम सिर्फ सीनियर सिटीजन्स की पेंशन के बारे में बात कह रहे हैं। सवाल यह है कि वे किन हालात में हैं और वे हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? कानून जो पहले से बने हुए हैं, क्या उनमें किसी सुधार की जरूरत है? अगर जरूरत है तो हम कहां तक सुधार कर पाए? हमने कहां तक कोशिश की कि हम उन्हें छू सकें? वे लोग जिनके लिए मैं यह बिल लाया हूं, उनके पास पैसा नहीं है। वे एक ऐसी उम्र पर आ गए हैं, पड़ाव पर आ गए हैं कि उनको सहारे की जरूरत है फिर चाहे वह सहारा घरवालों से मिले या सरकार से मिले। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी और भी ज्यादा हो जाती है क्योंकि वे इस देश के नागरिक हैं। वे ऐसे हालात में हैं और सरकार को उनकी तरफ देखना चाहिए और उनके लिए साधन जुटाने चाहिए, कानून बनाने चाहिए ताकि उन्हें फायदा मिल सके। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें मां-बाप की संज्ञा भी दी जा सकती है। चाहे वे जिंदा हैं, कई जगह दो में से एक जिंदा है, उनके पास कोई साधन नहीं है, सारा दिन वे सड़क पर रहते हैं, पार्क में रहते हैं और उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। हमने भगवान तो नहीं देखा लेकिन हम सीनियर सिटीजन्स के रूप में मां-बाप देखे हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया। ये वे लोग हैं जो खुद दुख सहते हैं ताकि उनके बच्चों का समाज या परिवार खुशहाल रह सके, तंदुरुस्त रहे। उनके बच्चे इज्जत और नाम कमाएं। वे लोग हैं, जो सारा जीवन काम करते हैं। मेहनत करते हैं। अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद वे जो जो भी काम करते हैं, वह सीधा परिवार और देश के साथ जुड़ता है। अगर वे किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो पैदावार करते हैं। पैदावार करते हैं, तो वह सामान बिकता है। सामान बिकता है तो देश की प्रोडक्शन के साथ जुड़ता है। वे जो कमा कर लाते हैं, वह परिवार की आमदनी के साथ जुड़ता है। उन्होंने अपना सारा जीवन देश और और समाज को किसी न किसी रूप में दिया है।

कोई सैनिक है, कोई पुलिस वाला है या कोई सरकारी कर्मचारी है, कहीं न कहीं वह कार्यरत रहे और उन्होंने अपना जीवन इस देश या परिवार के लिए समर्पित किया है।

आज जरूरत है और इनको दो हिस्सों में भी बांटा जा सकता है। हमारे कुछ ऐसे परिवार हैं, जो बीपीएल में भी आते हैं, उनके हालात और भी बदतर हैं। कुछ ऐसे हैं, जो पैसे वाले परिवार हैं। जिनके पास पैसा है, वे अपने साधन रख सकते है, वे अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, वे ऐशो-आराम में जी सकते हैं। लेकिन उसके बनिस्पद बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो आज बहुत बुरी स्थिति में हैं। मैं आंकड़ों के साथ उन्हीं की बात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ।

मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने कुछ दिन पहले राज्य सभा में फ्रीडम फाइटर्स के बारे में एक सवाल उठाया था। इस संबंध में उस समय के गृहमंत्री जी से मेरी तीखी झड़प हुई थी कि हम उन्हें सिर्फ 4000 रूपये की पेंशन देते हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। सरकार ने उसको बढ़ा कर 10 हज़ार रूपये या 15 हज़ार रूपये किया है और कुछ और साधन भी उनके लिए बढ़ाए थे। आज भी वही वख्त है। फिर वह समय है, जब हम कोई फ़ैसला ले सकते हैं।

इस हाउस की जो परिपाटी चली हुई है, कि कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल हम पेश करते हैं, आखिर में खड़े हो कर हमें उसे वापस लेना पड़ता है। शायद मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि वे इस बिल को मानें, अडाप्ट करें और कोशिश करें कि वे मेरी इस बात को मान जाएं और इसमें सुधार करें।

यह सामाजिक व्यवस्था में एक खराबी भी कही जा सकती है। आज की हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, वह यह है कि शायद उन परिवारों में पैसा नहीं है। जितना कमाते हैं, उतना खर्च करते हैं। वह खर्च करने के साथ-साथ, वे अपने बूढ़े माँ-बाप की तरफ ध्यान कम देते हैं, कम तवज्जो देते हैं। सामाजिक परिस्थिति ऐसी हो गई है, जिसमें सरकार का दायित्व और ज्यादा बढ़ गया है। ताकि वह सरकार उनके लिए और साधन मुहैया करा सके। मुझे लगता है कि आज के समय में यह बहुत कम है।

मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देना चहाता हूँ कि जो दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी है, वह तकरीबन 500 या हज़ार रूपये देती है। माफ़ कीजिए आज के समय में हज़ार रूपये किसी एक आदमी को गुज़ारे लायक, एक वक्त की रोटी के लिए, रहने के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए या आने जाने के लिए बिल्कुल नाकाफी है। उसके अलावा कोई और पेंशन दी जाती है, जो कि शायद 1500 रूपये है या शायद मंत्री जी के यहां से कुछ लोगों की पेंशन बंधी हुई है। मैं आपके सामने यही रखना चाहता हूँ कि हम इस परिस्थिति को किसी तरह बदल सकें।

अब इसके दो-तीन-चार पहलू हैं। ये कौन लोग हैं? कितने हैं? हम इनको क्या देते हैं औ ये हमसे क्या मदद की अपेक्षा करते हैं? इसकी कई जगह बहुत सारी व्याख्या दी गयी है कि आप सीनियर

सिटीजन किसे कहेंगे, वे कौन लोग हैं? मैंने कई देशों की अलग-अलग व्याख्या पढ़ी। किसी में तो यह कहा गया कि जहां भी वह काम करता है, अगर वहां से रिटायर हो जाता है और अगर उसकी उम्र 50 साल भी है तो भी वह सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आयेगा और उसे वे सारे बैनीफिट्स मिलने चाहिए, जो सरकार देती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 65 वर्ष उम्र रखी है, यू.के. में 60 साल उम्र रखी है, तकरीबन 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं, अलग-अलग देशों ने अलग-अलग कानून के साथ उसकी व्याख्या की है और उन्हें सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में रखा है और उसके अनुसार उन्होंने अपने कानून में भी अलग-अलग तब्दीलियां की हैं। अब बात आती है कि कितना पैसा उन्हें मिल रहा है। वर्ल्ड लेबर रिपोर्ट 2000 में यह बताया गया है कि जीडीपी के हिसाब से वर्ष 1996 के आंकड़े, माफ करना मैं एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं कि यह बड़ा अजीब लगता है कि जब भी हम कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं, जब भी हम कहीं से कोई आंकड़े निकालते हैं, तो आपको आज की तारीख के आंकड़े कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने कोशिश की, पिछले दस साल के आंकड़े हमारे पास नहीं है, जीडीपी के हिसाब से जो सबसे पुराना आंकड़ा उपलब्ध है, परसेंटेज के हिसाब से जो पैसा दिया जा रहा है, वह वर्ष 1996 के आंकड़ों के आधार पर दिया जा रहा है। मैंने डाटा इकट्ठा किया है, इसलिए मैं उसे आपके सामने रखना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में वह 1.88 परसेंट है, श्रीलंका में 4.7 परसेंट है, मलेशिया में 2.9 परसेंट है, चाइना में 3.6 परसेंट है, अर्जेंटीना में 12.4 परसेंट है, ब्राजील में 12.2 परसेंट है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सारे देशों के मुकाबले हिन्दुस्तान में हम उनको सबसे कम पैसा दे रहे हैं या जो भी साधन दे रहे हैं, वह सारा मिलाकर नाकाफी है और हमें उसे बढ़ाना चाहिए। यह अच्छा नहीं लगता कि हमसे भी बहुत छोटे-छोटे देश, हमसे कमजोर देश, जिनके साधन कम हैं, जिनकी जीडीपी कम हैं, जिनका प्रोडेक्शन कम है, वे बुजुर्ग लोगों की तरफ ज्यादा तवज्जो दें, हम इतना बड़ा मुल्क, जिसकी आबादी सौ करोड़ से भी ज्यादा है और जिसका 12 लाख करोड़ रूपये का बजट है, वह उतना पैसा उन लोगों के लिए नहीं रखता। मुझे इस बात का अफसोस है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस ओर जरूर ध्यान देगी।

अब मैं आपके सामने सीनियर सिटीजन के आंकड़े रखना चाहता हूं। हमारे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मैंने पता करने की बहुत कोशिश की, कई बार मैंने जवाब भी मांगा तो उन्होंने यह कहा कि हमारे पास पूरे हिन्दुस्तान का आंकड़ा नहीं है, किसी एक जगह का आंकड़ा उन्होंने दिया, जो मेरे लिए नाकाफी था। मैंने और देशों के आंकड़े इकट्ठा किये हैं कि कहां कितने परसेंट सीनियर सिटीजन हैं? जापान में 14 परसेंट हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 12 परसेंट हैं, स्वीडन में 18 परसेंट हैं, ग्रेट ब्रिटेन में 16 परसेंट हैं, आस्ट्रेलिया में 12 परसेंट हैं, हालैंड में 20 परसेंट हैं, तकरीबन किसी भी देश की 20 परसेंट की आबादी सीनियर सिटीजन में आती है। जितना उनका बजट है, उसके हिसाब से वे तकरीबन अपना पैसा

उन लोगों के ऊपर खर्च करते हैं या उनकी रिटायरमेंट्स स्कीम्स के ऊपर या बैनीफिट्स पर उन्हें देते हैं। इसके साथ-साथ हमारी जो पॉपुलेशन है, मुझे नहीं मालूम कि ये आंकड़े सही हैं या कितने सही हैं और क्यों सही नहीं हैं, और जगह आपने देखा होगा की 20 परसेंट है, तो आपको यह जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि हमारे यहां 60 साल से ऊपर के जिन लोगों की गिनती, नेट पर ये आंकड़े उपलब्ध हैं, आन्ध्र प्रदेश में इन्होंने लिखा है कि सिर्फ 7.6 परसेंट हैं। अरुणाचल प्रदेश में 4.5% है, असम में 5.8% है, बिहार में 6.6% है। उसके बाद दिल्ली में 5.2% है, गोवा में 8.3% है। और भी जगह के जितने आँकड़े इन्होंने यहाँ दिये हैं, सिवाय केरल के जहाँ 10% है, बाकी जगह तकरीबन 7.5%, 6% या 8% के नीचे हैं जो फिगर मुझे लगता है कि किसी भी सूरत में सही नहीं हो सकती। या तो हम यह मानें कि रिटायरमैंट एज के बाद उनका लाइफ स्पैन बहुत कम है। हम यह मानें कि रिटायर होने के बाद दो-चार या पाँच साल में उनका जीवन खत्म हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि ये आँकड़े सीनियर सिटिज़न्स के हिसाब से किसी भी सूरत में सही होंगे। मेरी आपके द्वारा सरकार से पुरज़ोर मांग है, यदि सरकार के मंत्रियों के कान में मेरी बात जा रही हो, कि वे ज़रूर इस ओर ध्यान दें क्योंकि ये आँकड़े मुझे नहीं लगता कि सही हैं और अगर कहीं कोई इंटरनेशनल फोरम पर इन चीजों को देखेगा तो बहुत ताज्जुब करेगा या वह सोचेगा कि इनकी इतनी बुरी स्थिति है कि वे वरिष्ठ नागरिक होने के पाँच साल में या दस साल में मर जाते हैं।

सभापति महोदया : सबका ध्यान अच्छी तरह से आपके विषय पर है क्योंकि सबको उस कैटागरी में कभी न कभी जाना है। आप चिन्ता न करें।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : सभापति महोदया, इस संबंध में सरकार की बहुत सारी स्कीम्स हैं। As per the 2001 Census, total population of senior citizens was 7.7 crore. It is about seven or eight per cent. उसके बाद इन्होंने उसका अलग अलग डिविज़न दिया है। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ कि जो अनइंप्लॉइड हैं, ओल्ड एज सिकनैस और डिसएबल्ड में हैं, जिस तरह कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 41 में इन्होंने डेस्क्रिप्शन दिया है और उसके साथ जो मेरे मुद्दे हैं, Officially in the United Nations, subsequently the United Nations General Assembly, while adopting the universal declaration of human right, also recognized the right to social security, जो यूएन ने अलग-अलग देशों के लिए एक रिज़ॉल्यूशन एडॉप्ट किया कि इन लोगों का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद सोशल सिक्यूरिटी पर मैंने आपके सामने आँकड़े रखे कि कितना पैसा कौन सा देश खर्च कर रहा है। उसके बाद है - In a world, where the joint families are breaking down, the children are unable to take care of their

parents. Millions of elderly face destitution. उसके बाद है - Life expectancy is increasing while birth rates are on the decline. The share of population above the age of 60 is growing at a rapid rate. यह और जगह है, हमारे यहाँ यह नहीं है, जिसके आँकड़े अभी मैंने आपके सामने रखे। Population worldwide are ageing. In India, while the total population is expected to rise by 49 per cent to 1263.5 million in 2016, the number of aged persons aged 60 and above is expected to increase by 107 per cent from 54.7 million to 113 million.

The organized and unorganized sectors get the benefit of adequate Provident Fund, Old-age Pension Fund and National Senior Citizen Fund to live a reasonable decent line in their old-age. The amount of old-age pension which was Rs.500 until recently should be increased. 500 रुपये की जगह इन्होंने इसको 1000 रुपये कर दिया है जिससे मैं सहमत नहीं हूँ।

एक सर्कुलर प्रॉविडैन्ट फंड का निकला है जिसका उल्लेख मैं यहाँ करना चाहता हूँ जिसमें वहाँ के कमिश्नर ने यह कहा कि जो लोग या कंपनियाँ प्रॉविडैन्ट फंड का पैसा काटती हैं, लेकिन वे जमा नहीं करतीं, उनको उन्होंने माफ कर दिया कि उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। मैं मंत्री जी से दर्ख्वास्त करूँगा कि यह कौन सा कमिश्नर है प्रॉविडैन्ट फंड का और किस धारा के तहत उसने यह कह दिया? यह सरकारी पैसा है। प्रोविडेण्ट फण्ड का पैसा काटा जाता है, उस गरीब मजदूर से काटा जाता है, वह इसलिए कि बाद में उसको उसके बैनीफिट दिए जा सकें। उसने यह कहा कि जो एम्पलोयर है, अगर वह बैंकों में पैसा जमा नहीं कर रहा है, उसको उसमें माफ कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप इस पर कानूनी कार्रवाई ज़रूर करें।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.बलराम नायक): यह लैबर डिपार्टमेंट के तहत आता है।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : किसी डिपार्टमेंट में आता हो, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखें कि वह सीनियर सीटिजन का पैसा उस तक पहुंच जाए और इस तरह का आर्डर कोई भी पास न कर सके। इस पर मुझे बहुत सख्त एतराज़ है। In the developed countries like Canada, the amount of full monthly pension that may be paid to any person per month is 273 dollar and 80 cent per month. अब आप अंदाजा लगाइए कि यहां जो मिल रहा है और वहां जो मिल रहा है,

उसमें ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। मुझे लगता है कि हम रोज़ की कार्रवाई की तरह से इसे लेते हैं और यह समझते हैं कि हमने पांच सौ से हजार रुपये कर दिए तो यह जो बूढ़े मां-बाप सीनियर सीटिजन हैं, इनका गुज़ारा हो जाएगा। आपने कभी उनकी हालत देखी है कि वह किस तरह से पेंशन के फार्म भरकर लाते हैं। माफ करना आप भी उन पर साइन करती होंगी। उस फार्म में उनकी सारी जायदाद लिखवा ली जाती है, उनके आई कार्ड की फोटोकॉपी लगवा लेते हैं। जब बैंक एकाउंट खुलवाने की बात आती है तो उनसे बैंक गारण्टी मांगते हैं और देते हैं केवल हजार रुपये। उसके बाद भी जब तक वह डिपार्टमेंट के सौ चक्कर नहीं लगा लेता है, वह गरीब, कमजोर और बुजुर्ग आदमी, तब तक उनको पेंशन नहीं मिलती है। आप निकाल कर देख सकते हैं कि जिस एजेंसी ने भी पेंशन देनी है, क्या वह मंथली पेंशन उनको देते हैं? मेरे पास दिल्ली का आंकड़ा है। दिल्ली म्यूनिसिपल कार्पोरेशन को जो पेंशन देनी थी, वह नौ-नौ महीने, अभी भी छः महीने की पेंशन बाकी है। आप बंद करें जो पैसा आप कहीं और खर्च करते हैं। इसके लिए किसी भी इन्स्टीट्यूशन के ऊपर कानूनी पाबंदी होनी चाहिए, जिनकी जिम्मेदारी है गरीब आदमी को पैसा देने की। आप उनको क्या कहना चाहते हैं कि जो पेंशन हमें तुम्हें हजार रुपये देनी है, उसकी रोटी छः महीने बाद खाना। छः महीने आप भूखे सो, छः महीने तुम कपड़े मत पहनो, छः महीने किसी पार्क में जाकर किसी पेड़ से बंध कर खड़े हो जाओ, तुम्हें भूख नहीं लगेगी, तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है, कपड़े की जरूरत नहीं है। तो माफ करना हम कई बार बहुत बड़े-बड़े काम करते समय इन गरीब आदमियों की आत्माओं को नहीं देखते, इनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता कि यह वह लोग हैं जिन्होंने जीवन दिया है, यह चले जाएंगे, लेकिन हमें जीवन दे गए। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि जो लोग भी इस तरह का काम करते हैं, उनके ऊपर हम इतनी सख्त निगाह रखें कि वह कानून की धारा से डरें और इस तरह के काम न करें। एक दिन भी उनमें से अगर कोई भूखा सोता है तो माफ करना यह हमारे लिए सबसे बड़ी लानत की बात होगी कि 60-65 साल का आदमी एक रोटी के लिए तरस जाए हमारे राज के अंदर। हम कितने भी बड़े हो जाएं, माफ करना उनके आशीर्वाद से बड़े कभी भी नहीं हो सकते हैं और उनकी बददुआ बहुत दूर तक जाती है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन यह जो सरकारी एजेंसियां पैसा देती हैं, यही ध्यान रखती हैं। यही कहती हैं कि हमने रैन बसरे खोल दिए, ओल्ड ऐज होम खोल दिए, स्कीम्स चालू कर दीं। Some United States companies like Senior Helpers, Home Instead Senior Care, FirstLight Home Care, Home Helpers, Professional HealthCare At Home, Visiting Angels, All Valley Home Care, Home Care Assistance, Medi Home Private Care, Concerning Aging and Comfort Keepers, offer long-term, in-home care for seniors. तकरीबन 10-12 ऐसी एजेंसीज हैं जो उन लोगों के लिए काम करती हैं और इनको

सरकार से सहायता मिलती है। लेकिन हम में से, मुझे नहीं मालूम शायद कुछ लोगों को मालूम हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे यहां कोई भी ऐसा काम करने वाली ऐसी एजेंसियां हैं। जो इस तरह का काम कर रही हों और उनकी मदद कर रही हों या उनके बारे में आवाज उठाती हों। अगर करती भी होंगी तो मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा पैसा तो एडवरटाइज़मेंट में खर्च कर देती होंगी, जो बचता होगा, उसे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च करती होंगी। जो हाल आपने देखा होगा, कई बार अखबारों में आता है कि जो मेंटली रिटार्टिड बच्चे हैं, वे जिस जगह रहते हैं, आपने कई बार उनके बारे में अखबारों में पढ़ा होगा, उनके कितने बुरे हालात हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, वे नहाते नहीं हैं, उनको कोई खाना देने वाला नहीं है, उनको जानवरों की तरह से रखा जाता है। कई बार अखबारों में इसके बारे में चर्चा हुई। लेकिन मैंने आज तक यह नहीं सुना कि कोई भी एजेंसी, जिसको सरकारी पैसा मिलता है, वह ऐसा काम कर रही है और उसे सजा मिली हो, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हुई हो, हुई हो और जिसे दुनिया ने देखा हो। मान लीजिए, आपने घर में बैठकर कोई कार्रवाई उसके खिलाफ कर ली, कोई चालान कर दिया, कुछ कर दिया और काम खत्म हो गया। लेकिन जो बाहर देखने वाले लोग हैं, उनको तो इसके बारे में नहीं मालूम कि आपने उसको क्या सजा दी। आप आजीवन कारावास देते हैं, आप फांसी की सजा देते हैं, क्यों देते हैं, दुनिया अखबारों के अन्दर पढ़ती है कि इस आदमी ने गलती की है और इसलिए इसको यह सजा दे रहे हैं, ताकि आइन्दा से और करने वाले लोग वह गलती न करें। माफ करना, आज जरूरत है, मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसी बीसियों एजेंसीज़ चालू करें, क्योंकि, हमारे देश की जो तादाद है, जो पोपुलेशन है, वह बहुत ज्यादा है तो आपके पास हर जगह ऐसी एजेंसीज़ होनी चाहिए, जो उन गरीब आदमियों का ध्यान रखें, उन ओल्ड एज पेंशनधारकों का ध्यान रखें, 55 साल, 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों के लिए वे साधन मुहैया करायें और उनकी केयर करें। सरकार उनको यह साधन मुहैया कराये।

अब मैं आपके सामने अपनी कुछ मांगें रखता हूं। मुझे लगता है कि इसका कुछ उल्लेख मैंने अपने बिल में भी किया है। सामाजिक सुरक्षा अगर आप देखें, आप अखबारों में भी पढ़ती हैं, कितनी ही बार यह समाचार आता है कि जो बूढ़े लोग रहते हैं, उनको जान से मार देते हैं, वे किसी अच्छे फ्लैट या कोठी में रहते हैं, उनके बच्चें कहीं हैं या नहीं हैं, हैं तो बाहर हैं, कोई उनकी देखभाल करने वाला नहीं है। उनको कभी नौकर मार देता है, कभी वहां के जो प्रोपर्टी बेचने वाले होते हैं, बिना किसी काम के पता लगता है कि वे मर गये, पता लगता है कि किसी ने उनको जहर दे दिया, पता लगता है कि किसी ने गला घोंट कर मार दिया और उसके बाद उस पर कब्जा हो जाता है तो मेरी दरख्वास्त और मेरी मांग सरकार से यह है कि उसके पास हर ऐसे व्यक्ति का आंकड़ा होना चाहिए, गिनती होनी चाहिए, चाहे उसे वे म्युनिसिपल कारपोरेशन से जोड़ें, चाहे वे उसे पुलिस स्टेशन से जोड़ें, चाहे वहां के दरोगा से जोड़ें, चाहे वहां के डिप्टी

कमिश्नर से जोड़ें, उनके पास वह गिनती, वह घर, उन लोगों का कोई न कोई कम्युनिकेशन चैनल ऐसा होना चाहिए कि कभी कोई ऐसा हादसा हो तो यह न हो कि उनकी जो बॉडी है, वह 2-2, 3-3 दिन उस कमरे में सड़ती रहे, उसके बाद जब बदबू आती है तो पड़ोसी कहते हैं कि इस घर में शायद कुछ हुआ है और तब पुलिस आकर उसे देखती है। मेरी दरख्वास्त यह है कि उनको सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको किसी सरकारी एजेंसी से जोड़ा जाना चाहिए।

दूसरा कि जो उनका खाना है, अब बहुत सारे भण्डारे लगते हैं, मुझे तो उन लोगों पर बड़ा ताज्जुब है, जिनके मां-बाप घर में भूखे होते हैं और वे बाजार में जाकर भण्डारे करते हैं। मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं कि मां-बाप के लिए उनके पास जगह नहीं है। मेरी दरख्वास्त यह है कि अगर कुछ ऐसे लोग हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं या जो परेशान हैं, जिनके पास साधन नहीं हैं, जो अपने साधन में गुजारा नहीं कर सकते तो सरकार की तरफ से कोई ऐसा साधन हो कि उनको गुरुद्वारों से या मंदिर से, मैंने लोटस टैम्पल वालों के बारे में पढ़ा था कि इनका कोई इस तरह से भण्डारा चलता है, कहीं न कहीं सरकार इन लोगों को उससे जोड़े, ताकि लोग कम से कम दो वक्त की रोटी तो खा सकें और अपना पेट भर सकें।

तीसरा मेरा पाइंट उनकी हैल्थ के बारे में है। गवर्नमेंट एक स्कीम लायी थी कि एक रूपए रोज के ऊपर वे उनको हेल्थ केयर इंश्योरेंस देगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लोग उसके साथ अभी तक जुड़े हैं, क्योंकि कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है। मुझे नहीं लगता है, जो अखबार में एडवरटाइजमेंट आया है, उसके बाद किसी ने जाकर उन लोगों को यह कहा हो कि तुम इस स्कीम का फायदा उठा सकते हो। इसके लिए कोई एजेंसी या फोरम नहीं है। कोई पढ़ा-लिखा है, समझदार है, तो वह चला गया, वरना बाकी बहुत बुरी हालत में हैं। आपको मालूम है कि आज कितनी बुरी हालत मेडिकल फैसिलिटीज की है, किस तरह की लाइनें लगती हैं। अगर वह किसी प्राइवेट नर्सिंग होम के हाथ में पड़ गया, तो उसके वे कपड़े और मकान बिकवा देते हैं। एक-एक दिन का पचास-पचास हजार रूपए का बिल, लाख-लाख का बिल आता है। उनके पास पैसे नहीं हैं, तब दो ही रास्ते हैं। अगर वह सरकारी अस्पताल में जाता है, तो भी उसके पास उतने साधन नहीं हैं, तो दो ही सूरत हैं या तो वह उस बीमारी के साथ मर जाएगा या वह कहीं से उधार लेगा, मकान बेचेगा, कपड़े बेचेगा, तब वह गुजारा करेगा।

मेरी पुरजोर मांग है और मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बात को मानेगी कि आप उनको किसी तरह का आइडेंटीफिकेशन कार्ड दें, ताकि वे लोग किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर मुफ्त इलाज करा सकें। हार्ट की बीमारी, लंग्स की बीमारी और कैंसर की बीमारी सहित बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, जिनका

इलाज बहुत महंगा है। वह इलाज, आपकी जो एक रूपए की मेडिकल फैसिलिटी है, जो इंश्योरेंस है, उसमें भी शायद वह कवर नहीं हो पाएगा। उस कार्ड के साथ वे किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज करा सकें और उनका सारा इलाज मुफ्त होना चाहिए।

इसके बाद इनके रिक्रिएशन सेंटर्स की बात आती है। मैंने इसे पढ़ा है, इनके बिल में लिखा है, तो अगर आप रिक्रिएशन सेंटर्स की हालत किसी जगह जाकर देखें, तो माफ करना, आपको भी ताज्जुब होगा। मैं चाहता हूं कि आप जरूर किसी दिन जाएं। आज आप चेयर पर बैठी हैं और उस बात को रखने का मुझे मौका मिला है। आप महिला हैं, आपका महिला का दर्द है, आपने समाज को देखा है, परिवारों को देखा है। आप उनकी हालत देखिए। क्या वे रिक्रिएशन सेंटर्स हैं? वहां दरवाजे नहीं हैं, अखबार नहीं है, सिर्फ एक छत बना दी है और अगर वहां बरसात होती है, तो पानी टपकता है, वहां कोई कैरमबोर्ड नहीं है। वह घर में अकेला है, बेटा उसका कहीं चला गया, उसकी बहू वहां अंदर काम करती है, एक कमरे का मकान है, वह वहां बैठ नहीं सकता है। इसलिए वह सारा दिन पार्क में पड़ा रहता है या उस कमरे के अंदर पड़ा रहता है, दूसरा कोई काम उसके पास नहीं है। सिर्फ पार्क के अंदर बगैर दरवाजों का कोई कमरा बना देना, उसे रिक्रिएशन सेंटर नहीं कहा जा सकता है। अगर उसकी सांस फूलती है, तो उसे कोई देखने वाला नहीं है। मेरी यह मांग है और मैं यह चाहता हूं कि जिस तरह के रिक्रिएशन सेंटर्स दुनिया में हैं, वैसे यहां भी हों। जो मैंने 10-15 पढ़कर नाम सुनाये, इन सरकारी कर्मचारियों को वहां भेजें, पार्लियामेंट के डेलीगेशन को भेजें कि जाकर देखकर आओ कि किस तरह के रिक्रिएशन सेंटर्स हैं? अगर वे दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं दे सकते हैं, अगर वे उनकी केयर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे अंदर वह वैल्यू नहीं रही, क्या हमारे अंदर अपने मां-बाप की वह इज्जत नहीं रही, क्या हम पुराने जमाने के लोग नहीं हैं?

पांचवां, जो पैसा हम पेंशन का उनको दे रहे हैं, वह नाकाफी है। मेरी मांग है कि इसको देश की जीडीपी की ग्रोथ के साथ जोड़ा जाए। आप तरक्की कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारा बजट एक लाख करोड़ से बढ़कर बारह लाख करोड़ हो गया। हमारी इतनी पंचवर्षीय योजनायें हो पूरी हो गयीं, इतने बड़े-बड़े डैम बन गए, हमने हवाई जहाज बना लिया, पानी के जहाज बना लिए, तोपें खरीद ली, लेकिन

इनका क्या करेंगे? इनके पास पैसा नहीं है। अगर उसका मन एक आइसक्रीम खाने का करता है तो उसे सौ बार सोचना पड़ता है। अगर वह अपने पोते-पोती के ऊपर एक रूपए खर्च करना चाहता है, तो उसे उसके लिए सोचना पड़ता है। अगर उसकी ऐनक टूट जाती है तो उसे सोचना पड़ता है, वह आधी टूटी हुयी ऐनक से ही गुजारा करता है। मैं चाहता हूं कि आप उसकी पेंशन, जो मुझे लगता है कि सिर्फ सिंबॉलिक है, उसे बढ़ाकर इस हद तक ले जाएं कि वह उससे अपना गुजारा कर सके। उसे पांच हजार रूपये महीना करें, दस हजार रूपये महीना करें। आपकी गिनती होगी, आपको पता लग जाएगा कि इसकी टोटल तादाद कितनी होगी। आपके पास गिनती होगी तो आप यह कह सकते हैं कि हमें पांच हजार करोड़ रूपये खर्च करना है, हमें दस हजार करोड़ रूपये खर्च करना है, करो। एक सड़क मत बनाओ लेकिन उनका दिल मत दुखाओ। उनकी तरफ देखो कि ये कौन लोग हैं, जो हमें भविष्य दे गए।

प्रोटेक्शन ऑफ देयर प्रॉपर्टी, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे आप भी अखबारों में पढ़ी होंगी। जो उनकी प्रापर्टी है, जो उन्होंने सस्ते जमाने में बनाई होगी। बच्चे उनके साथ नहीं रहते हैं। बच्चे बाहर रहते हैं। बूढ़े मां-बाप अकेले रहते हैं तो उस प्रापर्टी को हड़पने के लिए पच्चासियों तरह के लोग लग जाते हैं, झूठे कागज बना लेते हैं, लोगों को मिला लेते हैं और यह कोशिश करते हैं कि किसी तरह उनको निकाल कर सड़क पर फेक दें और जो अब करोड़ों की प्रापर्टी है उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। कई बार उसमें बच्चे भी शामिल होते हैं।

मैं आपको एक बहुत छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक आदमी का बेटा अमेरीका में रहता था। उसके बाप की डेथ हुई तो मां अकेली रह गई। जब बाप मरा तो वह आया नहीं लेकिन बाद में वह आया। वह यहां आने के बाद अपनी मां को फुसला कर कहने लगा कि यहां से चलो। हम यहां क्या करेंगे? उसने रूपया इकट्ठा किया और जाते हुए उस मां को एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। अब आप अंदाजा लगाइए। वहां पर कोई जज साहब थे उन्होंने सुओमोटो वह केस कोर्ट में लिया। उसके बाद उसको वहां से अम्बेसी के थ्रू बुलवाया। फिर उसने माफी मांगी और उसका पैसा उसको दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रापर्टी की वैल्यू बढ़ रही है उसके हिसाब से, सबसे ज्यादा ये लोग खतरे में हैं। मैं आशा करता हूं कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए, कोई अलग कोर्ट हो, कुछ हो जिससे इस पर रोक लग सके कि उनकी प्रापर्टी किसी के नाम ट्रांसफर न हो। मान लीजिए कोई जबर्दस्ती बंदूक दिखा कर उनको कहता है कि साइन कर दो और ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, ये कैसे रूकेगा? साधरणतया यह नहीं रूकेगा। जब साहब के पास भी वह जाएगा तो कह देगा कि देखों, तुम्हारे दस्तख्त हैं। उस बूढ़े को पता है वह देख तो रहा नहीं है, उसे मालूम नहीं है कि काहे के दस्तख्त हैं। उसे पता है कि क्या कह कर किसने दस्तख्त करा

लिए। किसी भी तरह से हो सकता है। ऐसे बहुत केसेज हो रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि सरकार इसकी तरफ भी ध्यान दे।

बहुत सारी टैक्सेज हैं। मान लीजिए इनकम टैक्स है। जो आपने साधारण खाते-पिते आदमी के लिए, कमाऊ आदमी के लिए, फर्मों के लिए जो स्लैब रखा है वह स्लैब इनके लिए नहीं होना चाहिए। आप यह कह दें कि लाख रूपये महीने तक, पचास हजार रूपये महीने तक, कि सिनियर सिटिजन्स के ऊपर इनकम टैक्स लागू नहीं होगा। अगर एक लिमिट के बाद इनकम है तो वह अलग बात है। मान लीजिए कि किसी को दस लाख रूपये किराया आ रहा है तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं गरीब आदमी की बात कर रहा हूं जिसकी प्रापर्टी भी है, जिसका बिजनेस है, उसका बिजनेस पर कोई कब्जा नहीं है। उस पर बेटों का कब्जा है, औरों का कब्जा है। मेरा अनुरोध है कि उनको इनकम टैक्स में रिबेट मिलनी चाहिए। …(व्यवधान)

एक इंट्रेस्ट फ्री लोन, अभी मैंने एक स्कीम सुना था कि बैंकों ने उनके मकान को गिरवी रख कर उनको महीना बांध दिया। कुछ लोग खुश हैं। मेरा यह कहना है कि इन लोगों को कभी लोन चाहिए तो बैंक इन्हें इंट्रेस्ट फ्री लोन दे। जो भी सिनियर सिटिजन्स हैं, जब भी इनको पैसे की जरूरत पड़े, मुझे नहीं लगता कि इन्हें दस लाख रूपये चाहिए, मुझे नहीं लगता है कि इन्हें लाखों रूपये चाहिए। इनको पांच हजार रूपये, दस हजार रूपये या बीस हजार रूपये चाहिए जो इन्हें अपने इलाज कराने के लिए जरूरत होगी या किसी और चीज के लिए जरूरत होगी। किसी तरह उनकी जरूरत के साथ बैंकों के लोन को जोड़ा जाना चाहिए। किशोर भाई को ध्यान होगा कि इंदिरा जी के जमाने में लोन मेले लगे थें और बैंकों का नेशनलाइजैशन करने के बाद यह कहा गया कि आप गरीब आदमी को वगैर किसी सिक्युरिटी के लोन दें इससे बढ़िया लोन मेला और किस के लिए हो सकता है।

जो हमारे सीनियर सिटिजन्स हैं, उनके लिए लोन मेला लगा दें, एक लिमिट रख दें कि 65 साल से ऊपर के जो गरीब आदमी हैं, चाहे बीपीएल के हों या किसी अन्य कैटेगरी में हो, उनको हम दस हजार या पन्द्रह हजार रुपये एकमुश्त पैसा देंगे। बैंकों में बहुत पैसा है। आपने अरबों रुपये अमीर आदमियों को दे दिए, माफ कर दिया, एक लाख करोड़ रुपये माफ कर दिया। ले गए लूट के। बड़ी-बड़ी कंपनियां खुल गयीं, डूब गयीं, बैड-डेट हो गए और बैंकों ने एक मिनट में हाथ खड़े करके माफ कर दिए कि हम क्या करें। उनसे आप कानूनी पेंच लगाकर पैसा वसूल कर सकते हैं। सीनियर सिटिजन्स को दीजिए, उनको पैसे की जरूरत है। उनको 90 प्रतिशत तक फ्री, मैं कहूंगा कि फ्री दे दो, आप एमपीजी और एक्स-एमपीज को फ्री देते हो, एयर और रेल टिकट दे दो। उसको अपनी बेटी या बेटे से मिलने जाना है, तीर्थ पर जाना चाहता

है। कहां जाते हैं ये लोग? ये लोग व्यापार करने नहीं जाते हैं, इनकी जरूरत है। दवाई खा रहा है, मर रहा है, भाग रहा है, रेल में कहां सफर करने जाएगा, शौक के लिए घूमने नहीं जाएगा, चौपाटी पर घूमने नहीं जाएगा। उसे वैष्णो देवी जाना है या किसी अन्य तीर्थ स्थान तक जाना है। मेरी सरकार से मांग है कि आप इनकी एयर और रेल टिकट में 90 प्रतिशत छूट दें।

ओल्ड एज हाउसेज के बारे में मैंने बताया है। यहां ओल्ड एज हाउसेज बनाएं, उनमें सुविधाएं दें, साधन मुहैया कराएं। उसके अंदर इनडोर गेम्स रखें, अखबार-मैगजीन्स रखें, अगर कोई लिखाई-पढ़ाई करना चाहता है, तो उस तरह के साधन देकर उसे किसी से जोड़ें ताकि वह वहां उसका काम कर सके। उन एनजीओज को जो इन लोंगों के लिए काम करती हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाए। मैं कहूंगा कि जो बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, उनको इसके साथ जोड़िए। उनको कहिए कि आपको परमीशन तभी मिलेगी, जब वह ओल्ड एज होम बनाएगी। मत दो उनके शेयर निकालने की परमीशन। सब्सक्राइब कर रहे हैं, करोड़ों रुपये जनता से इकट्ठे कर रहे हैं। माफ करना, कहना नहीं चाहिए, मैंने पढ़ा था कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिसने अपनी पत्नी को बोइंग गिफ्ट किया उसके जन्मदिन पर। यह क्या मजाक है? एक आदमी अपने बाप को खाना नहीं खिला पा रहा है, मां को खाना नहीं खिला पा रहा है और दूसरी तरफ हम क्या उदाहरण पेश कर रहे हैं। क्या यही समाजवाद है? क्या यही सोशल वेलफेयर स्टेट है? मजाक बना दिया है कि अपनी बीवी को इससे बड़ा गिफ्ट नहीं दे सकते। इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाइए। 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जो खाने की तलाश में मारे-मारे घूमते हैं, रोटी और रोजगार की तलाश में मारे-मारे घूमते हैं और हम उनको क्या दिखाना चाहते हैं। क्या यह उनका देश नहीं है? उन्होंने इस देश की आजादी में हिस्सा नहीं लिया? क्या उन्होंने अपना खून नहीं दिया, क्या उनके मां-बाप जेल नहीं गए। लेकिन दिखा रहे हैं कि हम बडे हैं। इनक्रीज इन पेंशन मनी की बात अभी मैंने आपके सामने रखी है।

मैंने एक स्कीम देखी थी कि सब-डिवीजन में ट्रिब्यूनल्स बनेंगे। ट्रिब्यूनल्स हमने बना रखे हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, मेरे पास आंकड़े हैं। मैं भी दिल्ली में रहता हूं, मुझे नहीं मालूम है कि कहां पर यह ट्रिब्यूनल है? कहां पर जाकर वह अपनी शिकायत कर सकता है? अगर कोई उसे तंग कर रहा है, तो वह सिर्फ एसएचओ के पास जाकर बैठ जाता है कि मेरी मदद कर दो। मैंने ऐसे ट्रिब्यूनल्स नहीं देखे हैं। हो सकता यहां बैठे हुए माननीय सदस्यों को मालूम हो कि कहां पर ऐसे ट्रिब्यूनल्स खुले हुए हैं। आप ऐसे साधन मुहैया कराइए कि वह वहां पहुंच सके।   उसे मालूम हो कि आपने इतना दिया है, जबकि हकीकत यह है कि उसे तो मालूम नहीं, लेकिन आपको मालूम है, तो फिर ऐसे ट्रिब्युनल्स का कोई फायदा नहीं है। जो कानून की पेचीदगियां हैं, कानून की पाबंदियां हैं, उन्हें ठीक करके आप इन लोगों के हक में काम करें।

वरिष्ठ नागरिक की आयु सीमा 55 वर्ष की जानी चाहिए। सरकार के कई विभागों में 65 साल रिटायरमेंट उम्र की गई है। मेरा कहना है कि सरकार को इस पर ध्यान देकर वरिष्ठ नागरिक की आयु सीमा कम करनी चाहिए। सरकारी आंकड़ें जो इस बारे में बताए जाते हैं, मैं चाहता हूं कि इन आंकड़ों का डिवीजन भी करें कि अगर सीनियर सिटीजन है तो किस केटेगरी में है। क्या वह पैसे वाला है या कम पैसे वाला है, क्या इनकम टैक्स अदा करता है या बीपीएल है या राशन की लाइन में लगने वाला सीनियर सिटीजन है या जे.जे. कलस्टर वाला है या फिर सड़क की पटरी पर रहने वाला है। इस हिसाब से आपको सीनियर सिटीजन के आंकड़े देने चाहिए और उन्हें सुविधाएं देनी चाहिए। इस काम में कई विभाग और मंत्रालय काम करते हैं, चाहे वह रेल मंत्रालय हो या गृह मंत्रालय हो या वित्त मंत्रालय हो या अन्य कोई विभाग हो। लेकिन जिस मंत्रालय का भार आपको मिला है, वह बहुत जिम्मेदारी वाला है। इसलिए अगर आप डंडा लेकर चलेंगे तो काफी फायदा होगा। आप 500 रुपए और अन्य बातों को छोड़िए, सख्ती से काम करिए। मेरा मानना है कि जो काम करता है उसका नाम इतिहास में लिखा जाता है, जो समय बिताता है, उसका नाम नहीं लिखा जाता है। यह बात मैं इसलिए आज यहां कह रहा हूं कि मुझे समय मिला है। इस देश में जितने भी पेंशनधारी हैं।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): सरकार के जवाब के बाद भी आपको मौका मिलेगा।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मेरे दिल में काफी दर्द है इसलिए मैं कह रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि सीनियर सिटीजंस को बैंकों से सहायता मिलनी चाहिए, कम्युनिटी वर्क में लगाया जा सकता है। जहां भी सरकारी बोर्ड, एजेंसीज या कमेटीज हैं, इन्हें प्रतिशत के हिसाब से आप जगह दें और काम लें। आपने 65 साल के बाद इन्हें बाहर कर दिया, वे सड़कों पर पड़े हुए हैं, उनकी युटिलिटी और उनके अनुभव का फायदा आपको उठाना चाहिए।

केन्द्रीय सहायता द्वारा ओल्ड एज होम्स जो स्थापित किए गए हैं, मैं उस बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। यह दर्द भी अपने मन का मैं सदन में रखना चाहता हूं। सरकार का 2011 का आंकड़ा है, अरुणाचल प्रदेश में जीरो, असम में 11, बिहार में एक, छत्तीसगढ़ में दो, दिल्ली में एक, हरियाणा में सात, हिमाचल प्रदेश में एक, कर्नाटक में 50, केरल में दो, मध्य प्रदेश में चार, महाराष्ट्र में 16, मणिपुर में 15, ओड़िशा में 44, पंजाब में पांच, तमिलनाडु में 42 और आंध्र प्रदेश में तो सबसे ज्यादा 112 हैं।

17.00 hrs.

मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जिस समय मैंने यह बिल डाला था उस समय मुझे नहीं लगा था कि मुझे कभी मौका मिलेगा और यह बैलेट में आयेगा और मैं यहां खड़े होकर बोल सकूंगा और अपना दर्द बयान कर सकूंगा। आज भी उन लोगों की जगह कम से कम मेरी निगाह में भगवान के बराबर है। मुझे बड़ा दुःख होता है जब वे अपने पेंशन के फार्म साइन कराने आते हैं। आज वक्त है कि हम कुछ ऐसा करें जिसे दुनिया देखे और बाकी देश हमारे बारे में मिसाल देकर अपनी-अपनी संसद में ये कहें कि हिंदुस्तान में इतना बढ़िया काम हुआ है। इसमें बहुत सारी चीजें मैनेजमेंट की हैं, लोगों को साथ जोड़ेंगे, चीजों को मुहैया कराएंगे तो पैसा नहीं लगेगा, पैसा खाली पेंशन में लगेगा। क्या हर्जा है, आपके पास किसी साधन की कमी नहीं है। मैं हाथ जोड़कर सरकार से प्रार्थना करता हूं कि जो बिल मैंने यहां रखा है इस बिल को औपचारिकता से ऊपर उठकर देखें और सरकार इसे मंजूर करके लागू करे।

सभापति महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ

> "कि वरिष्ठ नागरिकें के लिए सामाजिक सुरक्षा का उपबंध विधेयक, 2010 पर विचार किया जाए।"

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं माननीय भोला सिंह जी का धन्यवाद करूंगा कि अपने से पहले बोलने का मौका दिया। बहुत ही वरिष्ठ सदस्य श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का जो उपबंधन 2010 लेकर इस सदन में आये हैं उसका पुरजोर समर्थन करते हुए सभापति महोदया से आग्रह करुंगा, क्योंकि मेरे भी दो बिल नहीं आये तो मैंने देने ही छोड़ दिये। ये प्राइवेट बिल बड़ी मेहनत से सदस्य बनाकर लाते हैं लेकिन उन पर केवल चर्चा होती है कोई रिजल्ट नहीं निकलता। मैं चाहूंगा कि जो भी माननीय सदस्य यहां बैठे हैं वे आदरणीय जयप्रकाश जी के दर्द को समझ रहे होंगे और जितनी बातें उन्होंने कही हैं उससे सम्बद्ध करते हुए यही आपसे अपील करना चाहूंगा कि यह बिल अडाप्ट हो और जो उनकी मांगे हैं वे पूरी हो सकें। मैंने सुना है कि प्राइवेट मैम्बर बिल 30-40 साल पहले आया था, आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ। इसे जरूर लाएं, इसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। माननीय जयप्रकाश जी ने सभी आंकड़े प्रस्तुत कर दिये हैं लेकिन एक मांग करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की कम से कम गणना तो होनी चाहिए और परिभाषा फिक्स होनी चाहिए। आपने रिटायरमेंट के बाद नौकरियों में ऐज-रिलेक्सेशन की है, लोगों को फायदे दिये हैं लेकिन जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनकी कोई परिभाषा नहीं दे पाये हैं और न ही गणना कर पाये हैं कि कितने पुरुष हैं कितनी स्त्रियां हैं? रोटी-कपड़ा-मकान-स्वास्थ्य का सवाल इनके सामने विकट है, जिसके बारे में जयप्रकाश जी ने बताया है। यह पीढ़ी आने वाले बच्चों को एक सीख देती है, संस्कार देती है जिससे बच्चे अपने संस्कारों को सुरक्षित रखें।

कुछ लोग कहते हैं कि 40-50 साल के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है। अगर इन वरिष्ठ लोगों की स्थिति देखी जाए तो मेरे ख्याल से एक तरीके से जो छोटा बच्चा होता है, जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे को प्यार दिया जाए, वैसे यदि इनको प्यार मिले तो मेरे ख्याल से इनकी जिंदगी भी बढ़ेगी और जो परवरिश करने वाले लोग हैं, जो इनका इमदाद करते हैं, उनको बहुत दुआ लगे। लेकिन बहुत कम लोग इसको मानने वाले हैं।

दूसरे, ये वरिष्ठ नागरिक अपने परिवार के लिए सपने देखते हैं और मेहनत मशक्कत करके अपने बच्चों का पालन पोषण करके बच्चों को आगे बढ़ाते हैं कि ये आगे चलकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे लेकिन होता उल्टा है। मैंने बहुत परिवार देखे हैं और बहुत कम ही परिवार ऐसे हैं जहां मां बाप को भगवान समझा जाता है बल्कि होता यह है कि ऐसे लोगों को बहुत दुर्दिन देखने पड़ते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल पर हमें विशेष ध्यान देने की जरुरत है। खासकर अगर यह बिल देखा जाए तो जो असहाय टाइप के लोग हैं, यह उनके लिए है और जैसे कि आज जय प्रकाश जी ने कहा कि देश की

आजादी से लेकर विकास में, उत्पादन में, सरकारी नौकरियों में चाहे किसान हों या मजदूर हों, इसमें सबका योगदान है और सब बूढ़े होते हैं। ये इनकी कैटेगरी है।

बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके पास बहुत सी सहूलियतें होती हैं और जो अपने मां-बाप की परवरिश कर सकते हैं। लेकिन बहुत से परिवार हैं जो पैसे के लालच में हैं और जैसे अभी कहानी सुनाई गई कि एयरपोर्ट पर उनको छोड़कर चले आए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सब कुछ होते हुए भी समाज से उनको तिरस्कृत किया गया। वे लावारिस की तरह पड़े रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को देखने की आवश्यकता है। आज इनको सहारा चाहिए। इनकी कैटेगरी अगर देखी जाए तो मजदूर, किसान, गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार और बड़े लोग भी हैं। दूसरी बात, बड़े विस्तार से इस बिल के बारे में जय प्रकाश जी ने कहा कि वृद्धा आश्रम, रैन बसेरा तमाम तरीके के आश्रम खोले गये हैं और बहुत से एनजीओज हैं जो लाखों रुपये ले जाते हैं लेकिन इनकी कोई मदद नहीं करता। वृद्धा आश्रम के नाम पर एनजीओज बहुत पैसे ले जाते हैं लेकिन मैंने आज तक अपने इलाके में, इलाहाबाद में, कौशाम्बी में या प्रतापगढ़ में ऐसा नहीं देखा कि दस वृद्ध को लेकर कोई एनजीओ चला रहा हो कि हम इनकी परवरिश कर रहे हैं, इनको हम मकान, रोटी दे रहे हैं और इनके स्वास्थ्य पर हम ध्यान दे रहे हैं। कोई कुछ नहीं देता है। जय प्रकाश जी ने कहा कि ऐसे लोगों को मदद देनी चाहिए लेकिन ऐसे लोगों को मदद देने से पहले हमें सोचना पड़ेगा कि जो हम मदद दे रहे हैं, उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं। अब आपने एनजीओज को देखा होगा लेकिन बहुत से लोग पैसा ले जाते हैं। वृद्धा पेंशन की बात कही गई। इसमें बहुत से लोग विकलांग हैं। चूंकि गोल मार्केट के पास मेरा एम.एस.फ्लैट है। मैं कभी कभी गुरुद्वारे के पास देखता हूं कि बेचारे वे ट्राई साइकिल पर अपंग लोग हैं, वृद्ध हैं लेकिन उनको खाने को मिल जाता है। लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं तो लोग पैसे दे देते हैं। वे भीख भी मांगते हैं और बड़े अच्छे परिवार के लोग होते हैं। जब वे अपनी कहानी सुनाते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि बेटे, हम इस परिवार के हैं और आज भीख मांग रहे हैं।

जो हमारा सामाजिक तानाबाना है, उसमें भी बड़ा अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जो पुराने लोग सांस्कारिक लोग हैं, जिन्होंने इस व्यवस्था को देखा है, वे तो इन लोगों का ख्याल रखते हैं लेकिन जो आगे आने वाली नयी पीढ़ी है, उनके अंदर संस्कार का भी बहुत फर्क है। उनको अच्छे संस्कार नहीं दिये गये हैं। वे तो बस कमा-खाकर मौज मस्ती करना चाहते हैं और वे घर से अलग हो जाते हैं। ये लावारिस न जाने कहां कहां भटकते रहते हैं। ऐसे लोगों की तरफ हमें देखना पड़ेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहूंगा कि जो भी जयप्रकाश जी ने मांग की है, इस बिल के माध्यम से अपने दिल की बात बड़े दर्द के साथ कह रहे थे, मैं पूरी तरह से उनकी मांग को अपने से सम्बद्ध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल

पर बल देता हूं कि आगे आने वाले समय में इस बिल पर तमाम लोगों के विचार आए और इसको जरूर लागू किया जाए।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): माननीय सभापति महोदया, मैं आसन के प्रति शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया। मैं सबसे पहले श्री जय प्रकाश अग्रवाल जी को इस विधेयक के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इस विधेयक के माध्यम से उन्होंने वृद्ध नागरिकों आंसू, पीड़ा, वेदना और संत्रास को जिस रूप में रखा है, वह हमारे लिए वरण्य है। महाभारत में लिखा है जब युधिष्ठिर को बहुत प्यास लगी तो उन्होंने भीम से कहा - अगल-बगल में देखो क्या कोई सरोवर है? भीम ने देखा सरोवर है, वह पानी लेना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने पानी लेना चाहा, यक्ष ने कहा- यह सरोवर मेरा है, अगर तूं पानी लेना चाहता है तो तुझे मेरे सवालों का जवाब देना होगा। भीम पानी लेने के लिए उतारु थे लेकिन वे बेहोश हो गए। उसके बाद नकुल, सहदेव, अर्जुन को भेजा और यक्ष ने यही प्रश्न किया लेकिन सभी बेहोश हो गए। तब युधिष्ठिर स्वयं सरोवर के नजदीक आए, वह पानी लेना चाहते थे। यक्ष ने कहा- ठहरो, युधिष्ठिर, तूने अपने भाइयों की यह गति देखी है, तुझे मेरे प्रश्नों का जवाब देना होगा, अगर नहीं दिया तो तेरी भी यही दशा होगी। युधिष्ठिर ने कहा- पूछिए, क्या प्रश्न है? यक्ष ने पूछा- धरती से महान कौन है? युधिष्ठिर ने कहा- मां। यक्ष ने पूछा- आसमान से महान कौन है? युधिष्ठिर ने कहा- पिता।

महोदया, मैं सदन में इस बात को इसलिए रखना चाहता हूं कि हमारी सांस्कृतिक अवधारणाओं में मां मीठे जल का कुंआ है। मां के चुंबन में सप्तऋषि हैं। मां के चुंबन के ऋण से उद्धार होना संपूर्ण जिंदगी में संभव नहीं है। हमने भारत की सांस्कृतिक धरोहर में परिवार में मां और पिता को ईश्वर की अनुपस्थिति में ईश्वर माना है, देवता माना है। हमारे जीवन में जिस तेजी से पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का दुष्प्रभाव आ रहा है, उससे मां-बाप की स्थिति और जीवन नारकीय हो गया है। मैं बिहार के नवादा से आता हूं मैं वहां एक कार्यक्रम में था, मैंने देखा वृद्ध नागरिकों का बहुत बड़ा जलूस निकल रहा है। उन्होंने मुझे देखा तो वे रुक गए, वे मांग कर रहे थे कि जो बच्चे मां-बाप की सेवा नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते उन्हें गिरफ्तार करो। मैंने सुना और कहा - ये क्या कर रहे हैं? आपकी अपेक्षाओं और शुभकामनाओं का ये बच्चे फल हैं। मां भरे हुए पेट और गर्भ को देखने के लिए कितनी लालायित होती है, समाज कितना लालायित होता है, न जाने कितनी मनौतियां होती हैं, तब ये बच्चे मां के गर्भ से आते हैं। अगर बच्चा बीमार पड़ता है तो न जाने कितने देवी-देवताओं की पुकार होती है कि इसे बचा लो, हम ये करेंगे, वह करेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि माँ-बाप घोर उपेक्षित हैं।

महोदया, मैं आज इस सदन में अपने ही गांव की बात कहना चाहता हूँ। हम जिस गांव से आते हैं, वह बिल्कुल देहाती गांव है। एक आदमी अपनी जवानी में दुकान चलाता था और उसकी जेब पैसे से भरी रहती थी। जब उसकी उम्र बढ़ गई या पैसे नहीं रहे तो अपनी जेब में वह कंकड़ ले कर चलता था ताकि

उसको पैसे का अहसास हो। उसके पांच बेटे थे। जब वह मरा तो पांच दिनों तक उसकी लाश को कुत्ते खाते रहे। जब पांचवें दिन दुर्गंध फैली तो उसके बेटे को गांव के लोगों ने दिखाया कि उसके बाप को कुत्ते नोंच-नोंच कर खा रहे हैं। लोग उसको उठा कर ले गए और उसके श्राध्द पर पूरे गांव ने भोजन किया और खुशी मनाई। भोजन करना है तो पूरे गांव का भोजन करो। यह हमारा समाज है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आखिर ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई है? ये परिस्थिति जीवन के प्रति हमारी सोच की वजह से पैदा हुई है। पश्चिम में शरीर के अलावा कुछ नहीं है। यही दुनिया है। पश्चिम में बुढ़ापा नहीं है। पश्चिम बुजुर्गी नहीं है। मैंने ताशकंद, मॉस्को और लेनिनग्राद में 80 वर्ष के बुजुर्ग को 18 वर्ष की लड़की के हाथ को चूमते हुए देख है। और 18 वर्ष की लड़की को 80 वर्ष के बुजुर्ग के हाथ को चूमते हुए देखा है। उनके जीवन में स्वर्ग नहीं है। उनके जीवन में नर्क नहीं है। जो कुछ है, वह वर्तमान है। वे बुढ़ापे को नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि हम 80 वर्ष के जवान हैं। वे कहते हैं कि हम 85 वर्ष के जवान हैं। वहां बुढ़ापा नहीं है।

लेकिन आज हमारे देश में यह स्थिति क्यों हुई है। उसका कारण है कि पहले हमारी औसतन उम्र 27 वर्ष थी। अब हमारी औसतन उम्र 74-76 वर्ष हो गई है। ज्यों ही बेटा जन्म लेता था, उसका बाप मर जाता था। बेटा दस वर्ष का हुआ, उसका बाप मर गया, माँ मर गई। तब उनकी उम्र कम होती थी। लेकिन अब तो बूढ़ा मरता ही नहीं है। अब तो बुढ़िया मरती ही नहीं है। वह 80-85 वर्ष तक जीवित रहती है। उसका बेटा भी दादा बन गया है। उसके भी बच्चे हो गए। वह अपने बोझ से परेशान है। वह अपने माँ-बाप को कहां से देख सकता है? वह स्वयं बोझ से परेशान है। माँ-बाप की अलग अपेक्षाएं हैं।

महोदया, इसलिए मैं महसूस करता हूँ कि आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस ओर श्री जय प्रकाश अग्रवाल जी ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है, हम कहना चाहते हैं कि सरकार को इस मामले में सोचना होगा। यह बात ठीक है कि भारत सरकार ने हमारे बड़े नागरिकों के प्रति कुछ कदम उठाए हैं। उनके प्रति कुछ कुछ सकारात्मक कदम उठे हैं। लेकिन इन कदमों से काम नहीं चलेगा। ये माँ-बाप जो बच्चों के लिए दादा-दादी हो गए हैं, ये बच्चों के लिए टेलिविज़न थे, ये बच्चों के लिए रेडियो थे, ये बच्चों के लिए अनुभव का खजाना थे और प्यार-स्नेह के झरने थे। लेकिन आज इस परिस्थिति में कहा जा रहा है कि उनका होम लैण्ड होना चाहिए। कहां होना चाहिए? जहां हमने मोची को भी गांव से दूर रखा। मल्लिक हैं, उनको भी गांवों से बाहर रखा है। पीपल और वट के गाछ के पास रखा है। उनको दूर रखा है। समाज की निगाहों से वह दूर है। समाज की आवश्यकता का वह पोषण करता है। लेकिन वह समाज की निगाहों से दूर है।

हमने भी अपने माँ-बाप को गांव से बाहर होम लैण्ड बनाने का कदम उठाया है। जिस तरह से यूरोप में हमने देखा है कि उन्होंने मां-बाप को कहीं दूर ले जाकर होम लैंड में रख दिया है और वे मन्थली

पैसा दे देते हैं। जब उसके मां-बाप मर जाते हैं, जब उस बच्चे को खबर होती है तो वह कहता है कि क्या बात है, कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई, मरना ही था, तुमने हमें रात को 12 बजे जगा दिया, सुबह कहती तो क्या हो जाता, जाओ उनको जला दो। ऐसी परिस्थिति है। हमने इस परिस्थिति के दर्द को आपके सामने रखा है, जय प्रकाश अग्रवाल जी ने रखा है।

महोदया, महाभारत में भी हमने देखा है कि जब महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गयी और गान्धारी भूख से मरने लगी तो उसने देखा कि जंगल में आग लगी हुई है। बेर के कुछ दाने जले पड़े हैं, गान्धारी खड़ी होकर दाने को तोड़ना चाहती है, लेकिन वह तोड़ नहीं पाती, उछलना चाहती है, लेकिन तब भी तोड़ नहीं पाती है, अगल-बगल में उसके बेटों की लाश है। गान्धारी लाश को उठा-उठाकर, लाश के टीले पर खड़ी होकर बेर तोड़ती है। जब वह बेर तोड़ रही है तो कृष्ण ने कहा कि गान्धारी क्या कर रही हो, बेटे की लाश पर खड़ी हो। गान्धारी ने कहा- हे वसुदेव, बुढ़ापा दुख का कारण है, जवान बेटे का मरना दुख का कारण है, गरीबी उससे ज्यादा दुख का कारण है, लेकिन भूख से मरना सबसे ज्यादा दुख का कारण है। इसलिए मैं भूख से मरना नहीं चाहती हूं, मैं जिन्दा रहना चाहती हूं, गान्धारी ने यह कहा।

महोदया, मैं ऐसे अवसर पर सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि जब मैं घर जाया करता था, मेरी मां कहती थी बौराहा आ गया है, जो भी मिले वह उससे कहती कि बौराहा आ गया है। वह सूरज भगवान को अर्घ देते हुए कहती थी, समाज को रखिओ, गांव को रखिओ और उसके पीछे बौराहा को रखिओ। ऐसे मॉ-बाप हुआ करते थे, लेकिन आज वह आशीर्वाद, वह शुभकामना आंसुओं में तब्दील हो गयी है, घोर उपेक्षा का प्रतीक हो गयी है। इसलिए हम आज केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि यह जो हड्डी टूटी हुई है, यह जो हड्डी झुकी हुई है, यह जो कमर झुकी हुई है, उसके पेट से इंजीनियर निकला है, उसके पेट से आई.ए.एस. निकला है, उसके पेट से आई.पी.एस. निकला है, उसके पेट से साहित्यकार निकला है, उसके पेट से कथाकार निकला है और सब कुछ उसने अब दान के रूप में इस समाज को सौंप दिया है। इसलिए आज उसकी कमर झुक गयी है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी सुरक्षा करें।

महोदया, जब सामाजिक सुरक्षा पेंशन हम गांव में देने लगे तो बुढ़िया को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती थी। चार-पांच महीने की पेंशन मिली तो उसकी बहू पैर दबाने के लिए आयी। बुढ़िया कहती आज क्या बात है, बहू पैर दबाने के लिए आयी है और पैर दबाते-दबाते बहू पूछती सुनिए, बुढ़िया कहती हां कहो, क्या चाहिए, बहू कहती स्नान करने के लिए तौलिया है, धोती नहीं है, बुढ़िया मां कहती कि आज हमारा पैसा मिला है, बेटा को दे देना, धोती खरीद लेगा। उसने रूपया दिया, बहू ने रूपया ले लिया और कल से पैर दबाना बंद कर दिया। बेटा आया, वह देख रहा है कि मां खांस रही है, उसने अपनी पत्नी से कहा कि इनको थोड़ा दवा दे दो। मां की पेंशन के कारण उसका बेटा-बहू उसे जीवित रखना चाहता है, उसकी इज्जत करना चाहता है कि अगर यह जीवित रहेगी तो कम से कम सब्जी और तरकारी तो हमें प्राप्त होगी, कम से कम हमारा नून-तेल का हिसाब-किताब तो रहेगा। इसलिए जब वह बुढ़िया खांसती है तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि जरा दवा लाकर देना। वह देखता है कि माँ खाँस रही है। सामाजिक सुरक्षा पैंशन में जो आप 400 रुपये महीना देते हैं, उसमें बुढ़िया की इज्ज़त बढ़ जाती है, बुढ़वा की इज्ज़त बढ़ जाती है। अगर आप इनको पैंशन देंगे तो उसका बेटा और बहू भी उसकी इज्ज़त करेंगे। मैं बड़ी पीड़ा से कहना चाहता हूँ कि लाखों करोड़ों रुपये, न जाने कितने टन कागज़ खर्च हो गए, न जाने कितने टन रोशनाई खर्च हो गई गेसुओं पर, चमचम चोलियों पर, लेकिन उनकी अर्थी अंधेरे में उठी, कोई उनको कंधा देने वाला नहीं था, कोई पहरेदार नहीं था। चमचम चोलियों और गेसुओं पर न जाने कितने टन कागज़ खर्च हुए, रोशनाई खर्च हुई, लेकिन जिसने संपूर्ण जीवन समाज को अर्पित कर दिया, जिसकी रोशनी से समाज को रोशनी प्राप्त हुई, जिसके शरीर से बहुत सारे पौधे निकले और वृक्ष बने, समाज को छाया मिली, समाज को फल प्राप्त हुए, आज अंधेरे में उसकी अर्थी उठती है, कोई कंधा देने वाला नहीं है। यह उस त्याग और कुर्बानी के प्रतीक का अपमान है।

महोदया, हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जय प्रकाश अग्रवाल जी ने जो मांगें की हैं और जो सुझाव उन्होंने दिये हैं, हम चाहते हैं कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके संपूर्ण जीवन की जिम्मेदारी के लिए केन्द्र सरकार इतनी निधि की व्यवस्था करे ताकि वह सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ जीवन जी सकें। एक समय था कि श्रवण कुमार अपने माँ और पिता को लेकर तीर्थाटन के लिए जा रहा था। दशरथ के तीर से वह मरा और उस पीड़ित माँ-बाप की बददुआ से दशरथ को दुख भोगना पड़ा। आज हम श्रवण कुमार की अपेक्षा नहीं करते। आज हम श्रवण कुमार की खोज भी नहीं कर सकते। वह समय की उपज थी, वह काल और समय का नियमन था। आज इस अवस्था में जब श्रवण कुमार नहीं है, आज इस अवस्था में जब बेटे पिता और माँ की सेवा करने की स्थिति में नहीं हैं, वे स्वयं बोझ से दबे हुए हैं, पारिवारिक बोझ से दबे हुए हैं। ऐसी अवस्था में हम चाहते हैं कि सरकार स्वयं इन वरीय नागरिकों की

सुरक्षा और उनके पालन-पोषण की ज़िम्मेदारी ग्रहण करे ताकि हम देखें कि यह भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जीवित रहे जो अनुभव का खजाना भी है। इसलिए हम कहते हैं कि माँ तीरथ है, माँ पूजा है, माँ ज़िन्दगी की रफ्तार है, माँ दिशा-निर्देश है।

महोदया, हम चाहते हैं कि श्री जय प्रकाश अग्रवाल जी द्वारा लाए गए इस बिल में जो सुझाव और डिमांड है, केन्द्र सरकार इस दिशा में उस पर ध्यान देकर कार्रवाई करे और विश्व में भारत के आदर्श को प्रतिस्थापित करे कि भारत की सरकार भी बुज़ुर्गों के प्रति संवेदनशील है, जिन्होंने राष्ट्र का पोषण और संपोषण किया है, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार चिन्तित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you Madam Chairperson for giving me this opportunity to speak on the Provision of Social Security to Senior Citizens Bill initiated by hon. and senior Member, Shri J.P. Agarwal.

Madam, at the outset I would like to appreciate the efforts of the hon. Member, Shri J.P.Agarwal for bringing about such an excellent Bill pertaining to the welfare of senior citizens. Now a days, social security to senior citizens has become very essential. By 2050 nearly one-fifths of the world population will be above 60 years of which India the proportion would be around 24 per cent. Thanks to the increase in the average life expectancy. Generally, senior citizens suffer from economic insecurity, physical and psychological problems and also psycho social problems. The existing old age pension scheme does not meet fully the needs of the elderly people. Solitude, neglect, indifference and abuse are some of the problems that elders in our country today are faced with.

A recent survey conducted by Help Age India reveals that the elderly people face abuse from their own family members. In Calcutta, 40 per cent of the elders are facing abuse; in Delhi 30 per cent of the elders are facing abuse from their own family members. The percentages in Mumbai and Chennai are 29.46 and 27.56 respectively. Disappearance of joint family systems, Westernised way of living is some of the factors that push elders to lead a miserable life. Economic prosperity is also one of the reasons. Disrespect, neglect and verbal abuse are faced by elders very often. The provisions of the existing law, namely, Maintenance and welfare of parents and senior citizens Act, 2007 does not give adequate security to the elderly persons. That is why, I support this Bill it has been brought by hon. Member, Shri J.P.Agarwal and it has paved the way to fulfil the directions of the General Assembly of the United Nations.

Madam, hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi has doubled the old age pension from Rs. 500 to Rs. 1,000. But the Central Government is providing only Rs. 200 per month. I would like to request the Central Government to emulate the path shown by the hon. Chief Minister of Tamil Nadu and enhance the OAP from Rs. 200 to Rs. 1000. Now, under the OAP, an old age pensioner can get only Rs. 6.60 per day. It is very pitiable and meagre. How can one person manage with a meagre amount of Rs. 6.60 per day? The hon. Minister, Shri Jairam Ramesh once said that it was an insult to the dignity of our nation. The Government may think over the plight of such persons. Our rich cultural values are on the wane. Disintegration of families is the order of the day. As average life span increases, the senior citizens, the grey haired men and women will be more in numbers in our country. Consequently, need for providing social security to the senior citizens has become more essential.

As the need arises, we need more Geriatricians, the doctors. Counselling and healing touch centres for the elderly people have to be set up as our hon. Member Shri Jai Prakash Agarwal has said just now. Both the Centre and the States have to formulate and chalk out social welfare measures to the aging persons. On the evening days of life, the elders need affection and bondage. They need nothing but affection and bondage. So, it is the healing medicine for them. In their old age, affection and bondage given by their children is the healing medicine to them.

So, in fine, I support the Bill and I would like to conclude my speech with these words which is for all: "The best thing you can do for your elders is to spend your leisure time with them."

With these words, I conclude my speech.

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदया, श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए जो उपबंध करने वाला विधेयक लाये हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं।

वैसे तो जयप्रकाश जी हमारे सभी सांसदों का ख्याल रखते हैं कि किसी के आवास में कोई तकलीफ है या नहीं है। आज वे वरिष्ठ नागरिकों की चिन्ता लेकर आये हैं, मैं उनको इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है, बहुत दर्द भरा विषय है और इस पर वे जो बोले, वह भी इतना अच्छा बोले कि मुझे इस पर ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है।

हमारे समाज में वरिष्ठ नागरिकों को बहुत अच्छा स्थान दिया गया है। हमारी पार्लियामेंट में एक श्लोक लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है कि उस सभा का क्या मतलब कि जिसमें वरिष्ठ लोग बैठे न हों और उन वरिष्ठों का क्या मतलब, जो धर्म का पालन न करते हों और उस धर्म का क्या मतलब, जो सत्य पर आधारित न हो और उस सत्य का क्या मतलब, जो समष्टि का कल्याणकर्ता न हो। अगर मानें तो हमारी संस्कृति में पुराने समय से वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान दिया गया है। वैसे पहले जमाने में जब हम संयुक्त कुटुम्ब में, संयुक्त परिवार में रहते थे तो उनका खूब महत्व था। उस समय जो वरिष्ठ लोग थे, उनका परिवार में एक प्रभावशाली स्थान था, बच्चों को भी वे पालते थे। धार्मिक एवं ऐतिहासिक कथाओं द्वारा उनको अच्छे संस्कार देने का भी, शिक्षा देने का भी काम करते थे और अपने परिवार को, परिवार के युवाओं को अपने अनुभव का लाभ देते थे और समाज के लिए दिवादांडी बन गये थे। इसके बाद कौटुम्बिक भावना में परिवर्तन आया, जो संयुक्त परिवार थे, उनकी जगह विभक्त परिवार की भावना बढ़ रही है और जिन माता-पिताओं ने कष्ट सहन करके अपने बच्चों को बड़ा किया है, वही बच्चे आज अपने माता-पिता को बोझ समझने लगे हैं। वृद्ध माता-पिता के घर में होने से उनके स्वतंत्र जीवन में वे तकलीफ महसूस करने लगे हैं। बाद में ऐसे वृद्धों की उपेक्षा की जाती है और उनका ठीक से ध्यान भी नहीं रखा जाता है। कई पीड़ित, उपेक्षित माता-पिता बाद में वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वृद्धाश्रम जो हैं, वे हमारे देश की प्रगति की निशानी नहीं हैं, वे अधोगति की निशानी हैं। ज्यादा वृद्धाश्रम होना कोई अच्छी बात नहीं है। वृद्धाश्रम परदेशों में ठीक है, लेकिन हमारे देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसमें माता-पिता को तो हमने देवता समान समझा है और उनकी पूजा होती है। आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा बहुत जरूरी है।

मैं एक बार स्टेट बैंक में गया था तो वहां पेंशन लेने के लिए बड़ी लम्बी लाइन थी। वहां उनके लिए एक ही काउण्टर था, उसमें 70-80 साल के लोग खड़े थे। जो साहब लोग थे, वे अन्दर बैठकर चाय पी रहे थे। मैंने उन्हें बोला कि इतने वृद्ध लोग लाइन में खड़े हैं, कोई गिर भी सकता है तो क्या आप दो काउण्टर चालू नहीं कर सकते, लेकिन वे असंवेदनशील आफिसर्स ने उनकी परवाह भी नहीं कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति से हमारे वरिष्ठ लोग गुजर रहे हैं।

ऐसे वरिष्ठ नागरिक जब घर में अकेले रहते हैं, तो उनको जान का और ज्यादा जोखिम रहता है, क्योंकि, चोर, बदमाश लोग ऐसे घरों को पहले टार्गेट करते हैं कि जिसमें ऐसे वृद्ध रहते हों और बाद में उनके नौकर के साथ मिलकर धन लूटने के इरादे से उनकी हत्या भी कर देते हैं। ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की सलामती और पोषण की जिम्मेदारी गम्भीरता से निभानी चाहिए। वरिष्ठों को बीमारी के वक्त ठीक से सहारा भी नहीं मिलता है। कोई उनको पैसा देने वाला भी नहीं होता है। ऐसे वृद्ध लोगों की मुफ्त ट्रीटमेंट सभी अस्पतालों में हो। मैं इसकी मांग करता हूं। वरिष्ठ नागरिकों के पोषण एवं सलामती के लिए सरकार आर्थिक मदद करे और सरकार कड़ा कानून बनाकर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करे। मैं यह मांग करता हूं, ताकि वरिष्ठ नागरिक सम्मान तथा स्वाभिमान से जी सकें। जो अग्रवाल साहब ने प्रस्ताव पेश किया है, उसके साथ मैं अपने आपको सम्मिलित करता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदया, जय प्रकाश अग्रवाल साहब ने बहुत अच्छा काम किया है कि देश में बुजुर्गों की इज्जत बढ़े और बुजुर्गों का सम्मान हो और उनकी ठीक देखभाल हो सके, इसके लिए वे विधेयक लाए हैं।

महोदया, मैं भगवान बुद्ध के समय से शुरू करता हूं। भगवान बुद्ध वैशाली में आए थे, तब उन्होंने कहा था -" वज्जिनाम सत अपरिहानिया धम्मा।" यह पाली भाषा में है, पाली में उनका प्रवचन होता था। इसका मतलब अंग्रेजी में है - Seven virtues of Vajjians leading not to decline. सत अपरिहानिया धम्मा, मतलब सात धर्मों का जिस समाज में पालन होगा, उसकी तरक्की होगी, उसकी अवनति नहीं होगी। सात धर्म, सेवेन वर्ज्यूज और वज्जियंस लीडिंग नॉट टू डिक्लाइन। वज्जी समझो वैशाली, लिच्छवी रिपब्लिक दुनिया के मुल्कों में सबसे पहले था, वहीं भगवान बुद्ध ने वचन दिया। उन्होंने जो कहा, मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं।

नंबर एक, वह अपने शिष्य आनंद से कहते हैं कि आनंद वज्जी संघ के लोग आपस में एक साथ बार-बार असेंबल होते हैं, एक साथ जुटते हैं। महोदया, डेमोक्रैसी का कांसेप्ट वहीं से शुरू होता है कि एक साथ जुटकर लोग विचार-विमार्श करते हैं। यहां पार्लियामेंट है, असेंबली है, तो कहीं पंचायत है, समिति है, सभा है, सोसाइटी है, जहां आपस में बैठकर निर्णय होता है। ढाई हजार वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने कहा था कि यहां बार-बार लोग जुटकर एक साथ असेंबल होते हैं, बैठकर विचार-विमर्श करके निर्णय लेते हैं, उसे लागू करते हैं। यह उनकी दूसरी बात है। तीसरी बात, जब नियम बनाते हैं, तब हुक्म जारी करते हैं। Democracy is the rule of law. विद्वानों ने वहीं से इसे लिया कि कानून का राज हो, हम लोग यहां कानून बनाते हैं और वह देश में लागू होता है। इसी तरह से यह डेमोक्रैसी का प्रथम सिद्धांत है। यह तीसरा है।

चौथी बात, यहां बुजुर्गों की इज्जत है, सम्मान है। बुजुर्गों की बात लोग सुनते हैं। चौथा सूत्र है - Directive principles of the Constitution, जो उस समय वज्जियन रिपब्लिक का था कि बुजुर्गों की इज्जत और सम्मान जिस समाज में होगा, उस समाज की तरक्की होगी, उसकी अवनति नहीं होगी, उसकी गिरावट नहीं होगी।

Fifth directive principle, जहां महिलायें और बच्चे जिस समाज में सुरक्षित हों, उस समाज की तरक्की होगी। छठा था कि पवित्र स्थल, जो जन्मभूमि, पुण्यभूमि, कर्मभूमि आदि सभी हैं, उनका सम्मान और सुरक्षा हो। सातवां और अंतिम था कि जो धर्माचार्य हैं, विचारक हैं, ज्ञानी हैं, वैज्ञानिक हैं,

ध्यानी हैं, जिस समाज में इनकी इज्जत होगी, इन सात धर्मों का जहां पालन होगा, उस समाज की तरक्की होगी, अवनति नहीं होगी।

सात धर्मों में जो चौथा सिद्धांत है, उसी को लाकर बाबू जय प्रकाश अग्रवाल जी ने ठीक काम किया है कि बुजुर्गों की इज्जत और सम्मान के लिए, उनकी देखभाल और हिफाजत के लिए एक निजी विधेयक इस सदन में लाए हैं। इससे हम लोगों को मौका मिल रहा है कि इस पर बहस चलायी जाए और इसे सरकार स्वीकार करे।

महोदया, किसी भी सभ्य समाज में देखा गया है, व्यावहारिक और सैद्धांतिक रूप दोनों से, वैसे तो अपने देश की संस्कृति जो भगवान बुद्ध के समय से शुरू हुयी और शास्त्रों में भी यह रही है। हम लोगों ने कानून बनाया है कि जिन बुजुर्गों का बेटे-बेटी देखभाल नहीं करते हैं, उनके लिए कानून भी बनाना पड़ा, चूंकि व्यवहार आजकल बदल रहा है। ले लो, ले लो दुआएं मां-बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। हमारे शास्त्र और पुराण में है कि माता-पिता का कितना सम्मान होना चाहिए लेकिन व्यवहार में देखा कि जहां-तहां कमियां हैं इसलिए कानून भी बनाना पड़ रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि सोसायटी में जो लोग हैं उसमें कितने प्रकार के लोग हैं? एक तो नौकरीपेशा लोग होते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी विभाग में लगा दी। उनके लिए सभ्य मूल्क में, सभ्य जगह में यथासंभव पेंशन का प्रावधान है। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी, जवानी, बुद्धि, बल और विवेक सब किसी काम में लगा दिया, बूढ़ा होने के बाद जब वह कमजोर हो गया, अक्षम हो गया उस हालत में उनकी जीविका ठीक चले और नहीं तो वे उपेक्षित भी हो जाते हैं। विदेश में तो परिवार का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। पिता जी बूढ़े हो गए। लड़का जवान हो गया और शादी-व्याह कर के वह बाहर हो गया। बूढ़ा-बूढ़ी को ओल्ड ऐज होम में रख दिया। जन्म दिन के अवसर पर उन्हें होटल में ले गया, खाना खिला दिया औहर माला पहना दिया। हम बाहर में यही सुनते हैं। इसलिए हम लोग यहां अपने बाल-बच्चे का जितना देख-रेख करते हैं, लोग अपने कुत्तों को भी देश में ज्यादा देखभाल करते हैं। बाल-बच्चा तो हट जाएगा, साथ छोड़ देगा लेकिन कुत्ता साथ में रहेगा। जब हम विदेश और यहां से तुलना करते हैं कि भाई क्या है? वे लोग ज्यादा दावा करते हैं कि हम लोग तो विकसित हैं लेकिन हम लोग की जो परिवार की संस्कृति है कि परिवार में जो बूढ़ हो गए हैं, कहीं-कहीं देखा जाता है कि उनको कोई नहीं सुनता है। अपना बाल-बच्चा भी है तो वे लोग सब कुछ बांट लिया और अलग हो गया। पहले संयुक्त परिवार का कंसेप्ट अपने यहां था। तीन, चार, पांच, या आठ पीढ़ी तक लोग साथ होते थें। अब विदेशी संस्कृति का कुप्रभाव हमारी संस्कृति पर भी पड़ने लगा। इसलिए संसद सावधान और सजग है, कानून भी बनाया गया है कि कैसे उनका रोजी-रोटी ठीक ढंग से चले। इसलिए पेंशन का प्रावधान है जो नौकरी में हैं। ओल्ड ऐज पेंशन का प्रावधान पहले नहीं था लेकिन इसका प्रावधान कुछ वर्षों से हुआ है।

इंदिरा गांधी पेंशन योजना नाम रखा गया लेकिन उसमें बीपीएल के लिए पेंशन का प्रावधान है। जो बुर्जूग हैं उनके लिए पहले 200 रूपये पेंशन का प्रावधान था फिर 300 रूपये का प्रावधान भारत सरकार ने किया है।

महोदया, यह पहले 100 रूपये का ही था। 75 रूपये भारत सरकार और 25 रूपये राज्य सरकार देती थी। कुछ राज्य अपनी तरफ से पेंशन दे रहे हैं। भारत सरकार ने इसे 200 रूपये किया। 200 रूपये के बाद अब इसे 300 रूपये किया गया है। अभी जो देश के नामी-गिरामी संगठन हैं, एनजीओ, गैरसरकारी संगठन या उसे सिविल सोसायटी कहिए, श्रीमती अरूणा राय और निखिल डे, ये सब पिछले सत्र के समय में प्रदर्शन और जंतर-मंतर पर धरणा किए थे तो हम वहां पर गए थे। उन्होंने अपना सवाल उठाया था। उनकी मांग थी कि देश के सभी बुजूर्गों को कम से कम तीन हजार रूपये का पेंशन होना चाहिए। हम को उनकी मांग जायज लगती है। जो किसान हैं उनके लिए कुछ प्रावधान नहीं है। वे भी जिन्दगी भर कमाते-कमाते, मतलब किसान मशीन की तरह खट रहे हैं। जाड़ा, गर्मी, बरसात हर समय किसान अपने खेत में खटता है। जब बुजूर्ग हो जाता है तो उनकी देखभाल के लिए इंतजाम नहीं है। उनके लिए पेंशन का प्रावधान नहीं है। बीपीएल के लिए है लेकिन किसानों के लिए नहीं है। मजदूर बीपीएल हैं तो उनके लिए है। ...(व्यवधान) दिल्ली में 1000 रुपये है। लेकिन उससे क्या होता है। हम लोग यह मानकर चलते हैं कि अगर 1000 है, तो चाय वगैरह के लिए हो जाएगा या बूढ़ा के आएगा, तो धिया-बुतवा भी उसको थोड़ा लाड-प्यार देंगे कि बूढ़े के लिए 1000 रुपये आते हैं, तो उसका कुछ खर्च का काम चल जाएगा। इसलिए यह थोड़ा साहस वाला काम सरकार करे। श्री जय प्रकाश अग्रवाल जी, आप सक्षम हैं। जब हम दुनिया में अपनी जीडीपी का दावा करते हैं कि हम one of the largest democratic country of the world हैं। हम सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। हमारी संस्कृति है कि अयं निजो परेवेति गणना लघुचेतसाम, उदारचरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। हमको ग्लोबलाइजेशन सिखाने चले हैं। वैश्वीकरण हमारी संस्कृति में पहले से है। वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात विश्व एक परिवार सदृश है। राजा रन्ति देव का दर्शन हमारे यहां है। राजा रन्ति देव का दर्शन है - न हम कामये राज्यं, न स्वर्गम्, न पुनर्भवम्। अर्थात हमें कोई राज्य की कामना नहीं है, न कोई स्वर्ग की कामना है, न मोक्ष पाने की अभिलाषा है। हमारी एक ही अभिलाषा है कि पृथ्वी पर जो प्राणी मात्र हैं, वे तकलीफ से मुक्त हो जाएं, कोई दुख-तकलीफ न रहे। हमारा इतना ऊंचा दर्शन है, इतनी ऊंची संस्कृति है जो हमारे पुरखों ने दी है। भगवान बुद्ध ने देखा कि एक जगह बुढ़ापा है, दूसरी जगह देखा कि एक बीमार आदमी है, तीसरी जगह देख कि मरे हुए आदमी को लोग ले जा रहे हैं। इन सभी पीड़ाओं को देखकर भगवान बुद्ध, जो एक राजकुमार थे, निर्वासन में चले गए और जब ज्ञान हासिल हुआ, तब जाकर फिर उपदेश दिए। दुनिया के अनेक मुल्कों में उनके उपदेश और धर्म फैल गया। हमारी संस्कृति में ऐसा

ऊंचा दर्शन है। यही केन्द्र सरकार से हमारी अपेक्षा है और राज्य सरकारें भी इस पर ध्यान दें। राज्य सरकारों की हालत और भी खराब है। पहले बिहार में 100 रुपये दिए जाते थे जिसमें से 75 रुपये भारत सरकार और 25 रुपये राज्य सरकार देती थी। फिर भारत सरकार ने बढ़ाकर 300 रुपये कर दिए और राज्य सरकार पहले जो 25 रुपये दे रही थी, वह भी बंद कर दिया और भारत सरकार वाले 300 रुपये के लिए ही असत्य प्रचार कर रही है कि हमने 300 रुपये दिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि भारत सरकार और राज्य सरकार, दोनों कमर कसें, समाज में जो बुजुर्ग हैं, नौकरीपेशा वालों के लिए पेंशन है, जिस पेशे में पेंशन नहीं है, उसमें भी प्रावधान हो। किसान-मजदूर आदि जो लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए कम से किम 3000 रुपये पेंशन का प्रावधान करें। अग्रवाल साहब की मांग थी कि इसे जीडीपी से जोड़ दिया जाए। यह बात अच्छी है, जोड़ दिया जाए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है सरकार की बैंकरप्सी हो जाएगी, केवल छाती थोड़ी चौड़ी करने की जरूरत है, माथा थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है कि हिन्दुस्तान, जो इतना विशाल देश है, जो दुनिया का छठा हिस्सा है, आबादी हमारी 16-17 प्रतिशत और जमीन 2.4 प्रतिशत है। अमेरिका से हम सीखेंगे। अमेरिका से हमारी क्या तुलना है। वहां कहते हैं कि प्रजातंत्र के लिए, प्रजातंत्र से संचालित शासन व्यवस्था प्रजातंत्र है। अब्राहम लिंकन से प्रजातंत्र सीखा है। हिन्दुस्तान में जनतंत्र पैदा हुआ है, इसलिए यह हमारी संस्कृति है। इसलिए हम दुनिया के मुल्कों को बताएं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके लिए समाज में सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा है, हम दायित्व लेते हैं कि हमारे समाज में कोई बुजुर्ग तकलीफ में न रहे। उनको सुविधाएं दी जाएं। इनकम टैक्स, रेल, हवाई जहाज, बैंक आदि में पहले से सीनियर सिटिजन के लिए कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए सोसाइटी में जहां कहीं भी बुजुर्ग देखे जाएं, उनके लिए सरकार सोशल सिक्योरिटी का इंतजाम करे। अभी के हिसाब से उनको कम से कम 3000 रुपये महीना देने का प्रावधान करे।

अगर हिसाब जोड़ा जाए तो यह कोई इतना आर्थिक बोझ नहीं है कि जिसे सरकार न उठा सके। सिर्फ सरकार को साहस दिखाने की जरूरत है। सीनियर सिटीजंस के इलाज के लिए, क्योंकि बुढ़ापे में बीमारियां ज्यादा आती हैं, इसलिए उनके इलाज का, मनोरंजन का, देखभाल का, यात्रा का, सभी सुविधाओं का इंतजाम हो जाए तो दुनिया के मुल्कों में हिन्दुस्तान गौरवान्वित होगा। सरकार साहस दिखाए, यही मुझे कहना है।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय सदस्य ने जो गैर सरकारी विधेयक रखा है, मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): सभापति महोदया, माननीय जयप्रकाश अग्रवाल ने जो गैर सरकारी विधेयक सदन में पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं इस बारे में कहना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत वेदना के साथ इस विषय को रखा है। इस बारे में भोला सिंह जी ने और रघुवंश बाबू ने जो अपने विचार यहां रखे हैं वे काफी महत्वपूर्ण हैं। यह ठीक बात है कि जिनके हाथ में चाबियां होती हैं, लोग उनके साथ जुड़े रहते हैं। हमारे देश में काफी समय पहले परिवार नियोजन कार्यक्रम चला। उससे हमारे परिवार सीमित होते गए। किसी के एक बच्चा तो किसी के वह भी नहीं। ऐसी परिस्थिति में वृद्धाश्रम बनाने की बात आई। यह भी अच्छी बात है कि सीनियर सिटीजंस को पेंशन का प्रावधान किया गया है। अलग-अलग राज्यों में पेंशन का अलग-अलग रूप है और राज्य सरकारों ने उन्हें अन्य सुविधाएं भी दी हैं। बैंक्स ने भी सुविधा दी है कि 65 वर्ष से ऊपर वाली आयु के लोगों को एक टका ज्यादा ब्याज मिलेगा। गुजरात सरकार ने बसों में यात्रा करने में रियायत दी है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इनकी पेंशन 5,000 रुपए मासिक की जाए और उसे महंगाई के सूचकांक से जोड़ना चाहिए। जैसे आज जब हम इसे अमल में लाएंगे तो जिस चीज की कीमत एक रुपया है, वह 20 रुपए की आगे चलकर हो जाएगी। आप जो 300 रुपए पेंशन दे रहे हैं, उसकी कीमत अब 3,000 रुपए हो गई है इसलिए कम से कम इन्हें 5,000 रुपए पेंशन देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।

मैं पुनः इस गैर सरकारी विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापति महोदया, जयप्रकाश अग्रवाल जी कुछ ऐसे विषयों पर गैर सरकारी विधेयक लाते रहते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इससे पहले वह सदन में कम्पलसरी वोटिंग का बिल लाए थे। उस पर सदन में काफी चर्चा हुई और हमने सदन में तथा सदन के बाहर भी उन्हें इसके लिए धन्यवाद दिया था कि आप इस तरह के चिंतनशील सांसद हैं, और संघर्ष करते रहते हैं। संघर्ष आप दिल्ली में भी कर रहे हैं, हमें पता है। आप लोक सभा की आवास समिति के प्रमुख भी हैं और सांसदों के आवास की जिम्मेदारी भी आप पर है। कभी-कभी आप कुछ अधिकारियों के साथ सांसदों का सम्वाद भी कराते हैं जैसे रेलवे में या बीएसएनएल के संदर्भ में सांसदों को क्या तकलीफ है? ऐसा संवाद आपने कराया था।

आप आज जो यह विषय लाए हैं, लगता है कि आपका पूरा ह्रदय मानवता से भरा हुआ है। यह विषय अपने आपमें बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कहना चाहता हूं कि मेरे साथ एक अधिकारी थे, यहां उनका नाम नहीं लूंगा। वह बड़े अधिकारी बन गए। उस समय मैंने उनसे पूछा कि आप मां-बाप की सेवा क्यों नहीं करते, जबकि आप सक्षम हैं, तो उन्होंने कहा कि मां-बाप ने मेरे लिए किया ही क्या है। जैसे रघुवंश बाबू बता रहे थे कि परिवार से झगड़ा शुरू होता है। ठीक है कि हम भौतिकतावादी संस्कृति में जी रहे हैं और पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन उसका परिणाम यह हो रहा है कि हम परिवार से पृथक हो रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मां-बाप ने हमें पैदा किया है, यही बहुत बड़ी बात है। जैसा अभी कहा गया कि भगवान को किसी ने नहीं देखा, लेकिन मां-बाप को देखा है इसलिए उन्हें ही भगवान मानो, उसने कहा कि नहीं।

18.00 hrs.

मैं मेरी मेहनत से अफसर बना हूं। मैं उसकी इस भावना से सहमत नहीं हूं। मैंने उससे कहा कि आज तो तुम अफसर हो लेकिन जिस समय आप पांच साल के थे और जिस समय तुम्हें स्कूल भेजना था या मजदूरी में डालना था, ये काम तुम्हारा नहीं था। तुम्हारे मां-बाप ने तुम्हें स्कूल भेजने का काम किया जिसके कारण तुम पढ़-लिखकर अफसर हो गये।

सभापति महोदया : मेघवाल जी, 6 बज गये हैं, आपकी बात अगली बार पूरी हो जाए तो ठीक रहेगा। अब शून्यकाल ले लेते हैं।

SHRI R. THAMARAISELVAN (DHARMAPURI): Thank you, Madam. I would like to raise an important issue concerning the safety of railway passengers.

Madam, the fire accidents in the trains of our country have become a regular phenomenon, causing loss of precious life and property. Every time, we order an investigation into the cause of accident, but the result is that there is no arrest in such fire accidents.

I would like to mention here certain incidents since July this year. There were more than three reported train fire accidents such as the one occurred near Nellore. As many as 32 people were charred to death and 25 others injured when a fire broke out in a coach of New Delhi-Chennai Tamil Nadu Express on 30th July, 2012. Again on 30th November, 2012, two AC coaches of the GT Express caught fire near Gwalior, leaving at least one person dead. On 04th December, 2012, a major tragedy was averted in Mumbai after a fire that broke out in the engine of a local train. Three persons were reportedly scorched in the fire. Even today, at 3.00 a.m., there was a major fine in a goods train carrying petrol on Lucknow-Howrah rail route with more than 16 bogies were gutted. This resulted a lot of disruption on this major and busy Lucknow-Howrah rail route causing inconvenience to a lot of commuters.

Madam, many committees have suggested and recommended measures to prevent accidents but, unfortunately, none of these recommendations were implemented by the Railways. In most of the trains, much needed smoke detectors or alarm systems have not been installed. Had they been installed, the Railways would have been able to prevent these fire accidents in trains.

Therefore, I urge upon the hon. Minister for Railways to direct the Railways to forthwith install smoke detector or alarm system in all the trains on a war footing so as to stop these untoward incidents.

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): सभापति महोदया, देश में बिजली की बचत संबंधी अध्ययन से पता चला है कि लेड-लाइट का उपयोग करने से बिजली की बचत में 70 प्रतिशत की कमी हो जाती है। देश में बिजली की मांग बढ़ रही है लेकिन उत्पादन कम हो रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर

आपको आज 100 यूनिट लग रहा है तो एलईडी लाइट लगाने से 30 यूनिट ही लगेगा। इसलिए एलईडी लाइट का इस्तेमाल करना जरूरी हुआ है। उसके साथ-साथ एलईडी लाइट की क्षमता 50 हजार घंटे चलने की है यानी साढ़े बारह साल तक वह चल सकती है। केन्द्र व राज्य सरकारों ने भी एलईडी लाइट की उपयोगिता को मान्यता दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह तकनीक सही ढंग से उपयोग में लाई गयी तो जनता को राहत मिलने के साथ-साथ बिजली की बचत भी हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक देश में विकास के लिए निधि का आबंटन करती है। इसको ग्रामीण क्षेत्रों में लाने हेतु वर्ल्ड बैंक के साथ जुड़कर और उसका 80 प्रतिशत तथा सांसद कोष से 20 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार करके उसे मान्यता प्रदान की जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा बिजली की बचत हो जाएगी। इस प्रस्ताव पर कदम उठाए जाएं, यह मेरी मांग है।

सभापति महोदया : श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री महेन्द्र सिंह चौहाण, प्रो, रामशंकर एवं श्री अशोक अर्गल को श्री दिलीप कुमार गांधी जी द्वारा उठाये गये विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदया, रेलवे ने दिवाली और छठ के अवसर पर 60 विशेष गाड़ियां चलाईं और रेलवे ने दावा किया कि जो लोग दिवाली या छठ के पर्व में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए हमने प्रबंध किया। लेकिन भारत सरकार का वैगन कारखाना मुजफ्फरपुर में है और वर्ष 2008 में रेलवे ने उसको टेक-ओवर किया था। लेकिन साल भर से कामगारों को वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन का पुनरीक्षण भी नहीं हुआ है और न ही उनको वेतन मिल रहा है। जो रेल के कर्मचारी नहीं हैं, उनके लिए आप रेल चला रहे हैं लेकिन जो आपके कर्मचारी हैं, उनके पर्व खराब जा रहे हैं। साल भर से उनको वेतन नहीं मिल रहा है। कई कर्मचारी उसमें भूख और बीमारी से मर गये और उनको वेतन भी नहीं मिल रहा है तथा न ही उनके वेतन का पुनरीक्षण हुआ है। उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं है और इसके साथ ही कोलकाता में वर्ष 2010 में भी भारत सरकार का कारखाना टेक-ओवर किया गया, एक को 2008 में रेलवे ने टेक-ओवर किया और इसका बुरा हाल है। लेकिन 2010 में जो टेक-ओवर हुआ, वहां के कर्मचारियों के वेतन का भी पुनरीक्षण हुआ और उनको नकद भी मिल रहा है। इस तरह से यह भेदभाव भी बरता जा रहा है कि दो हाथियों को एक साथ बांध दिया जाए और एक को दाना दिया जाए और एक को नहीं दिया जाए तो वह सनक जाता है, वह खून करता है। अब यदि यही व्यवहार आदमी के साथ किया जाए तो ठीक नहीं है। यह बहुत बड़ा अन्याय भारत वैगन कारखाना के मजदूरों के साथ हो रहा है।

इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इस कारखाने को चलाने के लिए पूंजी और दूसरे, पुनरीक्षित वेतनमान के साथ बकाये का भुगतान किया जाए और तीसरे निकाले गये कर्मचारियों को बहाल

किया जाए जिससे मैनेजमेंट ठीक चले। यह कारखाना बढ़िया है, मुनाफे में चलने वाला है और उपयोगी है तथा उसमें हजारों कामगार हैं। रेलवे उसको ठीक ढंग से चलाए, यही हमारी सरकार से मांग है।

SHRI S. SEMMALAI (SALEM): Thank you, Madam, for giving me this opportunity to raise an important public issue.

There is an urgent need to enhance the monthly allotment of kerosene to Tamil Nadu for distribution under PDS. Time and again, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, Puratchi Thalaivi Amma, has been persistently pleading with the Centre to allocate 65,140 KL of kerosene per month, which is the minimum requirement of Tamil Nadu.

18.07 hrs (Dr. Raghuvansh Prasad Singh *in the Chair*)

For the reasons best known, the Central Government is bent on reducing the allocation of kerosene to Tamil Nadu. It was reduced from 65,140 KL to 39,420 KL by the Centre. Now, we are getting 44,580 KL. No logic or reason was there behind the reduction. The reduction is due to the increase of LPG connections in the State. That is what the Centre says. Even if the allocation is based on the number of LPG connections, the Centre's calculations is wrong. Nearly one crore LPG connections are there in Tamil Nadu but the public sector oil companies are showing the figure as if 1.35 crore connections in Tamil Nadu. This is a misinformed report.

Even after repeated demands made by the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, there is no positive response from the Centre. The Centre is silent on this issue. Where will it lead to? It will lead to sufferings of the people of Tamil Nadu, that too of those who are living below the poverty line. Then, what else?

So, I would urge upon the Centre to kindly heed to the request of our leader, the hon. Chief Minister of Tamil Nadu, to restore the previous allocation of 65,140 KL kerosene at least and relieve the poor from the untold misery which they are facing now.

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान शून्य काल में आकर्षित करना चाहता हूं। मैं राजस्थान के बीकानेर संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र बीकानेर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सैकिंड फेज (आर.डी. 620 के बाद का क्षेत्र) में जुलाई-2012 तक 10.50 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र खोला जा चुका है। केंद्रीय जल आयोग के मापदंडों के अनुसार इसके रखरखाव के लिए प्रवाह क्षेत्र में 705 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से लगभग 74.3 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की आवश्यकता होती है जबकि इसके विरुद्ध इस वर्ष केवल 17.10 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई है। नहरों की देखभाल और संचालन का कार्य जमीन स्तर पर करने वाला कार्यभारी संवर्ग डाइंग कैडर है जिसके फलस्वरूप कार्मिकों के पद निरंतर समाप्त हो रहे हैं।

महोदय, आप किसी कमेटी में बीकानेर गए होंगे और आपने रेगिस्तानी एरिया भी देखा होगा। बीकानेर के आसपास श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर जिले आते हैं जहां यह नहर पहुंची है। इस नहर में टेल एण्ड पर जो लोग रहते हैं उन्हें सिंचाई के साथ पीने के पानी की उपलब्धता इसी नहर से होती है। भारत सरकार, केंद्रीय जल आयोग और योजना आयोग को राजस्थान सरकार ने 6921.31 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट भेजा है। हम रेगिस्तानी इलाके के लोग हैं इसलिए हमारी मांग है कि हमें यह राशि 90 और 10 रेश्यो के आधार पर दी जाए यानी 90 परसेंट केंद्र सरकार और 10 परसेंट राजस्थान सरकार का होना चाहिए। केंद्र सरकार कह रही है कि हम आपको 50:50 के आधार पर राशि देंगे। इस तरह तो हम काम कर ही नहीं पाएंगे। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, वे राजस्थान से आते हैं। केंद्र सरकार अगर 50:50 की रेश्यो में राशि देगी लेकिन राजस्थान सरकार अपना हिस्सा आवंटित करने की स्थिति में ही नहीं है। हमारा कहना है कि नहरों का इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। मैंने यूपी और कई और जगह देखा है कि नहरें बनी हुई हैं लेकिन डिसिल्टिंग नहीं हो रही है। पानी नहीं है। एक तरफ तो हम नई नहर नहीं बना सकते हैं और दूसरी तरफ डिसिल्टिंग पूरे देश की समस्या बन गई है। एक तरफ सिंचाई के साधन नहीं बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ ऑलरेडी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर है, उसकी मरम्मत और नहरों की सफाई के लिए पैसा नहीं है।

मेरी आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग है कि राजस्थान सरकार ने 6921.31 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इंदिरा गांधी नहर की सफाई, डिसिल्टिंग, स्प्रिंकलर सिस्टम, खराब पंपों के लिए 90:10 रेश्यो के आधार पर भारत सरकार को भेजा, उसे तुरंत स्वीकृत किया जाए। इसके साथ आईबीपी प्रोजेक्ट में सभी डीडीपी एरिया को सम्मिलित किया जाए।

सभापति महोदय : एलीगेशन में नाम नहीं लेना है।

प्रो. रामशंकर (आगरा): मैं आगरा लोकसभा क्षेत्र से आता हूं। आगरा में कई प्रकार की समस्याएं हैं, पानी, यातायात की समस्या है। भारत सरकार की तरफ से जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत सीवर लाइन के लिए लगभग डेढ़ से दो हजार करोड़ रुपया दिया गया। पांच साल हो गए, पूरे शहर की खुदाई हो गई लेकिन मानक के अनुरूप कोई काम नहीं हुआ है। जब यह सीवर लाइन डाली जा रही थी और जिस तरह के टूटे और घटिया पाइप डाले जा रहे थे इसे लेकर शहर की जनता लगातार चिल्ला रही थी। पांच साल पूरे हो गए हैं, पूरे शहर की खुदाई कर डाली है लेकिन कोई भी सीवर लाइन आज तक चालू नहीं हुई है। सीवर लाइन तब तक चालू हो ही नहीं हो सकती है जब तक वह प्रापर मेन लाइन से न जोड़ी जाए। ठेकेदार ने छोटे ठेकेदारों को काम बांट दिया है। मैंने प्रशासनिक स्तर पर कई बार लिखकर दिया है। कोई मानिटिरिंग कमेटी नहीं है। टेंडर में स्पष्ट है कि जल निगम जिन सड़कों की सीवर लाइन डालने के लिए खुदाई करेगा यथावत सड़कों को बनाएगा। आज यह स्थिति बन गई है कि जो सड़कें खोदी गई हैं वहां एक भी सड़क नहीं बनाई गई है। एक किलोमीटर सड़क बनाने के नाम पर डेढ़ करोड़ रुपए वसूले गए और विभाग ने ही हमें पेपर उपलब्ध कराए हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह महत्व का विषय नहीं है कि इसमें कितना घोटाला हुआ है बल्कि महत्व का विषय यह है कि पूरे शहर में सीवर लाइन डाली गई, एक से डेढ़ फुट के मेन होल बनाए गए जिसके कारण सड़कें कच्ची कर दी गईं। आपको यह भी जानकारी होगी कि आगरा शहर में 50,000-60,000 देशी और विदेशी पर्यटक रोज आते हैं। जो पूरे दिन जाम में फंसा रहता है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवदेन करना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा इतना लिखने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है। मैंने शहरी विकास मंत्रलाय को भी लिखा है। मैंने स्थायी समिति को भी लिखा है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को भी लिखा है कि यह शहर नर्क हो जाएगा। यदि पूरी तरह से उसका भौतिक सत्यापन नहीं किया गया तो यह शहर पूरी तरह नर्क हो जाएगा। आने वाला टूरिस्ट परेशान हो जाएगा।

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि ये जो डेढ़-दो हज़ार करोड़ रूपये दिए गए हैं और जल निगम ने वहां पर सीवर लाइन डाली है, जिससे पूरे शहर की सड़कों को खोदा है, धूल से बीमारियां हो रही हैं, लोग निकलते हुए सीवर में गिर जाते हैं, उसकी जांच होनी चाहिए।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूँ, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूँ एवं मैं शहरी विकास मंत्री जी से भी मांग करता हूँ कि इस बड़े घोटाले का भौतिक सत्यापन करा कर

सीबीआई अथवा किसी बड़ी एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिससे यह आगरा शहर नर्क से बच जाए। यहां रोज 50-60 हज़ार पर्यटक आते हैं, वे फंस जाएंगे।

मान्यवर, आपको जानकारी होगी कि दो महीने पहले माननीय शरद पवार जी वहां दो घंटे जाम में फंसे रहे। इसलिए मेरी मांग है कि इसकी प्रॉपर जांच कराई जाए। मैं बहुत पत्र लिख चुका हूँ। मुझे आश्चर्य है कि इतने महत्वपूर्ण शहर के लिए अभी तक कोई जांच नहीं कराई गई।

मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूँ कि इसमें प्रॉपर जांच हो और दोषियों को सजा मिले।

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): आदरणीय सभापति जी, आपने मुझे शून्यकाल के तहत अपने क्षेत्र के अति संवेदनशील विषय को उठाने की इजजत दी है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र साबरकांठा के हिम्मतनगर तहसील के चांदरणी गांव के निवासी कैप्टन कल्याण सिंह राठौर जो भारतीय फ़ौज के आसाम रेजिमेंट से संबंधित थे, उनका आई.सी. नंबर 23198 था। कैप्टन कल्याणसिंह राठौर सन् 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान दिनांक 05 दिसंबर सन् 1971 के दिन जम्मू क्षेत्र के छाम्ब सेक्टर में बलसारा पॉइंट पर तैनात थे। उस दिन युद्ध चल रहा था। युद्ध सामग्री की कमी होने के कारण उन्होंने अपने अन्य साथियों को वहां से अपने प्राण बचा कर वापस जाने को कहा तथा स्वयं पूरी रात मोर्चे पर डटे रह कर अकेले दुश्मन का मुकाबला करने लगे। जब अगली सुबह उनकी सैन्य टुकड़ी के लोग युद्ध सामग्री के साथ वहां पर पहुंचे तब उनको वहां पर जिंदा या मुर्दा हालत में भी नहीं पाया। इससे यह आंशका पैदा होती है कि कहीं दुश्मन ने उन्हें मारकर वहीं खाई में फेंक दिया हो या जिंदा युद्ध बंदी बना कर अपने साथ ले गए हों।

महोदय, युद्ध बंदी के बाद उनके परिवार वालों ने उनके बारे में बहुत खोजबीन की लेकिन आज तक उनके परिवार को कोई जानकारी नहीं मिली है। मैं इस विषय को दो बार शून्य काल में इसी सदन में उठा चुका हूँ। लेकिन रक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है।

महोदय, अभी तीन दिन पहले दिनांक 03.12.12 को दैनिक भास्कर अखबार में छपी खबर से यह पता चला कि पाकिस्तान ने अपने कई युद्ध कैदियों को ओमान की जेल में शिफ्ट किया था। अखबार द्वारा किए गए खुलासे के अनुसार 15 पंजाब रेजीमेंट के जवान जसपाल सिंह को सेना ने शहीद घोषित कर दिया था। लेकिन उन्हें पाकिस्तानी सेना ने सन् 1971 की जंग में हुसैनीवाला बार्डर से युद्ध बंदी के रूप में गिरफ्तार किया था तथा कुछ समय तक उन्हें तथा उनके चार अन्य सैनिक साथियों के साथ पाकिस्तानी जेल में रखने के बाद ओमान की जेल में भेज दिया गया था। तब से आज तक वह जेल में कैद हैं।

महोदय, इस खुलासे के बाद काफी संभावना है कि कैप्टन कल्याणसिंह भी ओमान या अन्य जेलों में बंद होंगे। आज भी उनके परिवार के लोगों की आंखों में आंसू हैं।

महोदय, यह मेरी समझ से परे है कि रक्षा मंत्रालय अपने गुमशुदा युद्ध सैनिकों को ले कर इतना असंवेदनशील एवं निराशजनक क्यों है? अपनी जान की बाजी लगा कर युद्ध मोर्चे पर डटे रहने वाले उन वीर जवानों, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, उनके बारे में बिना पता लगाए ही भगोड़ा या गुमशुदा कहना उनके परिवार के साथ अन्याय है तथा मेरे क्षेत्र के साथ-साथ पूरे देश का एवं सभी सैनिकों का अपमान है।

महोदय, युद्ध समाप्ति को आज 52 साल बीत गए हैं। हमारे नौजवान को कब शहीद का सम्मान मिलेगा? क्या उन्हें हमेशा गुमशुदा ही रखेंगे? क्या उन्हें अपने शौर्य के लिए सम्मानित नहीं किया जाना चाहिए?

सभापति जी, आपके माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि हमारे गुमशुदा सैनिक जो ओमान या अन्य जेलों में बंद हों तो तत्काल उनकी जांच करा कर, अगर वे जिंदा हैं तो उन्हें अपने देश में लाने की कार्यवाही तुरंत करनी चाहिए। जो शहीद हो चुके हैं या जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है, उन्हें शहीद घोषित कर के यथोचित शौयचक्र से सम्मानित करना चाहिए तथा उनके परिवार को योग्य आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए।

श्री अशोक अर्गल (भिंड): महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। मैं मध्य प्रदेश के भिंड संसदीय क्षेत्र से आता हूं। कभी-कभी यह देखने में आता है कि एटीएम शहरों में तो लगाये गये हैं, लेकिन शहरों में भी एटीएम खराब रहते हैं। मैं केंद्र सरकार से चाहता हूं कि शहरों के साथ-साथ, ग्रामीण क्षेत्र के बड़े-बड़े कस्बे हैं, उनमें भी एटीएम लगाने की बहुत आवश्यकता है। वहां के लोगों को एटीएम की सुविधा के लिए शहरों में आना पड़ता है। इसके लिए एक तो उन्हें वाहन से जाना पड़ेगा। एटीएम मशीनों पर 100-100, 200-200 लोगों की लाइनें लग जाती हैं। ऐसी स्थिति है।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के कुछ बड़े-बड़े कस्बे भी हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ-साथ देश के बहुत बड़े-बड़े कस्बे भी हो सकते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के आलमपुर, दबोह, मोह, अकोडा, बसई, गोराघाट आदि स्थानों पर एटीएम मशीनें लगवायी जायें। मैं यह भी अपील करना चाहता हूं कि जहां एटीएम खराब होते हैं, और भी नयी टैक्नोलॉजी की मशीनें आयी हैं, अच्छी-अच्छी मशीनें लायें, पुरानी मशीनों को हटाकर फेंके। एटीएम मशीनें लगाने से देश के लाखों लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना

है क्योंकि वहां पर बंदूक लेकर एक चौकीदार भी रहेगा तो उसे भी रोजगार मिलेगा यानी यह रोजगार के लिए भी कारगर है।

महोदय, मैं चाहता हूं कि भारत सरकार बड़े-बड़े कस्बों में एटीएम मशीन जरूर लगाये।

डॉ. भोला सिंह : महोदय, आप स्वयं बिहार से आते हैं और हमारी और आपकी यात्रा वर्षों-वर्षों तक साथ-साथ रही है। बिहार का नवादा जिला क्रोनिक सुखाड़ की आत्मा है। नदियां प्यासी हैं, धरती प्यासी है और वहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है।

महोदय, आपको मालूम है कि इस बियबान में एक भारतीय स्तर का जल प्रपात काकोलत है। अन्नतकाल से यह नाद कर रहा है, स्पन्दन कर रहा है, कृतन कर रहा है, संकृतन कर रहा है और चिड़ियां इसके आसपास आकर बसेरा करती हैं। इस पर्यटक स्थल को देखने के लिए प्रतिदिन देशी और विदेशी यात्री आते हैं, विदेशी मुद्रा देते हैं पर इस पर्यटक स्थल को जोड़ने के लिए जो नेशनल हाईवे-31 है, फतेहपुर से लेकर काकोलत तक, इस रोड़ के किनारे दो-दो प्रखण्ड मुख्यालय हैं।

महोदय, 17 किलोमीटर जाने में चार घंटे लगते हैं। वहां रोड नहीं हैं, गड्डे हैं। न जाने कितने सैंकड़ों लोगों की हड्डियां टूटी होंगी, न जाने कितनी सैंकड़ों गर्भवती महिलाओं का गर्भपात हुआ होगा, न जाने इस रोड ने कितनी ललिनाओं की मांग को धोया होगा। पिछले दिनों बिहार सरकार ने इस रोड को राजकीय उच्चपथ घोषित किया है। दो वर्ष हो गये, लेकिन किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं है।

महोदय, हम चाहते हैं कि यह सदन सर्वशक्तिमान है, आप आसन पर विराजमान हैं, हम चाहते हैं कि सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय इसे राष्ट्रीय स्तर का पर्यटक स्थल घोषित करके इस सड़क का एक राष्ट्रीय मान स्थापित करके इसका उद्धार करें। इस ओर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापति जी, मैंने जो नोटिस दिया है, वह दिल्ली में अनॉथराइज़्ड कॉलोनीज़ के रैगुलराइज़ेशन के संबंध में है। दिल्ली में 1600 के करीब ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनको एक पॉलिसी के तहत केन्द्र सरकार ने कहा कि हम उन्हें रैगुलराइज़ करेंगे। हमारी कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के हाथ से उनको करीब पाँच साल पहले सर्टिफिकेट भी दिलाए गए। यहाँ पूर्वांचल के बहुत लोग रहते हैं। ज्यादातर वे ही लोग वहां आकर बसे हैं। अब इन कॉलोनियों का बुरा हाल है। किसी को मालूम नहीं कि वह क़ॉलोनी किस स्तर पर है और उनके लिए क्या किया गया है। कोई कहता है कि सौ कॉलोनियाँ पास हो गई हैं, कोई कहता है 150 पास हो गई हैं, कोई कहता है कि 600 पास हो गई हैं। अगर पास हो गईं तो उनमें काम नहीं हो रहे हैं। केन्द्र सरकार के अधीन यह सारा मसला आता है। मेरी पुरज़ोर मांग है कि आप एकमुश्त यह काम करें, एक केन्द्रीय डिपार्टमैंट बनाकर उसके अधीन ये 1600 कॉलोनीज़ ले लें। आप जो कह रहे हैं कि 2007 की कट ऑफ डेट रखेंगे, मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। पाँच साल हो गए और पाँच साल में उन कॉलोनियों का विस्तार हुआ है। अगर विस्तार हुआ है तो उसकी कट ऑफ डेट आप 31.12.2012 रखें। आप यह नहीं कह सकते कि 1.1.2013 हो लेकिन अगर आप कहेंगे कि दस साल पहले या पाँच साल पहले हमने कट ऑफ डेट रखी है तो लोग मर जाएँगे। उनके मकान आपको तोड़ने पड़ेंगे। यह नहीं हो सकता। जो मकान बन गए, वह बन गए और मकान आसानी से नहीं बनते।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अभी कुछ मकान तोड़ भी दिये हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : इसीलिए मैं कह रहा हूँ। यह इनकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि एकमुश्त सारे काम हो सकें। तो वे टुकड़ों में काम करेंगे। टुकड़ों में काम करेंगे तो लोग सालों नारकीय जीवन बिताएँगे। केन्द्रीय सरकार अगर डिपार्टमैंट बनाकर अपने हाथ में ले ले और एकमुश्त पैसा उसमें खर्च करे, उसका विकास करे, सीवर, सड़क, बिजली, पानी, कम्यूनिटी सैन्टर, डिसपैन्सरी और स्कूल - जब तक आप इन सब चीज़ों का एक साथ विकास नहीं करेंगे, उनको कोई राहत मिलने वाली नहीं है। हम उनको दयनीय स्थिति में नहीं रखना चाहते। सरकार उनको कोई भीख नहीं दे रही है। सरकार उन पर कोई ऐसा अहसान नहीं कर रही है कि सरकार आउट ऑफ द वे जाकर कोई काम कर रही है।

इसलिए मेरी पुरज़ोर मांग है कि आप मेरी बात मानेंगे, एकमुश्त पैसा देंगे, डैवलपमैंट करेंगे, और सैलैक्टिव डैवलपमैंट नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे अपने क्षेत्र में 200 अनॉथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं। मुझे बहुत दुख है कि दूसरी जगह तो काम हो रहा है लेकिन मेरे यहाँ काम नहीं हो रहा है। नीचे के जो अधिकारी

होते हैं, ये फाइलों को घुमाते रहते हैं। ...(व्यवधान) मैं यह कह रहा हूँ कि नीचे कुछ अफसर होते हैं जो काम नहीं करते। मेरी पुरज़ोर मांग है कि जहाँ भी विकास हो, एक साथ विकास हो, एकमुश्त पैसा दिया जाए और उन लोगों को राहत दी जाए।

SHRI ABDUL RAHMAN (VELLORE): Mr. Chairman, I would like to bring a very important and a sensitive matter to the attention of the Government of India. The historical and archaeological national monument, Four Minarets, which is 420 year old in Hyderabad is facing unforeseen threat and great challenge for the continuation of its existence at this moment.

This 56 metre tall Hyderabad's rich heritage is under the control of Archaeological Survey of India. The ASI is held responsible to protect and manage all historical and national monuments since 1951. This monument has been seen without any kind of alteration or any change till 1960. After 1960, a small structure has been created in one of the corners of the Four Minarets. As per *The Hindu* newspaper photograph revealed in the month of November 2012 – the photograph was taken in 1962 – that a structure was created in one corner as shown in the picture.

From that time onwards, a small structure has been altered from time to time. Now it is looking a nearly 20 metre high structure, which is now called a temple. We are not against any place of worship - any temple, any church or any mosque or whatever it may be.

Our duty is to respect all religious ritual places. No religion is preaching against any other religion. All religions are preaching morality. All religions are preaching to respect the sentiments of other religions. So, we are not against any temple or any other place of worship. My simple point is that the ASI is having the full responsibility to protect any national monument and no building is allowed to be constructed within 100 metres from a national monument, according to the rule of law. My simple question is how ASI authorities have allowed to erect a structure, whatever it may be, whether it is a worshipping place or not. How have

they allowed to create or to make this kind of a structure? Even after it is made, at least proper and relevant steps were supposed to be taken by them.

Mr. Chairman, Sir, a well-known ASI stipulation prohibits building of any kind of structure, as I already told you, within 100 metres of a national monument, but this temple seems to have slipped through such a stricture, no doubt, by the apathy and negligence of the authorities.

By taking this opportunity, I would like to request the Government of India to take necessary and needful action to protect and keep this national monument, Four Minarets, as it originally was existing without any kind of alteration and without any kind of additions.

SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): Sir, I associate with him.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, अग्रवाल जी ने दिल्ली के बारे में अपनी बात कही है कि अनएथोराज्ड कॉलोनीज़ को फरवरी, 2007 से रैगूलराइज किया गया। मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। भारत सरकार के द्वारा जिस तरह से दिल्ली में अनएथोराइज्ड कॉलोनीज़ को रैगूलराइज़ किया, उसी तरह से अण्डमान में भी करे।

महोदय, जिसके लिए मैं आज खड़ा हुआ हूं वह अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह की कांग्रेस सरकार और उनका मुखिया नेशनल एडवाइज़री काउंसिल का चैयरपर्सन वर्ष 2006 में अण्डमान की लाइफ लाइन, जिसको श्रीमती इंदिरा गांधी ने बनाया था, हाल ही में 17 अक्टूबर, 2012 को प्रशासन ने यह प्रस्ताव पेश किया कि अण्डमान ट्रंक रोड़ को जारवा के नाम पर हम बंद कर देंगे। आइये हम इसका इतिहास ढूंढते हैं। अण्डमान में जब ब्रिटिश आए थे तो उस समय भारत के विभिन्न प्रांतों से कुछ लोगों को लाकर अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह में बैठाया गया था। उसके बाद सैटलमेंट का ज़माना आया। बांग्लादेश, तमिलनाडु, श्री लंका और झारखण्ड से रिफ्यूज़ी लोग लाए गए, जिन्हें मिडिल और नार्थ अण्डमान में बैठाया गया। आप जानते हैं कि पोर्ट ब्लेयर बीच में है और आप यह भी जानते हैं कि भारत के दो द्वीप थे, छोटा कोको आईलैण्ड और बड़ा कोको आईलैण्ड। पचास साल पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कोको द्वीप को बर्मा को गिफ्ट कर दिया। बर्मा के पास जाने के बाद कोको आईलैण्ड में चीन का अड्डा बन गया है। उसी का लाइफ लाइन है मिडिल और नार्थ अण्डमान। उस ज़माने में पोर्ट ब्लेयर से मिडिल-नार्थ जाने के लिए समुद्र का एक पथ था। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। लोगों ने मांग की और इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री के समय अण्डमान ट्रंक रोड़ बनाने का प्रस्ताव लाया गया। इसका काम वर्ष 1958 में शुरू किया। काम चलता

रहा। बीच में 43 किलोमीटर का जारवा रिजर्व एरिया आ गया। वर्ष 1975 में काम बंद हो गया। फिर दुबारा कांग्रेस राज्य सरकार में थी। वर्ष 1987 में दोबारा काम शुरू किया। वर्ष 1998 में अण्डमान ट्रंक रोड का दोबारा काम पूरा हुआ। पोर्ट ब्लेयर से बडाटंग का जो बोट रूट था, वह ऑटोमेटिक बंद हो गया। लोग समुद्र के रास्ते से उल्टी के डर से जाना नहीं चाहते। यह सब चलता रहा। इसी बीच वर्ष 2004 में वाजपेयी सरकार आयी। उसी रोड को नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया। इसके बीच में इस कांग्रेस सरकार जारवा के नाम पर अण्डमान को तबाह करने के लिए एक प्लान बनाया। इन्होंने यह प्रस्ताव किया कि जारवा एरिया अण्डमान ट्रंक रोड के बीच में आ रहा है। 43 किलोमीटर के रोड के एरिया को बीच में बंद करके पोर्ट ब्लेयर से बड़ाटंग समुद्र के पथ में अल्टरनेट सी-रूट बनाया, तथा एटीआर बंद करेंगे । इसकी शुरूआत आदिवासी मंत्रालय से हुई। 11 मई, 2009 को दिल्ली शहर में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में एक मीटिंग हुई। इसमें उन्होंने कहा कि जारवा एरिया के बीच में रोड जो गया है, इस रोड से जारवा के साथ लोगों का, टुरिस्टों का संबंध जुड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए रोड को बंद कर दिया जाए। 17 अक्टूबर, 2012 को प्लानिंग कमीशन ने रिपोर्ट सब्मिट किया। यह उसका मैप है, डॉक्यूमेंट है। इसमें प्रशासन ने भारत सरकार को सब्मिट किया कि मार्च 2015 में जो पोर्ट ब्लेयर से बाड़ाटन तक रोड था, इसको बंद करके इसके विकल्प के रूप में एक समुद्र पथ चलाएंगे। इसका परिणाम क्या निकला? आज करीब-करीब दो-ढाई लाख टूरिस्ट पोर्ट ब्लेयर से बाड़ाटन जाते हैं और आगे डिगलीपुर तक जाते हैं। उस रूट पर 2700 गाड़ियां चलती हैं। मिडिल नॉर्थ में टूरिज्म के नाम पर इंवेस्टमेंट्स हुए। वहां ढाई लाख लोगों की आबादी है और सरकार बोल रही है कि हमारे पास 300 जारवा हैं और उन्हें बचाने के नाम पर वे ढाई लाख आबादी का टूरिज्म तथा एटीआर की लाइफ लाइन बंद करेंगे। ये ढाई लाख लोगों की जिंदगी से खेल रही है। इसलिए मैं मांग करूंगा कि आज जो अनइम्प्लायड लोगों ने लोन लेकर टूरिज्म के लिए गाड़ी लिया, जो बेकार नवयुवकों को इससे काम मिला, आप यह बंद करने जा रहे हैं।

इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि कांग्रेस सरकार अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह से न खेले। गवर्नमेंट की किताब भी बोलती है कि अगर अण्डमान का नवयुवक विदेशी लोगों के साथ मिल गया तो अण्डमान-निकोबार द्वीप समूह को और एक माओवादी न बनाए। इसलिए मैं मांग करूंगा कि जो अण्डमान ट्रंक रोड बनाया गया था, उसको बिल्कुल बंद न करे और अल्टरनेट समुद्र रूट न बनाए। यह मैं चेतावनी दे रहा हूं। इस पर कांग्रेस सरकार ध्यान दे।

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे यहां से बोलने की अनुमति दें।

सभापति महोदय : हां।

श्री नारायण सिंह अमलाबे : माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 311/2012/3/एक दिनांक 20.11.2012 द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में शासकीय सेवकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष को बढ़ाकर 45 वर्ष नियत की गयी है। किन्तु, उक्त परिपत्र में आरक्षित वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी के शासकीय सेवकों को किसी भी प्रकार की छूट न देते हुए आयु सीमा पूर्व की तरह 45 वर्ष ही रखी है जो किसी भी तरह से सांवैधानिक प्रतीत नहीं होता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण के लाभ से वंचित रखना न्यायोचित नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आरक्षित वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी के शासकीय सेवकों को भी पांच वर्ष की छूट का लाभ देते हुए उनकी अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष नियत की जाय। ऐसा करने से हजारों की संख्या से आरक्षित वर्ग एससी, एसटी, ओबीसी के शासकीय सेवक लाभान्वित होंगे।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को और व्यापक एवं इसकी धनराशि को और बढ़ाने के विषय में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 23 दिसम्बर, 1993 से लागू इस योजना के माध्यम से सांसद स्थानीय जरूरतों के आधार पर विभिन्न विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा करता है। यह बात भी ठीक है कि समय-समय पर इसमें संशोधन भी हुए हैं और इस राशि को बढ़ाया भी गया। इस निधि की लोकप्रियता का अंदाजा मात्र इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां यह राशि वर्ष 1993-94 में मात्र पांच लाख रुपए थी, जिसे एक साल की अवधि के बाद 1994-95 में एक करोड़ रुपए और 1998 में इसे दो करोड़ रुपए तथा वर्ष 2011-12 में इस राशि को बढ़ा कर पांच करोड़ रुपए किया गया। इस योजना की लोकप्रियता को बनाए रखने के लिए आज इसे और व्यापक बनाने तथा इसकी राशि को और बढ़ाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा सरकार से आग्रह है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों में जो केन्द्र की विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन्हीं योजनाओं में से पांच करोड़ तक की कुछ बड़ी योजनाएं विशेषकर पेय जल एवं सिंचाई जल योजना, पीएमजीएसवाई योजना के अंतर्गत तथा अन्य योजनाएं, जो केन्द्र के द्वारा दी जाती हैं, उनके लिए धनराशि का प्रावधान इसी योजना के अंतर्गत होना चाहिए और यह राशि पांच करोड़ रुपए से बढ़ा कर कम से कम दस करोड़ रुपए होनी चाहिए। मैं इस तरफ भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

SHRI J.M. AARON RASHID (THENI): Sir, please allow me to speak from here.

Sir, Madurai-Bodi Broad Gauge conversion is estimated to cost Rs. 180 crore in 2009-10. In 2010-11, the Railway Ministry has allotted Rs. 15 crore; in 2011-12, they have allotted only Rs. 5 crore. If there is a slow allocation like this, it will take another ten years to complete this.

Sir, in Teni District, Madurai-Bodi is a vulnerable line because in the border areas of Kerala and Tamil Nadu, we are producing cardamom, that is, *elaichi*, plantains, which are supplied all over the world, raw silk, that is, cotton, coconut, coffee and other spices. It is supplied all over India and also to the rest of the world.

Earlier, there were booking stations in Bodi as well as in Teni. Due to gauge conversion, they have been closed. Now, the traders have to take their goods either to Madurai or to Erode, but Madurai and Erode railway officers are asking them to either go to Coimbatore or Chennai. If they have to go to Coimbatore, they have to travel 400 kilometres; if they have to go to Chennai, they have to travel 550 kilometres. It involves transportation by a number of lorries and trucks and other interventions, besides theft taking place on the way. The traders are in tears.

My request is that this gauge conversion work should be taken up on a war-footing and completed. I have already requested the Railway Minister in person about this. Before gauge conversion, I would request the Government of India to open booking centres in Bodi and in the Teni District to facilitate traders. It is a revenue generating business. In a year, 25 lakh tonnes are produced and it goes to all other places. Therefore, I urge upon the Government and also my request to the railway authorities is to intervene and release more funds for this gauge conversion work. It will have to be completed on a war-footing basis in the larger interest of the poor and small traders of my Teni District.

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet again on Monday, the 10th December, 2012 at 11.00 a.m.

18.45 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock
on Monday, December 10, 2012/Agrahayana 19, 1934 (Saka).